काकोरी ट्रेन एक्शन

09 अगस्त 1925



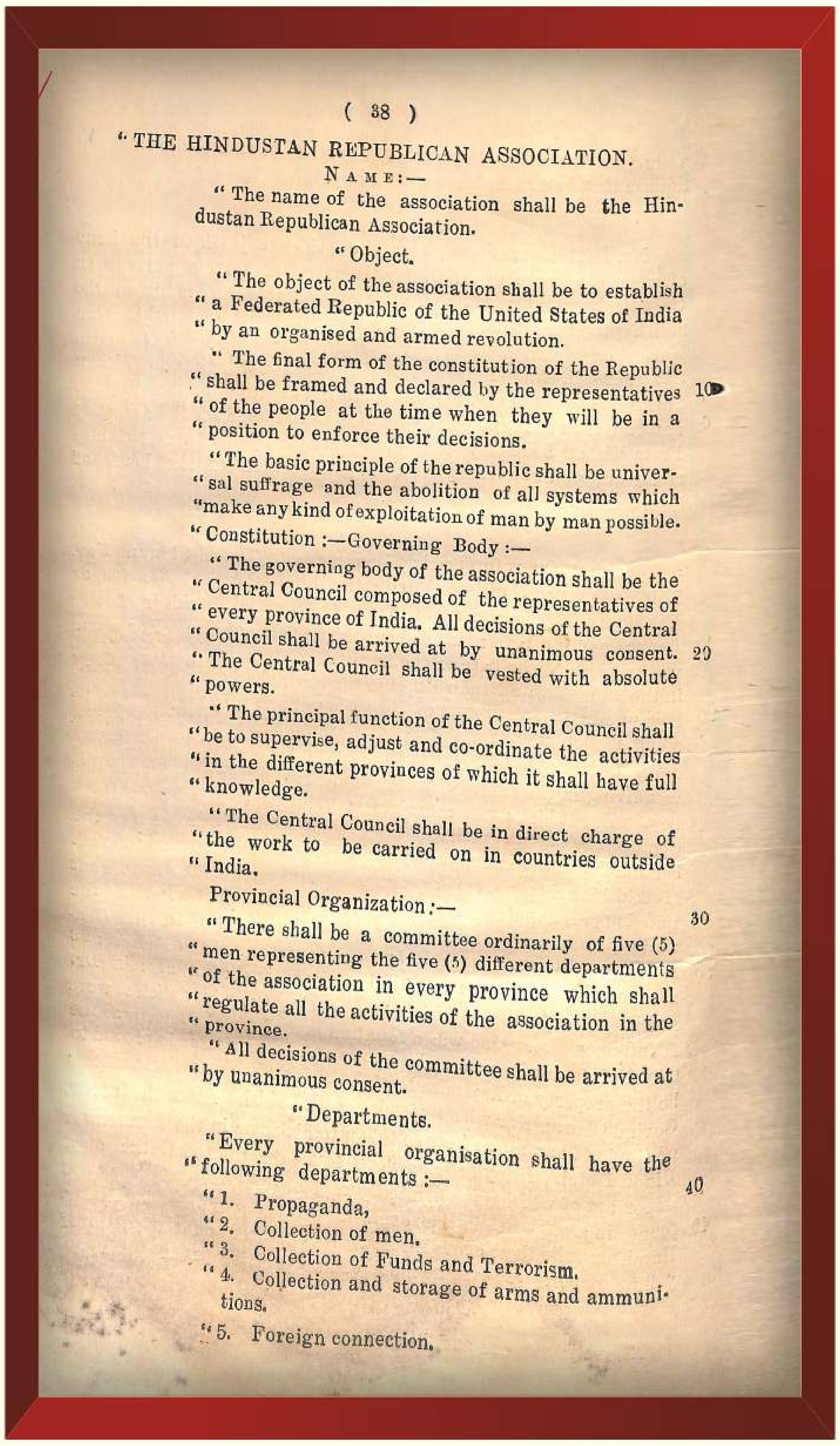
उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, संस्कृति विभाग

काकोरी ट्रेन एक्शन

स्वतंत्रता आन्दोलन से सम्बन्धित अनेक ऐतिहासिक घटनाओं में काकोरी की घटना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 04 फरवरी,1922 में चौरी–चौरा घटना के बाद गाँधीजी द्वारा 11 फरवरी,1922 को बारदौली में असहयोग आन्दोलन को स्थगित करने की घोषणा की गयी। यह निर्णय क्रान्तिकारी आन्दोलन को पुनः जीवित करने में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। आजादी के दीवाने क्रान्तिकारी नवयुवक भारतमाता को स्वतंत्र कराने के लिए कटिबद्ध थे। उद्देश्य की पूर्ति हेतु अशफाक़ उल्ला खाँ, राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी, पं0 रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चन्द्रशेखर आजाद आदि क्रान्तिकारी युवकों ने एक अखिल भारतीय सम्मेलन के बाद अक्टूबर, 1924 में हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रान्ति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। संघर्ष प्रारम्भ करने से पूर्व आवश्यक था व्यापक प्रचार कार्य, नौजवानों को अपने दल में सम्मिलित करना, उन्हें प्रशिक्षित करना एवं हथियारों को एकत्र करना। इसके लिए धन की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन क्रान्तिकारियों ने सरकारी खजाने को प्राप्त का निश्चय किया। निरंकुश ब्रिटिश सत्ता को चेतावनी देने एवं धन एकत्र करने के निमित्त पहली बड़ी कार्यवाही काकोरी में की गयी। यह घटना काकोरी–घटना के नाम से प्रसिद्ध है। 09 अगस्त, 1925 को काकोरी के निकट 8–डाउन ट्रेन को रोक कर रेल विभाग का रू0 4679–1–6 राशि का खजाना हासिल किया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। प्रतिक्रियास्वरूप ब्रिटिश सरकार ने व्यापक स्तर पर गिरफ्तारियाँ की तथा प्रारम्भिक जाँच के उपरान्त क्रान्तिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। इन पर ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध युद्ध की घोषणा करने, राजनैतिक षडयन्त्र रचने, डकैती और हत्या आदि के आरोप लगाये गये। जेल में क्रान्तिकारियों ने खराब खाना मिलने एवं राजनैतिक बन्दी की श्रेणी प्रदान किये जाने को लेकर 16 दिन का अनशन किया। बाध्य होकर ब्रिटिश सरकार ने इनकी अनेक माँगों को स्वीकार कर लिया। इन क्रान्तिकारियों पर सेशन जज हैमिल्टन की अदालत में मुकदमा चलाया गया। इनकी पैरवी के लिए एक समिति भी बनायी गयी, जिसमें पं0 मोतीलाल नेहरू, पं0 जवाहर लाल नेहरू, पं0 गोविन्द बल्लभ पंत, बी0 के0 चौधरी, सी0 बी0 गुप्त, मोहन लाल सक्सेना आदि वकील थे। सेशन जज हैमिल्टन ने 6 अप्रैल,1927 को पं0 राम प्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह को फाँसी, शचीन्द्र नाथ सान्याल को आजीवन कालापानी, मन्मथनाथ गुप्त को 14 वर्ष, जोगेश चन्द्र चटर्जी, मुकुन्दी लाल, गोविन्द चरण, राजकुमार सिन्हा, रामकृष्ण खत्री को 10 वर्ष, विष्णु शरद दुबलिश, सुरेश चन्द्र भट्टाचार्य को 7 वर्ष, भुपेन्द्र नाथ सान्याल, रामदुलारे त्रिवेदी, प्रेम कृष्ण खन्ना, बनवारी लाल, प्रणवेश कुमार चटर्जी और रामनाथ पाण्डे को 5 वर्ष कैद की सजा सुनायी। अश्फाक़ उल्ला खाँ एवं शचीन्द्रनाथ बख्शी को आजीवन कारावास की सजा हुयी। चन्द्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिश सरकार जीवित गिरफ्तार नहीं कर सकी। 27 फरवरी,1931 को अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में ब्रिटिश पुलिस के साथ सशस्त्र संघर्ष में चन्द्रशेखर आजाद को वीरगति प्राप्त हुयी।

सेशन जज हैमिल्टन के फैसले के विरूद्ध की गयी अपील में अवध चीफ कोर्ट ने कुछ क्रान्तिकारियों की सजा में वृद्धि कर दी। रामनाथ पाण्डे तथा प्रणवेश चटर्जी की सजा कम की गयी। शेष क्रान्तिकारियों की सजा यथावत रहीं।

हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन



(38)

" THE HINDUSTAN REPUBLICAN ASSOCIATION.

NAME:—

" The name of the association shall be the Hindustan Republican Association.

" Object.

" The object of the association shall be to establish " a Federated Republic of the United States of India " by an organised and armed revolution.

" The final form of the constitution of the Republic " shall be framed and declared by the representatives " of the people at the time when they will be in a " position to enforce their decisions.

" The basic principle of the republic shall be univer- " sal suffrage and the abolition of all systems which " make any kind of exploitation of man by man possible.

" Constitution :—Governing Body :—

" The governing body of the association shall be the " Central Council composed of the representatives of " every province of India. All decisions of the Central " Council shall be arrived at by unanimous consent. " The Central Council shall be vested with absolute " powers.

" The principal function of the Central Council shall " be to supervise, adjust and co-ordinate the activities " in the different provinces of which it shall have full " knowledge.

" The Central Council shall be in direct charge of " the work to be carried on in countries outside " India.

Provincial Organization :—

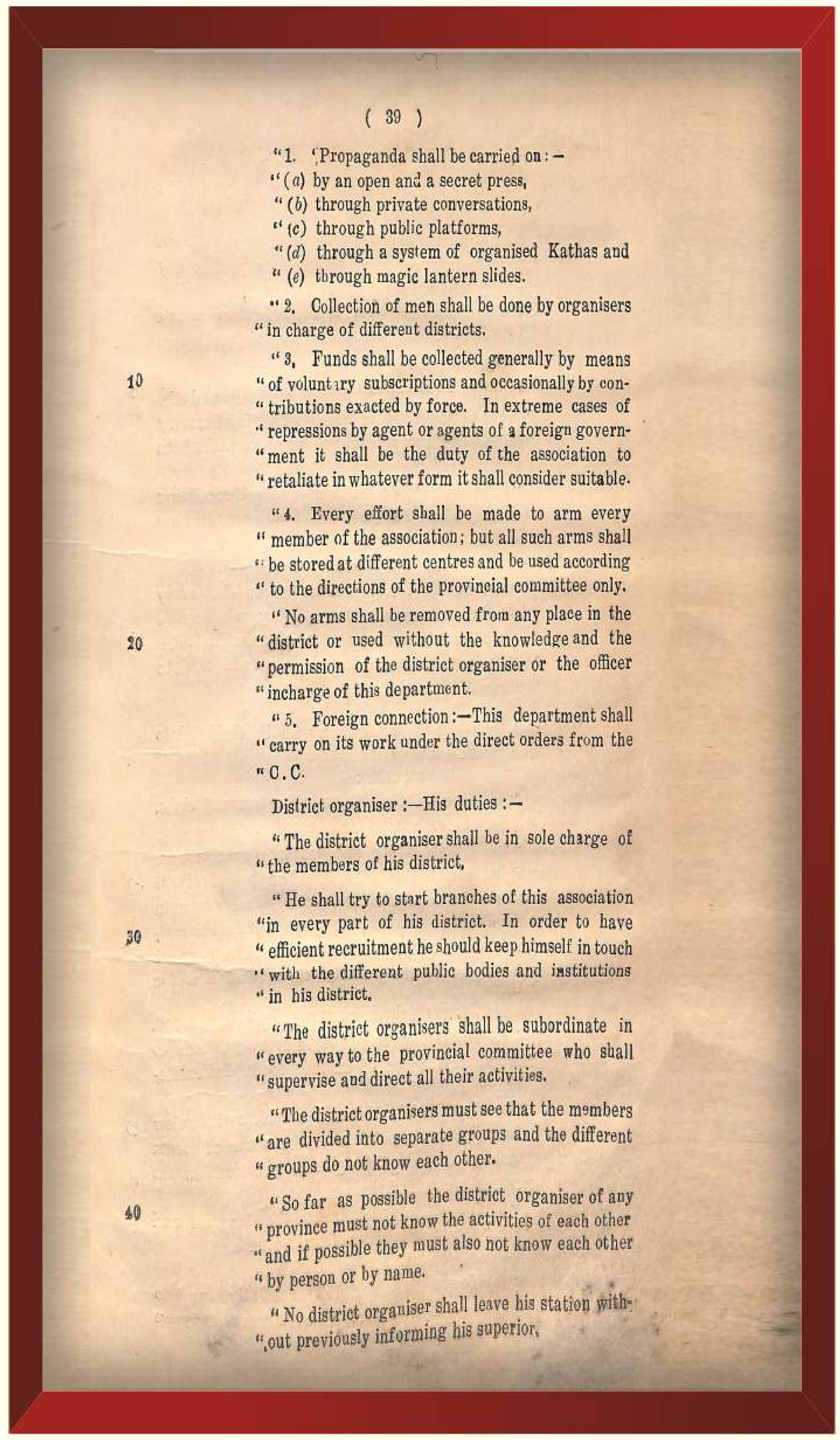
" There shall be a committee ordinarily of five (5) " men representing the five (5) different departments " of the association in every province which shall " regulate all the activities of the association in the " province.

" All decisions of the committee shall be arrived at " by unanimous consent.

" Departments.

" Every provincial organisation shall have the " following departments :—

" 1. Propaganda,
" 2. Collection of men.
" 3. Collection of Funds and Terrorism.
" 4. Collection and storage of arms and ammunitions.
" 5. Foreign connection.



(39)

" 1. Propaganda shall be carried on :—
" (a) by an open and a secret press,
" (b) through private conversations,
" (c) through public platforms,
" (d) through a system of organised Kathas and
" (e) through magic lantern slides.

" 2. Collection of men shall be done by organisers " in charge of different districts.

" 3. Funds shall be collected generally by means " of voluntary subscriptions and occasionally by con- " tributions exacted by force. In extreme cases of " repressions by agent or agents of a foreign govern- " ment it shall be the duty of the association to " retaliate in whatever form it shall consider suitable.

" 4. Every effort shall be made to arm every " member of the association; but all such arms shall " be stored at different centres and be used according " to the directions of the provincial committee only.

" No arms shall be removed from any place in the " district or used without the knowledge and the " permission of the district organiser or the officer " incharge of this department.

" 5. Foreign connection :—This department shall " carry on its work under the direct orders from the " C.C.

District organiser :—His duties :—

" The district organiser shall be in sole charge of " the members of his district.

" He shall try to start branches of this association " in every part of his district. In order to have " efficient recruitment he should keep himself in touch " with the different public bodies and institutions " in his district.

" The district organisers shall be subordinate in " every way to the provincial committee who shall " supervise and direct all their activities.

" The district organisers must see that the members " are divided into separate groups and the different " groups do not know each other.

" So far as possible the district organiser of any " province must not know the activities of each other " and if possible they must also not know each other " by person or by name.

" No district organiser shall leave his station with- " out previously informing his superior.

बनारस केस (1915) में आजन्म कालेपानी की सजा पाए हुए शचीन्द्रनाथ सान्याल को आम माफी के सिलसिले में 20 फरवरी, 1920 को छोड़ दिया गया। शचीन्द्रनाथ सान्याल ने एक क्रान्तिकारी दल 'हिन्दुस्तान प्रजातांत्रिक संघ' की स्थापना की जिसे आगे चल कर ''हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन'' कहा गया। इस क्रान्तिकारी दल का एक विधान तैयार किया गया। इस क्रान्तिकारी दल का उद्देश्य सशस्त्र तथा संगठित क्रान्ति द्वारा ''भारत के सम्मिलित राज्यों का प्रजातंत्र संघ'' स्थापित करना था।

"Qualifications of a District Organiser.

"1. He must have the tact and the ability to guide "and handle men of different temperaments.

"2. He must have the capacity to grasp political, "social and economical problems of the present day "with special reference to his Motherland.

"3. He must be able to grasp the spirit of the "history of India, with special reference to the parti- "cular civilization which India has evolved.

"4. He must have faith in the mission and the "destiny of a free India, which is to bring harmony "in the different spheres of human activities both "spiritual and material.

"5. He must be courageous and self-sacrificing "without which all his brilliant qualities will have "no real value.

"Provincial Council and Central Council :—

"P. C. and C. C. members must see that every "member of this association gets full scope and ample "opportunity to develop and use his individual abi- "lities, without which the association will tend to "disintegrate.

"Programme.

"All the activities of the association shall be divided into two parts :—public and private.

"Public :—

"1. To start associations in the forms of clubs, "libraries, seva sammitis and the like.

"2. To start labour and peasant organisations. "Suitable men must be engaged on behalf of the "association to organise and control the labourers in "the different factories, the railways and in the coal- "fields, and instil into their minds that they are not "for the revolution but that the revolution is for "them.

"Similarly the Kisans must also be organised.

"3. To start weekly paper in every province to "propagate the idea of an independent Indian Re- "public.

"4. To publish booklets and pamphlets with a view "to enlighten the public as to the course of events "and the current of thoughts as prevalent in the "countries outside India.

"5. To utilise and influence the Congress and "other public activities as far as possible.

"Private

"(a) To establish a secret press and through it to "publish such literature which cannot easily be "published openly.

"(*b*) To circulate such literature.

"(*c*) To establish branches of this association in every "part of the country, district by district.

"(*d*) To collect funds in as many ways as possible.

"(*e*) To send suitable men to foreign countries where they "may get military or scientific training so that they "may become military or scientific experts to take "charge of armies and ammunition factories at the "time of open rebellion.

"(*f*) To import arms and ammunitions and also to manu- "facture them as far as possible, in the country.

"(*g*) To remain in close touch and to co-operate with the "Indian revolutionaries outside India.

"(*h*) To get the members of this association enlisted into "the present army.

"(*i*) To enlist the sympathy of the public to our cause by "occasional retaliatory measures and propaganda "and thus create a band of sympathisers.

"Membership.

"All members shall be recruited by organisers in charge of "different districts in every province. Every member "must be ready to devote his whole time for the "association and to risk his life if necessary.

"He must obey the commands of the district organiser "implicitly.

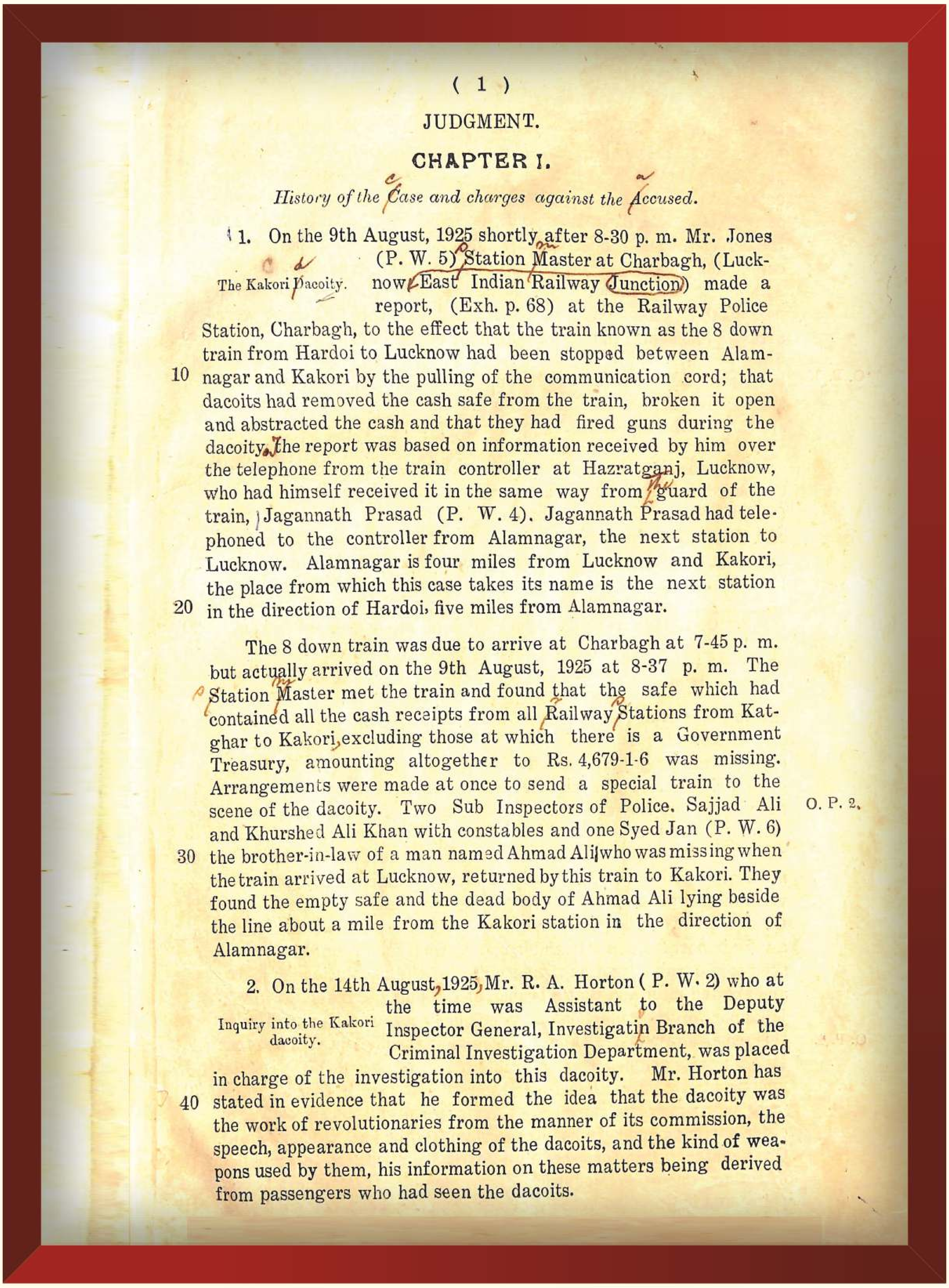
"He should develop his own initiative and remember that "the success of the association depends much on the "resourcefulness, the initiative and the sense of duty "of its individual members.

"He must behave in a manner that may not prejudice the "cause for which this association stands or may not "do any harm directly or indirectly to this organisa- "tion.

"No member of this association shall belong to any other "organisation without the consent of the district "organiser.

"No member shall leave his station without informing the "district organiser about it.

"Every member must try to avoid being suspected of revo- "lutionary connections by the police or public.



(1)

JUDGMENT.

CHAPTER I.

History of the Case and charges against the Accused.

The Kakori Dacoity.

1. On the 9th August, 1925 shortly after 8-30 p. m. Mr. Jones (P. W. 5) Station Master at Charbagh, (Lucknow East Indian Railway Junction) made a report, (Exh. p. 68) at the Railway Police Station, Charbagh, to the effect that the train known as the 8 down train from Hardoi to Lucknow had been stopped between Alamnagar and Kakori by the pulling of the communication cord; that dacoits had removed the cash safe from the train, broken it open and abstracted the cash and that they had fired guns during the dacoity. The report was based on information received by him over the telephone from the train controller at Hazratganj, Lucknow, who had himself received it in the same way from guard of the train, Jagannath Prasad (P. W. 4). Jagannath Prasad had telephoned to the controller from Alamnagar, the next station to Lucknow. Alamnagar is four miles from Lucknow and Kakori, the place from which this case takes its name is the next station in the direction of Hardoi, five miles from Alamnagar.

The 8 down train was due to arrive at Charbagh at 7-45 p. m. but actually arrived on the 9th August, 1925 at 8-37 p. m. The Station Master met the train and found that the safe which had contained all the cash receipts from all Railway Stations from Katghar to Kakori, excluding those at which there is a Government Treasury, amounting altogether to Rs. 4,679-1-6 was missing. Arrangements were made at once to send a special train to the scene of the dacoity. Two Sub Inspectors of Police, Sajjad Ali O. P. 2.
and Khurshed Ali Khan with constables and one Syed Jan (P. W. 6) the brother-in-law of a man named Ahmad Ali, who was missing when the train arrived at Lucknow, returned by this train to Kakori. They found the empty safe and the dead body of Ahmad Ali lying beside the line about a mile from the Kakori station in the direction of Alamnagar.

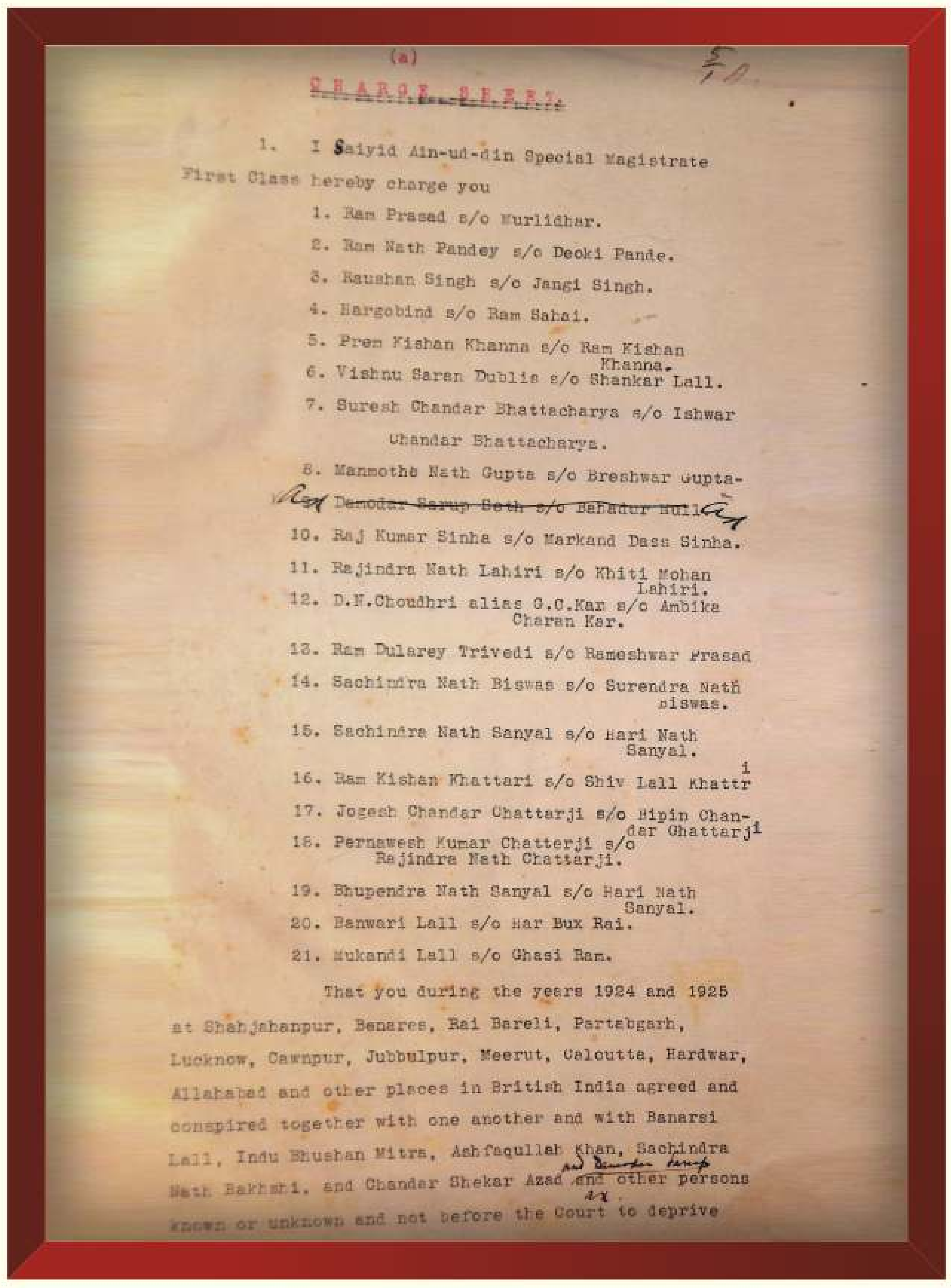
Inquiry into the Kakori dacoity.

2. On the 14th August, 1925, Mr. R. A. Horton (P. W. 2) who at the time was Assistant to the Deputy Inspector General, Investigatin Branch of the Criminal Investigation Department, was placed in charge of the investigation into this dacoity. Mr. Horton has stated in evidence that he formed the idea that the dacoity was the work of revolutionaries from the manner of its commission, the speech, appearance and clothing of the dacoits, and the kind of weapons used by them, his information on these matters being derived from passengers who had seen the dacoits.

9 अगस्त, 1925 को क्रान्तिकारियों ने आलमनगर एवं काकोरी के मध्य 8 डाउन ट्रेन की जंजीर खींच कर रोक दिया लगभग 4,679–1–6 की धनराशि का ख़ज़ाना लूट लिया।

सी0आई0डी0 अभिलेख
काकोरी केस

चार्ज शीट – 16.04.1926



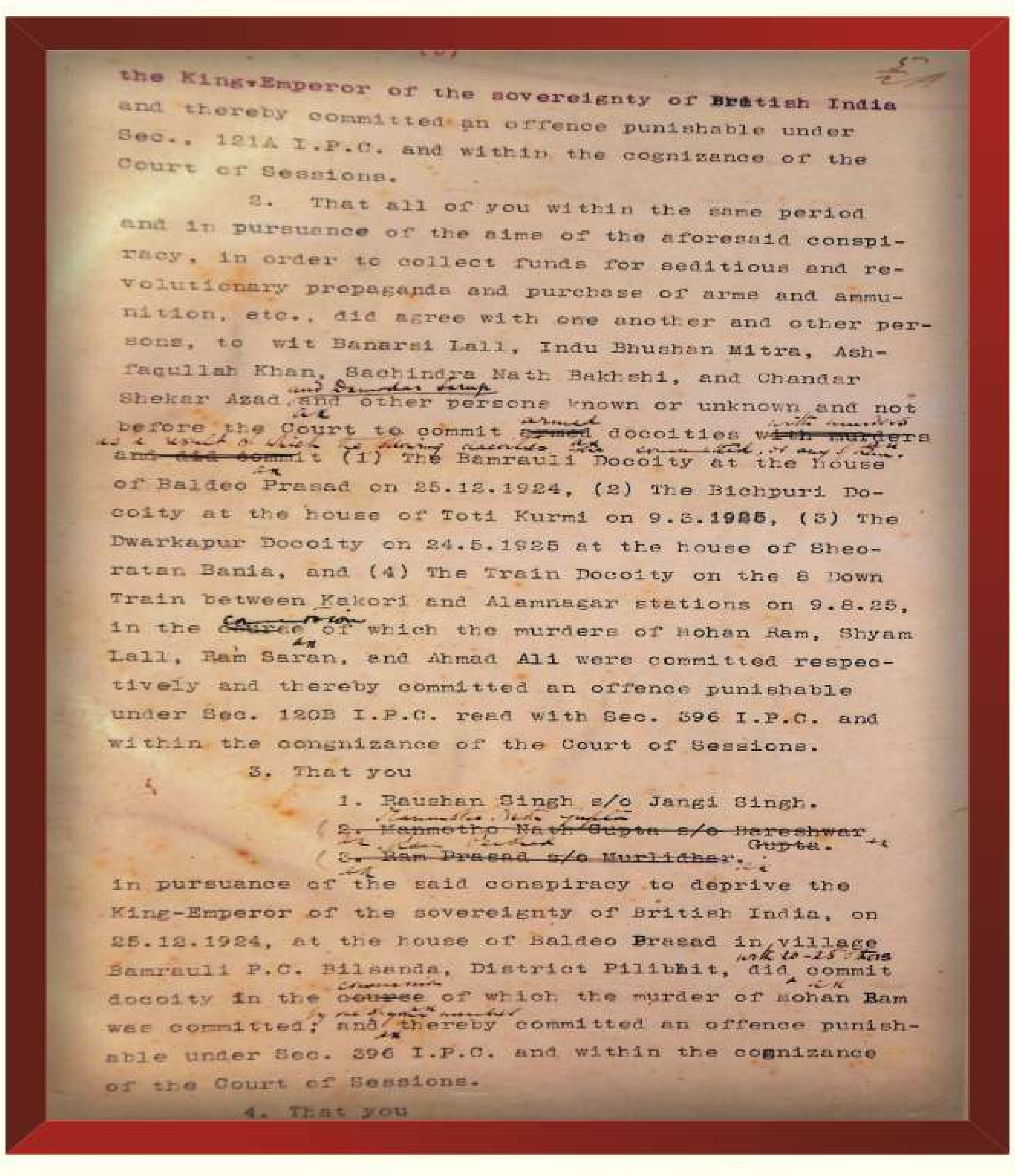
(a)

CHARGE SHEET.

1. I Saiyid Ain-ud-din Special Magistrate First Class hereby charge you

1. Ram Prasad s/o Murlidhar.
2. Ram Nath Pandey s/o Deoki Pande.
3. Raushan Singh s/o Jangi Singh.
4. Hargobind s/o Ram Sahai.
5. Prem Kishan Khanna s/o Ram Kishan Khanna.
6. Vishnu Saran Dublis s/o Shankar Lall.
7. Suresh Chandar Bhattacharya s/o Ishwar Chandar Bhattacharya.
8. Manmotha Nath Gupta s/o Breshwar Gupta-
9. ~~Damodar Sarup Seth s/o Bahadur Mull~~
10. Raj Kumar Sinha s/o Markand Dass Sinha.
11. Rajindra Nath Lahiri s/o Khiti Mohan Lahiri.
12. D.N.Choudhri alias G.C.Kar s/o Ambika Charan Kar.
13. Ram Dularey Trivedi s/o Rameshwar Prasad
14. Sachindra Nath Biswas s/o Surendra Nath Biswas.
15. Sachindra Nath Sanyal s/o Hari Nath Sanyal.
16. Ram Kishan Khattari s/o Shiv Lall Khattri
17. Jogesh Chandar Chattarji s/o Bipin Chandar Chattarji
18. Pernawesh Kumar Chatterji s/o Rajindra Nath Chattarji.
19. Bhupendra Nath Sanyal s/o Hari Nath Sanyal.
20. Banwari Lall s/o Har Bux Rai.
21. Mukandi Lall s/o Ghasi Ram.

That you during the years 1924 and 1925 at Shahjahanpur, Benares, Rai Bareli, Partabgarh, Lucknow, Cawnpur, Jubbulpur, Meerut, Calcutta, Hardwar, Allahabad and other places in British India agreed and conspired together with one another and with Banarsi Lall, Indu Bhushan Mitra, Ashfaqullah Khan, Sachindra Nath Bakhshi, and Chandar Shekar Azad and Damodar Sarup and other persons known or unknown and not before the Court to deprive



the King-Emperor of the sovereignty of British India and thereby committed an offence punishable under Sec., 121A I.P.C. and within the cognizance of the Court of Sessions.

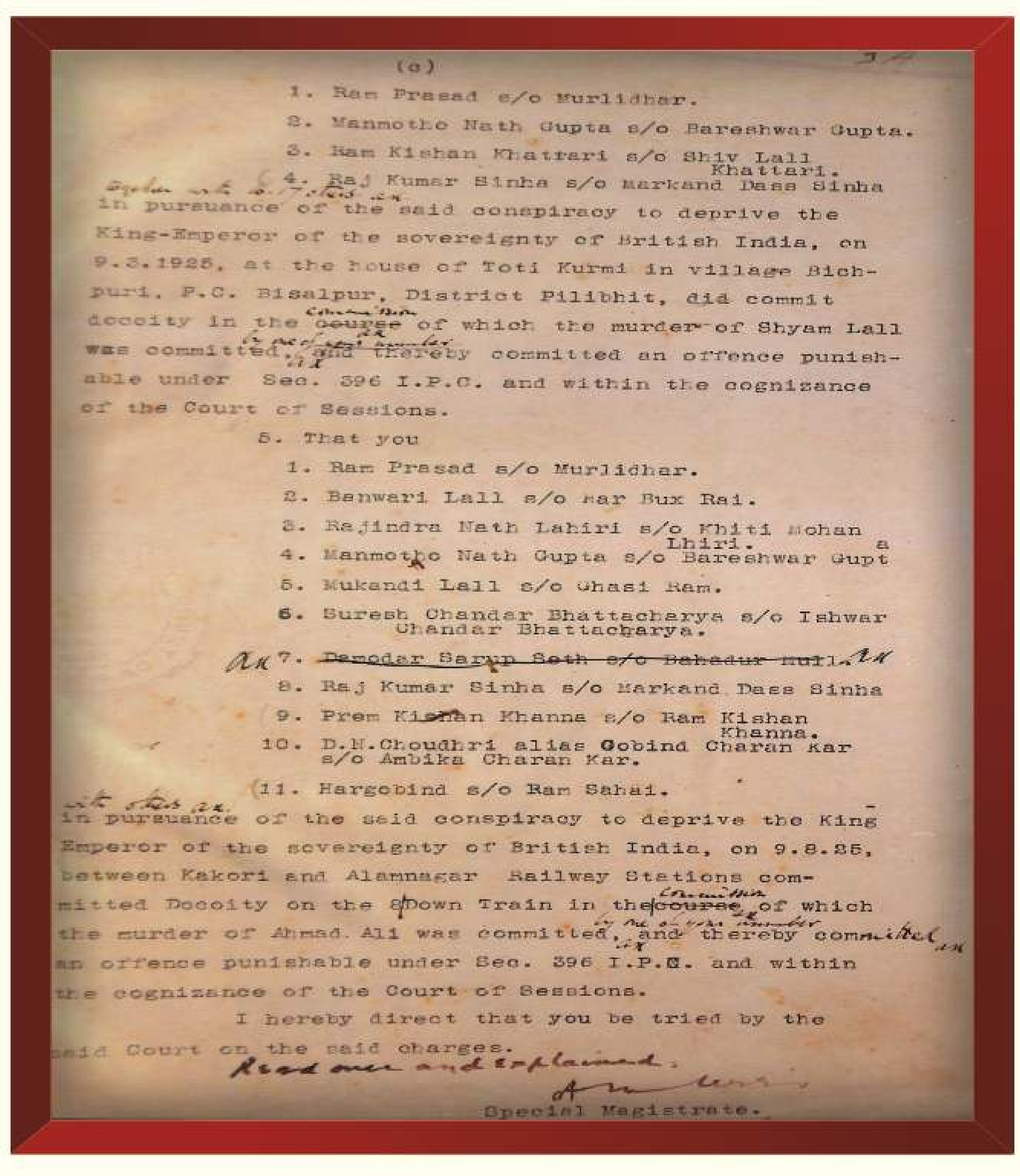
2. That all of you within the same period and in pursuance of the aims of the aforesaid conspiracy, in order to collect funds for seditious and revolutionary propaganda and purchase of arms and ammunition, etc., did agree with one another and other persons, to wit Banarsi Lall, Indu Bhushan Mitra, Ashfaqullah Khan, Sachindra Nath Bakhshi, and Chandar Shekar Azad, and Damodar Sarup and other persons known or unknown and not before the Court to commit ~~armed~~ armed docoities ~~with murders and did commit~~ (1) The Bamrauli Docoity at the house of Baldeo Prasad on 25.12.1924, (2) The Bichpuri Docoity at the house of Toti Kurmi on 9.3.1925, (3) The Dwarkapur Docoity on 24.5.1925 at the house of Sheoratan Bania, and (4) The Train Docoity on the 8 Down Train between Kakori and Alamnagar stations on 9.8.25, in the ~~course~~ of which the murders of Mohan Ram, Shyam Lall, Ram Saran, and Ahmad Ali were committed respectively and thereby committed an offence punishable under Sec. 120B I.P.C. read with Sec. 396 I.P.C. and within the congnizance of the Court of Sessions.

3. That you

1. Raushan Singh s/o Jangi Singh.
2. ~~Manmotho Nath Gupta s/o Bareshwar Gupta.~~
3. ~~Ram Prasad s/o Murlidhar.~~

in pursuance of the said conspiracy to deprive the King-Emperor of the sovereignty of British India, on 25.12.1924, at the house of Baldeo Prasad in village Bamrauli P.C. Bilsanda, District Pilibhit, did commit docoity in the ~~course~~ of which the murder of Mohan Ram was committed; and thereby committed an offence punishable under Sec. 396 I.P.C. and within the cognizance of the Court of Sessions.

4. That you



(c)

1. Ram Prasad s/o Murlidhar.
2. Manmotho Nath Gupta s/o Bareshwar Gupta.
3. Ram Kishan Khatrari s/o Shiv Lall Khattari.
4. Raj Kumar Sinha s/o Markand Dass Sinha

in pursuance of the said conspiracy to deprive the King-Emperor of the sovereignty of British India, on 9.3.1925, at the house of Toti Kurmi in village Bichpuri, P.C. Bisalpur, District Pilibhit, did commit docoity in the ~~course~~ of which the murder of Shyam Lall was committed, and thereby committed an offence punishable under Sec. 396 I.P.C. and within the cognizance of the Court of Sessions.

5. That you

1. Ram Prasad s/o Murlidhar.
2. Banwari Lall s/o Har Bux Rai.
3. Rajindra Nath Lahiri s/o Khiti Mohan Lhiri.
4. Manmotho Nath Gupta s/o Bareshwar Gupta
5. Mukandi Lall s/o Ghasi Ram.
6. Suresh Chandar Bhattacharya s/o Ishwar Chandar Bhattacharya.
7. ~~Damodar Sarup Seth s/o Bahadur Mull.~~
8. Raj Kumar Sinha s/o Markand Dass Sinha
9. Prem Kishan Khanna s/o Ram Kishan Khanna.
10. D.N.Choudhri alias Gobind Charan Kar s/o Ambika Charan Kar.
11. Hargobind s/o Ram Sahai.

in pursuance of the said conspiracy to deprive the King Emperor of the sovereignty of British India, on 9.8.25, between Kakori and Alamnagar Railway Stations committed Docoity on the 8 Down Train in the ~~course~~ of which the murder of Ahmad Ali was committed, and thereby committed an offence punishable under Sec. 396 I.P.C. and within the cognizance of the Court of Sessions.

I hereby direct that you be tried by the said Court on the said charges.

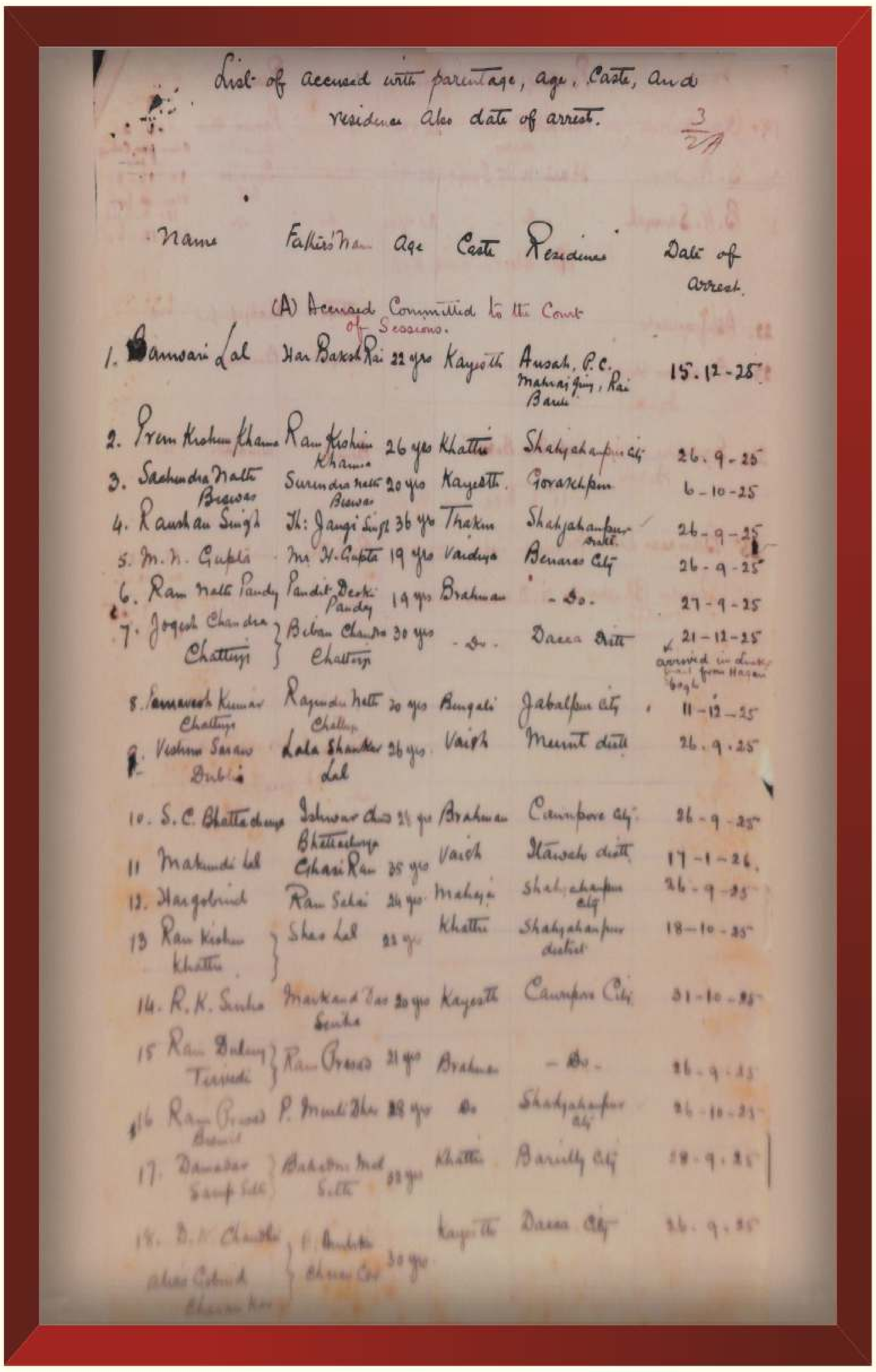
Read over and explained.

Special Magistrate.

विशेष न्यायाधीश ने 21 क्रान्तिकारियों पर वर्ष 1924–25 में उ0प्र0 के विभिन्न नगरों में अंग्रेज़ी सत्ता के विरूद्ध षड्यन्त्र रचने, क्रान्तिकारी भावनाओं के प्रचार तथा डकैती डालने का आरोप लगाया तथा उन पर आई0पी0सी0 की धारा 396, 121A तथा 120B के अन्तर्गत मुक़दमा दायर किया गया।

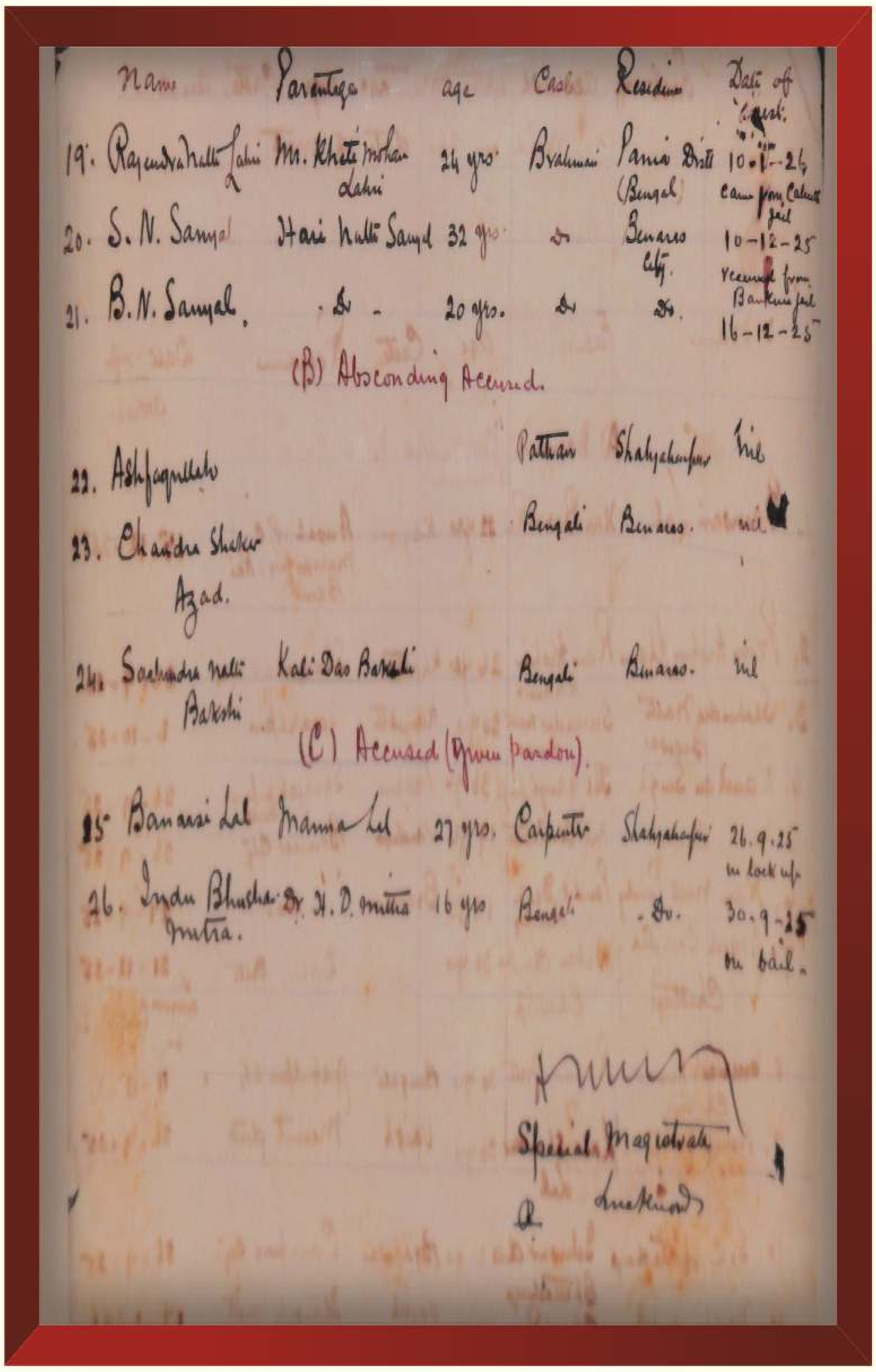
काकोरी केस, वाल्यूम–।।

काकोरी के क्रान्तिकारियों का विवरण तथा गिरफ़्तारी की तिथि सन्-1926



List of accused with parentage, age, Caste, and residence also date of arrest.

Name	Father's Name	Age	Caste	Residence	Date of arrest
(A) Accused Committed to the Court of Sessions.					
1. Banwari Lal	Har Baksh Rai	22 yrs	Kayasth	Ausah, P.C. Maharajganj, Rai Bareli	15.12-25
2. Prem Kishan Khanna	Ram Kishin Khanna	26 yrs	Khattri	Shahjahanpur City	26-9-25
3. Sachindra Nath Biswas	Surendra Nath Biswas	20 yrs	Kayasth	Gorakhpur	6-10-25
4. Raushan Singh	Th. Jangi Singh	36 yrs	Thakur	Shahjahanpur distt.	26-9-25
5. M. N. Gupta	Mr. N. Gupta	19 yrs	Vaidya	Benares City	26-9-25
6. Ram Nath Pandey	Pandit Beni Pandey	14 yrs	Brahman	- Do.	27-9-25
7. Jogesh Chandra Chatterji	Bipin Chandra Chatterji	30 yrs	- Do -	Dacca Distt	21-12-25 arrived in [illegible] from Hazaribagh
8. [illegible] Kumar Chatterji	Rajendra Nath Chatterji	20 yrs	Bengali	Jabalpur City	11-12-25
9. Vishnu Saran Dublis	Lala Shankar Lal	26 yrs	Vaish	Meerut distt	26.9.25
10. S. C. Bhattacharya	Ishwar Chand Bhattacharya	24 yrs	Brahman	Cawnpore City	26-9-25
11 Mukandi Lal	Chhedi Ram	35 yrs	Vaish	Etawah distt	17-1-26
12. Hargobind	Ram Sahai	24 yrs	Mahajan	Shahjahanpur City	26-9-25
13 Ram Kishan Khattri	Sheo Lal	22 yrs	Khattri	Shahjahanpur district	18-10-25
14. R. K. Sinha	Markand Das Sinha	20 yrs	Kayasth	Cawnpore City	31-10-25
15 Ram Dulary Trivedi	Ram Prasad	21 yrs	Brahman	- Do.	26-9-25
16 Ram Prasad Bismil	P. Murli Dhar	28 yrs	Do	Shahjahanpur City	26-[illegible]-25
17. Damodar Swarup Seth	Bahadur Mal Seth	22 yrs	Khattri	Bareilly City	28-9-25
18. B. K. Chakr[illegible] alias Gobind Charan Kar	[illegible] Charan Kar	30 yrs	Kayasth	Dacca City	26.9.25



Name	Parentage	Age	Caste	Residence	Date of arrest
19. Rajendra Nath Lahiri	Mr. Kshiti Mohan Lahiri	24 yrs	Brahman	Pabna Distt (Bengal)	10-1-26 came from Calcutta jail
20. S. N. Sanyal	Hari Nath Sanyal	32 yrs	Do	Benares City	10-12-25 received from Bankura jail
21. B. N. Sanyal	- Do -	20 yrs	Do	Do.	16-12-25
(B) Absconding Accused.					
22. Ashfaqullah			Pathan	Shahjahanpur	nil
23. Chandra Shekhar Azad.			Bengali	Benares.	nil
24. Sachindra Nath Bakshi	Kali Das Bakshi		Bengali	Benares.	nil
(C) Accused (given pardon).					
25 Banarsi Lal	Mannu Lal	27 yrs	Carpenter	Shahjahanpur	26.9.25 in lock up
26. Indu Bhushan Mitra	Dr. H. D. Mitra	16 yrs	Bengali	- Do.	30-9-25 on bail.

Special Magistrate Lucknow

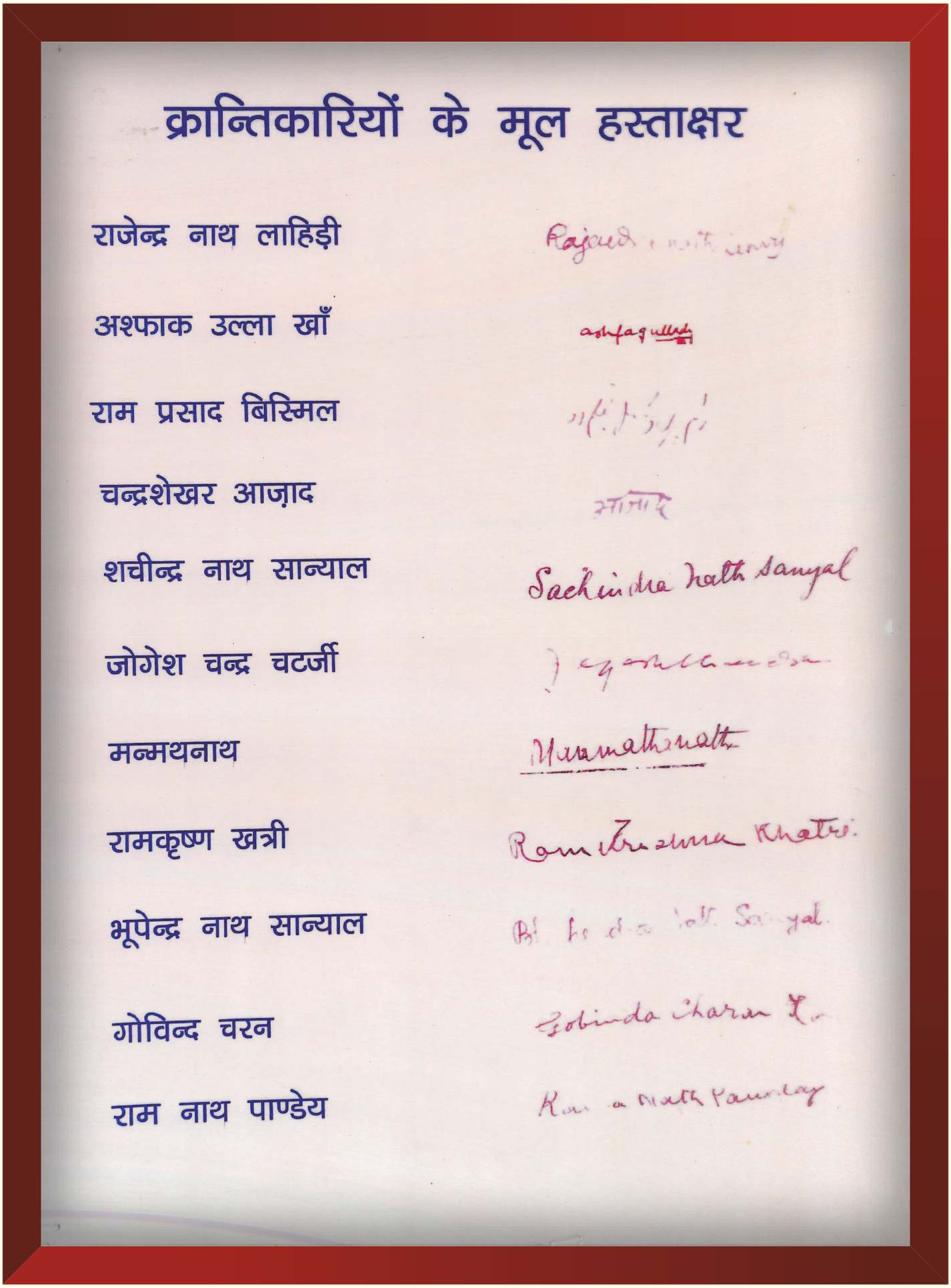
काकोरी केस में कुल 26 क्रान्तिकारी आरोपी थे किन्तु उनमें से अशफ़ाक़ उल्ला खाँ तथा चन्द्रशेखर आज़ाद को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका था। प्रदर्शित सूची में क्रान्तिकारियों के निवास, जाति, आयु तथा गिरफ़्तारी की तिथियाँ अंकित की गयी हैं।

काकोरी केस

काकोरी के क्रान्तिकारी



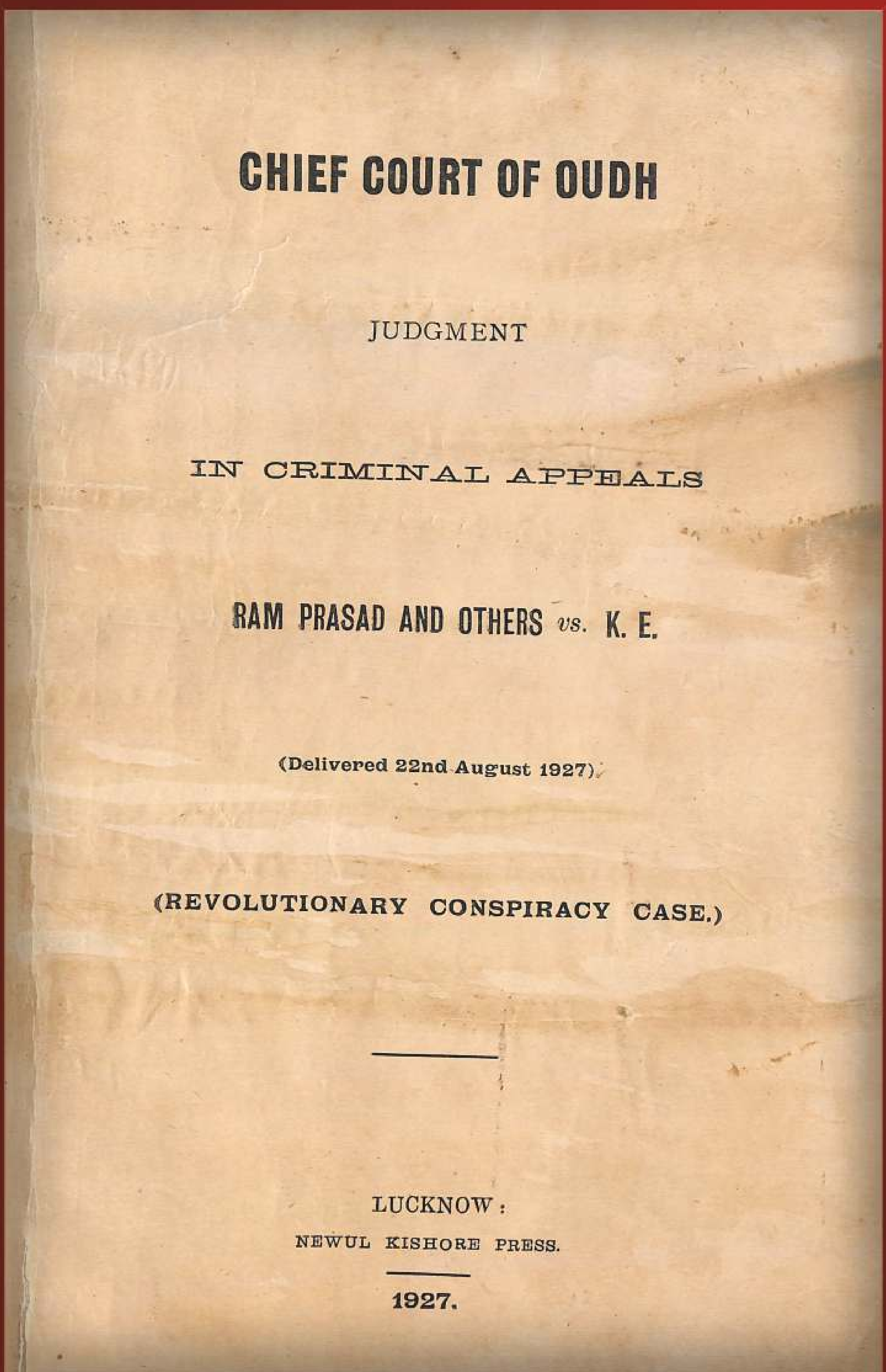
काकोरी केस चलने के दौरान अभियुक्तों का लिया गया सामूहिक चित्र।
१. जोगेशचन्द्र चटर्जी, २. प्रेमकृष्ण खन्ना, ३. मुकुन्दीलाल, ४. विष्णुशरण दुबलिश, ५. सुरेशचन्द्र भट्टाचार्य, ६. रामकृष्ण खत्री, ७. मन्मथनाथ गुप्त, ८. राजकुमार सिनहा, ९. ठाकुर रोशनसिंह, १०. रामप्रसाद 'बिस्मल', ११. राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी, १२. गोविन्दचरण कर, १३. रामदुलारे त्रिवेदी, १४. रामनाथ पाण्डे, १५. शचीन्द्रनाथ सान्याल, १६. भूपेन्द्रनाथ सान्याल, १७. प्रणवेश कुमार चटर्जी।



क्रान्तिकारियों के मूल हस्ताक्षर

राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी	[illegible]
अश्फाक उल्ला खाँ	ashfaqullah
राम प्रसाद बिस्मिल	[illegible]
चन्द्रशेखर आज़ाद	आजाद
शचीन्द्र नाथ सान्याल	Sachindra Nath Sanyal
जोगेश चन्द्र चटर्जी	[illegible]
मन्मथनाथ	Manmathnath
रामकृष्ण खत्री	Ramkrishna Khatri
भूपेन्द्र नाथ सान्याल	[illegible] Sanyal
गोविन्द चरन	Gobinda Charan [illegible]
राम नाथ पाण्डेय	[illegible] Nath Pandey

क्रान्तिकारियों द्वारा सेशन कोर्ट के निर्णय के विरूद्ध अवध चीफ कोर्ट में की गई अपील का निर्णय-22 अगस्त 1927



CHIEF COURT OF OUDH

JUDGMENT

IN CRIMINAL APPEALS

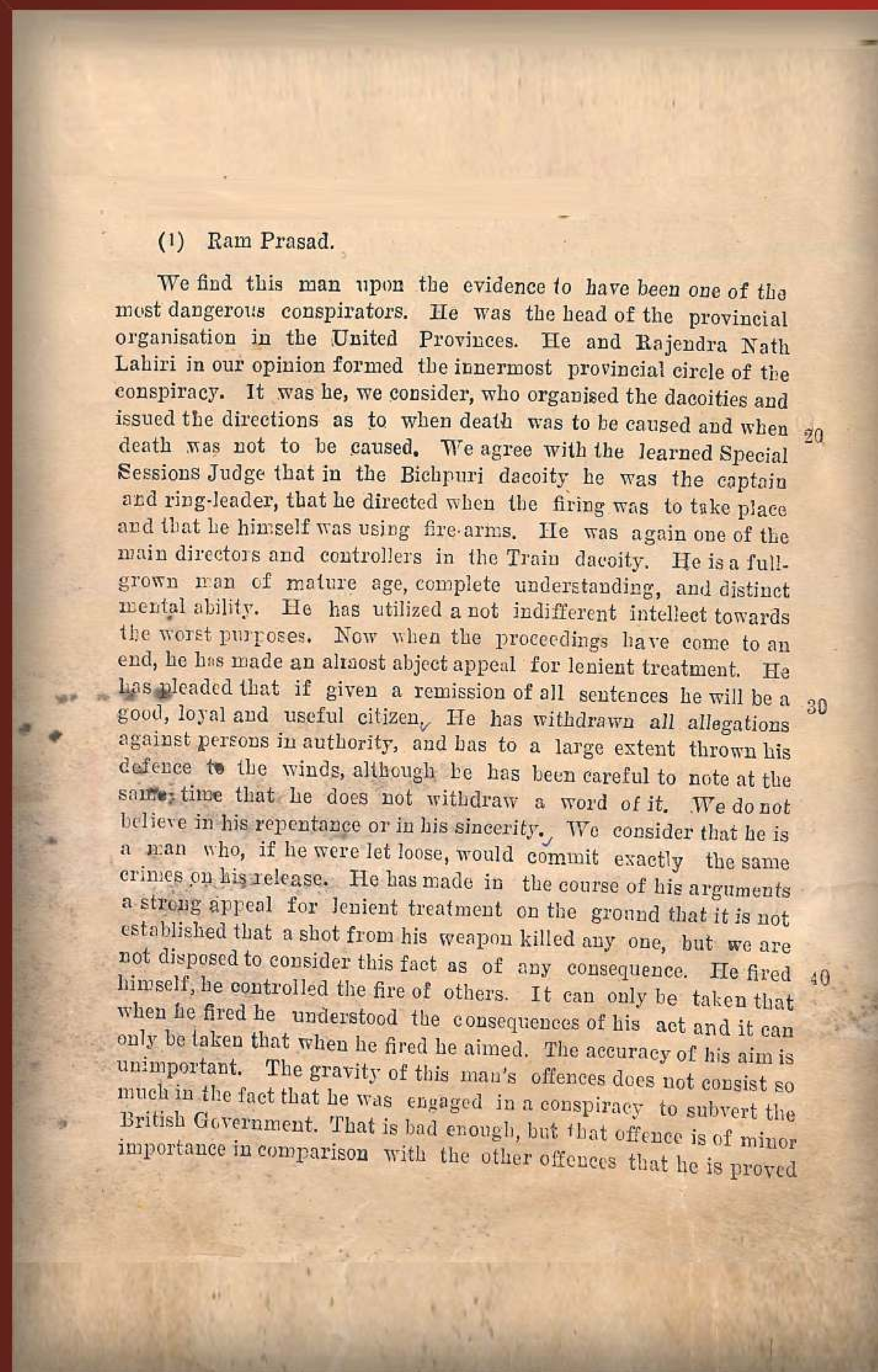
RAM PRASAD AND OTHERS *vs.* K. E.

(Delivered 22nd August 1927)

(REVOLUTIONARY CONSPIRACY CASE.)

LUCKNOW:
NEWUL KISHORE PRESS.

1927.



(1) Ram Prasad.

We find this man upon the evidence to have been one of the most dangerous conspirators. He was the head of the provincial organisation in the United Provinces. He and Rajendra Nath Lahiri in our opinion formed the innermost provincial circle of the conspiracy. It was he, we consider, who organised the dacoities and issued the directions as to when death was to be caused and when death was not to be caused. We agree with the learned Special Sessions Judge that in the Bichpuri dacoity he was the captain and ring-leader, that he directed when the firing was to take place and that he himself was using fire-arms. He was again one of the main directors and controllers in the Train dacoity. He is a full-grown man of mature age, complete understanding, and distinct mental ability. He has utilized a not indifferent intellect towards the worst purposes. Now when the proceedings have come to an end, he has made an almost abject appeal for lenient treatment. He has pleaded that if given a remission of all sentences he will be a good, loyal and useful citizen. He has withdrawn all allegations against persons in authority, and has to a large extent thrown his defence to the winds, although he has been careful to note at the same time that he does not withdraw a word of it. We do not believe in his repentance or in his sincerity. We consider that he is a man who, if he were let loose, would commit exactly the same crimes on his release. He has made in the course of his arguments a strong appeal for lenient treatment on the ground that it is not established that a shot from his weapon killed any one, but we are not disposed to consider this fact as of any consequence. He fired himself, he controlled the fire of others. It can only be taken that when he fired he understood the consequences of his act and it can only be taken that when he fired he aimed. The accuracy of his aim is unimportant. The gravity of this man's offences does not consist so much in the fact that he was engaged in a conspiracy to subvert the British Government. That is bad enough, but that offence is of minor importance in comparison with the other offences that he is proved

काकोरी केस में सेशन कोर्ट सजा पाए हुए क्रान्तिकारियों ने (बनवारी लाल, भूपेन्द्रनाथ सान्याल और शचीन्द्रनाथ सान्याल के अतिरिक्त) 18 जुलाई 1927 को अवध चीफ कोर्ट में अपील दायर की।

22 अगस्त 1927 को चीफ जस्टिस लुईस शर्ट द्वारा अपील का फैसला सुनाया गया जिसके अनुसार रामप्रसाद, राजेन्द्र, रोशन और अशफाक उल्ला खां की सजायें कायम रहीं, कुछ क्रान्तिकारियों की सजाएं बढ़ा दी गई तथा क्रान्तिवीर रामनाथ पाण्डे की सजा 5 साल से 3 साल कर दी गई।

(113)

to have committed. He has shown himself to be a deliberate callous murderer. He was ready to murder harmless fellow citizens against whom he had no possible grudge for the sake of his own objects. The Special Sessions Judge has very rightly sentenced him to death. We have already upheld his conviction on all charges and we dismiss his appeal, confirm the sentence of death passed against him in respect of the dacoity with murder committed at Bichpuri, and the dacoity with murder committed on the train. The result is that he will be hanged by the neck till he is dead. His remaining sentences will not be carried out if the death sentence is carried into effect.

(2) Rajendra Nath Lahiri.

This man stands second in depravity to Ram Prasad in this case. He and Ram Prasad formed the inner circle of the conspiracy. He was responsible for the policy of dacoity and the policy of murder. He is not as old as Ram Prasad but he has arrived at full intellectual maturity being as he is a man now of some twenty-five years of age. He has shown the greatest activities in all the objects of the conspiracy. He took part himself in the Train dacoity where he used fire-arms. In the Train dacoity he was one of the ring-leaders. We do not know which shot it was that deprived Ahmad Ali of his life, but every man who fired a shot on that occasion is equally deserving of the death penalty. We consider that the Special Sessions Judge took a correct view in sentencing this man to death. We dismiss his appeal, confirm the death sentence passed against him and direct that he be hanged by the neck till he is dead. The remaining sentences will not be carried out if the death sentence is carried into effect.

(3) Raushan Singh.

This man was not one of the inner circle. He is over thirty-six years of age. He is a villager rather than an intellectual, but it is clear that in the Bamrauli dacoity he was one of the ring-leaders and he was one of the men who took part in the continuous firing which resulted in the death of one man and the wounding of seven others. In our opinion it would not be undeserved if every man who took part in the Bamrauli dacoity in which there was a glut of firing had received the death sentence. It has not however been inflicted in every instance. In this case Raushan Singh is the only man who has been convicted of complicity in the Bamrauli dacoity. He has been rightly sentenced to death. We dismiss his appeal, confirm the sentence of death against him and direct that he be hanged by the neck till he is dead. The other sentences passed against him will not be carried out if the death sentence is carried into effect.

(114)

(4) Jogesh Chandra Chatterji.

We are satisfied upon the evidence that Jogesh Chandra Chatterji was one of the persons who originally conceived the idea of the conspiracy and that he was a member of what the rules call "The Central Council" which operated in Bengal. In these circumstances he must be held responsible for all the very serious offences committed by the conspirators. We consider that the Special Sessions Judge has passed on him too lenient a sentence. We enhance the sentences passed upon him under each section to sentences of transportation for life. They will run concurrently. His appeal is dismissed.

(5) Suresh Chandra Bhattacharji.

This appellant is a full-grown man who had a responsible position upon an Indian newspaper. We are satisfied that he was one of the inner circle in the province and in these circumstances we consider that the sentences passed upon him by the Special Sessions Judge are inadequate. We enhance the sentences passed upon him under each section to sentences of ten years' rigorous imprisonment. They will run concurrently. His appeal is dismissed.

(6) Vishnu Saran Dublis.

We are satisfied that this man also was one of the inner provincial circle and his case appears to us to stand on the same footing as that of Suresh Chandra Bhattacharji. We enhance his sentences similarly to sentences of ten years' rigorous imprisonment on each charge. These sentences will run concurrently. His appeal is dismissed.

(7) Manmatha Nath Gupta.

Manmatha Nath Gupta is a youth, but he is a youth of singular precocity in crime. Not only is it established that he was one of the party to whom important secretarial work was committed but he is proved to have taken part in no less than two dacoities. The Government has applied for the enhancement of his sentences. We consider that if he had been an older man he should have received very much heavier sentences but in view of the fact that he is only a youth we do not propose to enhance his sentences. We do not propose however to reduce them. His appeal stands dismissed.

(8) Govind Charan Kar.

We look upon this man as a particularly dangerous member of the conspiracy. He had come from Bengal to work the conspiracy up. Not only had he done so but he took part himself in the Train dacoity. He is a man of about thirty and we consider that the Special Sessions Judge has passed too lenient a sentence upon him. We enhance the sentences passed upon him

(115)

to sentences of transportation for life under each charge. These sentences will run concurrently. His appeal is dismissed.

(9) Makundi Lal.

Makundi Lal is proved to be not an important conspirator but he is proved to have been a very dangerous dacoit. He took a prominent part in the commission of the Train dacoity. The Special Sessions Judge has remarked about him that he is now at least thirty-five and so the chances are that he will not in future join in other dacoities, and that as regards conspiracy he does not think that he has brains to do much himself. We do not consider however that the fact that the man is thirty-five years of age is a sufficient reason far passing a light sentence upon him when he is proved to have taken a prominent part in a serious dacoity accompanied with murder. We enhance the sentences passed upon him to sentences of transportation for life on each charge. These sentences will run concurrently. His appeal is dismissed.

(10) Ram Kishan Khattri.

He has been convicted of conspiracy and has also been convicted of participation in the Bichpuri dacoity. He appears to us a dangerous man. He is not very old but he is not very young. He was at the commencement of the trial twenty-two years of age. The Crown has not applied for enhancement of his sentences. In the circumstances we could not enhance his sentences but we see no reason to reduce them. His appeal is dismissed.

(11) Prem Kishan Khanna.

The appellant is a man who was twenty-six years of age at the commencement of the trial. He had been working for some years as contractor. He is a man of good family and of good position. There is nothing to extenuate his joining a conspiracy of this nature and we see no reason to reduce his sentence on the charge under section 121-A. We have already accepted his appeal on the charge under Section 120-B. This disposes of his appeal.

(12) Raj Kumar Sinha.

His case is not as bad as the case of Manmatha Nath Gupta. He is some years older than Manmatha Nath Gupta, but was not as prominent a conspirator as Manmatha Nath Gupta, but he is proved to have taken part in the Train dacoity. The Special Sessions Judge has sentenced him to sentences lower than those passed upon Manmatha Nath Gupta. We consider the sentences passed upon him neither too high nor too low. We accordingly refuse to reduce these sentences and dismiss his appeal.

(116)

(13) Ram Dulare Trivedi.

Ram Dulare Trivedi was one of the original participants in the conspiracy but since then has taken a very minor part; but he was one of the original conspirators and we see no reason to reduce his sentences. His appeal is dismissed.

(14) Ram Nath Pande.

We have already allowed Ram Nath Pande's appeal in respect of his conviction under Section 120-B. In respect of his appeal on the conviction under Section 121-A, we find that he took a minor part in the conspiracy and we reduce his sentence from five years' rigorous imprisonment to three years' rigorous imprisonment. His appeal is otherwise dismissed.

(15) Parnawesh Kumar Chatterji.

As has already been stated this youth has withdrawn all his protestations of innocence and we have only to consider his appeal on the question of sentence. While we are inclined to believe that he is sorry for what he has done, we cannot lose sight of the fact that he had important duties in the conspiracy and was clearly one of the men entrusted with secretarial work. We feel however that we should do something for him and we reduce the sentences passed upon him under each section to sentences of four years' rigorous imprisonment which will run concurrently. His appeal is otherwise dismissed.

(Sd.) Louis Stuart,
Chief Judge.

(Sd.) S. M. Raza,
Judge.

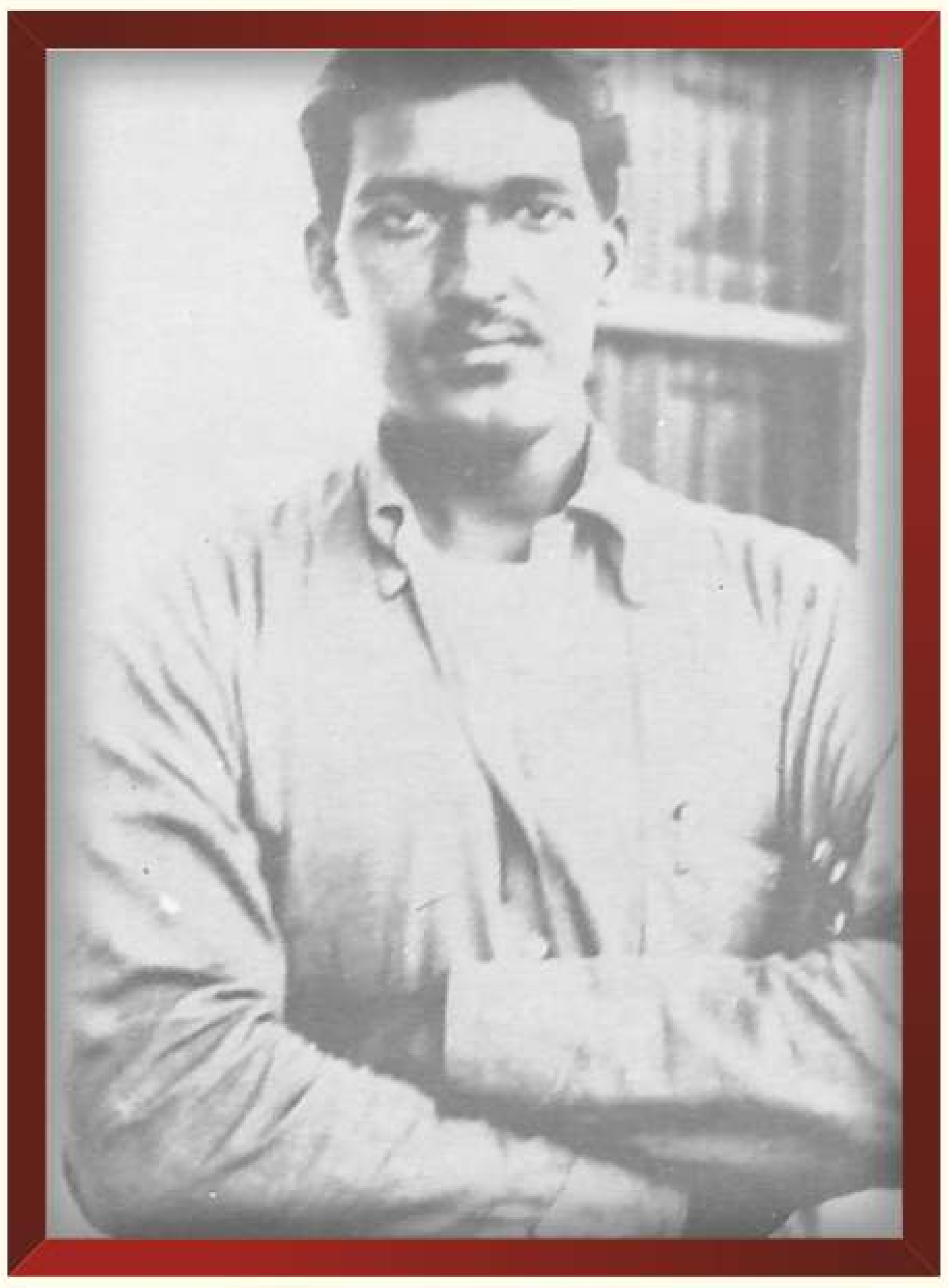
22nd August, 1927.

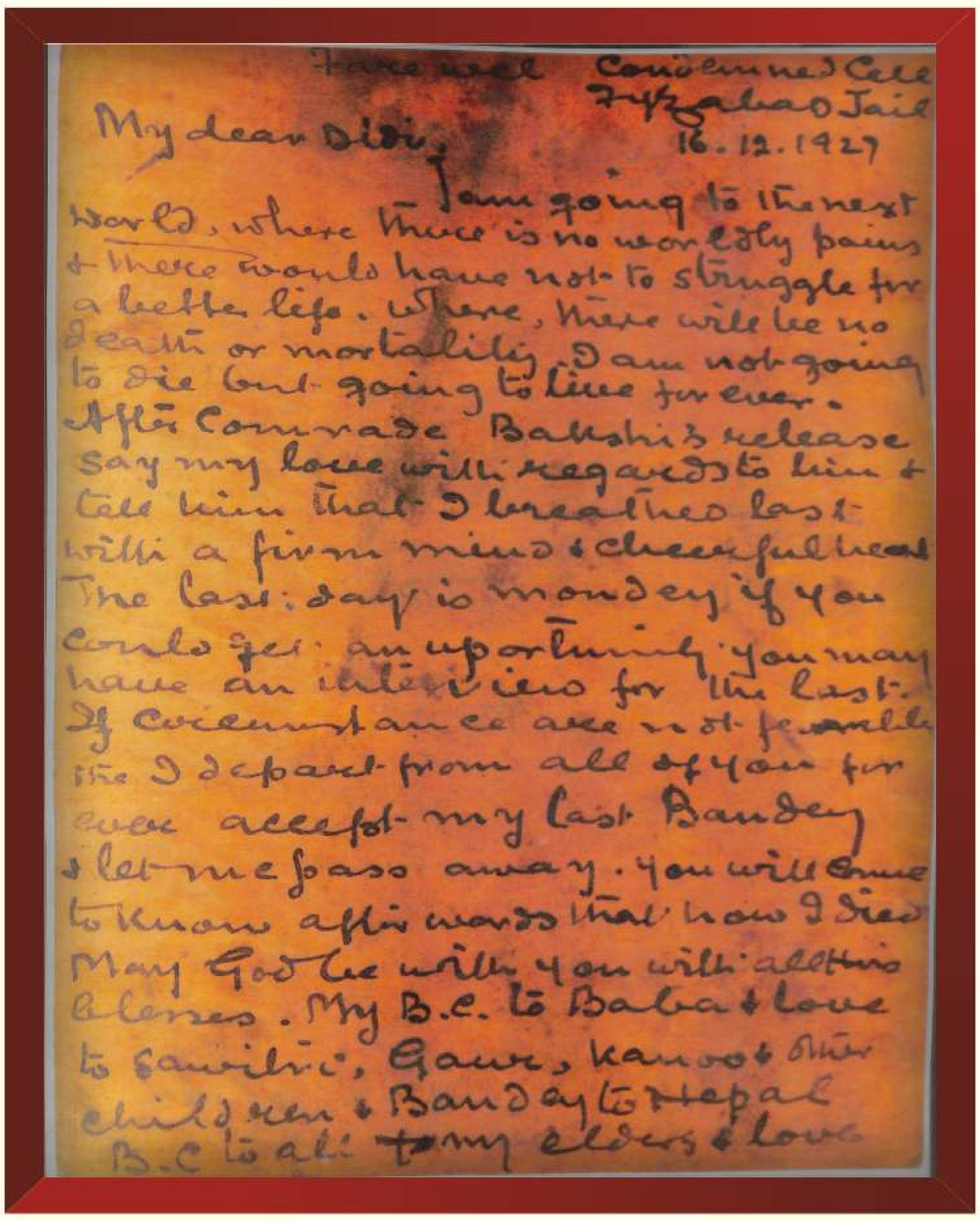
काकोरी केस में क्रान्तिकारियों को दी गयी सजा

काकोरी केस में क्रान्तिकारियों को दी गयी सजा

क्र0सं0	क्रान्तिकारी का नाम	सेशन कोर्ट द्वारा दी गयी सजा	अवध चीफ कोर्ट द्वारा निर्धारित सजा
1	रामप्रसाद बिस्मिल (आयु 28 वर्ष)	मृत्युदण्ड	यथावत्
2	राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी (आयु 24 वर्ष)	मृत्युदण्ड	यथावत्
3	रोशन सिंह (आयु 36 वर्ष)	मृत्युदण्ड	यथावत्
4	अशफाक उल्ला खां	मृत्यु दण्ड	यथावत्
5	शचीन्द्र नाथ सान्याल	आजीवन कालापानी	यथावत्
6	गोविन्द चरण कार	आजीवन कारावास	यथावत्
7	मुकुन्दी लाल (आयु 30 वर्ष)	आजीवन कारावास	यथावत्
8	शचीन्द्र नाथ बख्शी	आजीवन कारावास	यथावत्
9	मन्मथ नाथ गुप्त	14 वर्ष कारावास	यथावत्
10	जोगेश चन्द्र चटर्जी	10 वर्ष कारावास	आजीवन कालापानी
11	रामकृष्ण खत्री	10 वर्ष कारावास	आजीवन कारावास
12	राजकुमार सिन्हा	10 वर्ष कारावास	यथावत्
13	सुरेश चन्द्र भट्टाचार्य	7 वर्ष कारावास	10 वर्ष कारावास
14	विष्णु शरण दुबलिश	7 वर्ष कारावास	10 वर्ष कारावास
15	प्रेम कृष्ण खन्ना	5 वर्ष कारावास	यथावत्
16	राम दुलारे त्रिवेदी	5 वर्ष कारावास	यथावत्
17	भूपेन्द्र नाथ सान्याल	5 वर्ष कारावास	यथावत्
18	बनवारी लाल	5 वर्ष कारावास	यथावत्
19	प्रणवेश कुमार चटर्जी	5 वर्ष कारावास	4 वर्ष कारावास
20	रामनाथ पाण्डे	5 वर्ष कारावास	3 वर्ष कारावास
21	हरगोविन्द	बरी हो गये	
22	शचीन्द्रनाथ बिश्वास	बरी हो गये	
23	दामोदर स्वरूप	बरी हो गये	

अशफ़ाक़ उल्ला खाँ का पत्र 16.12.1927

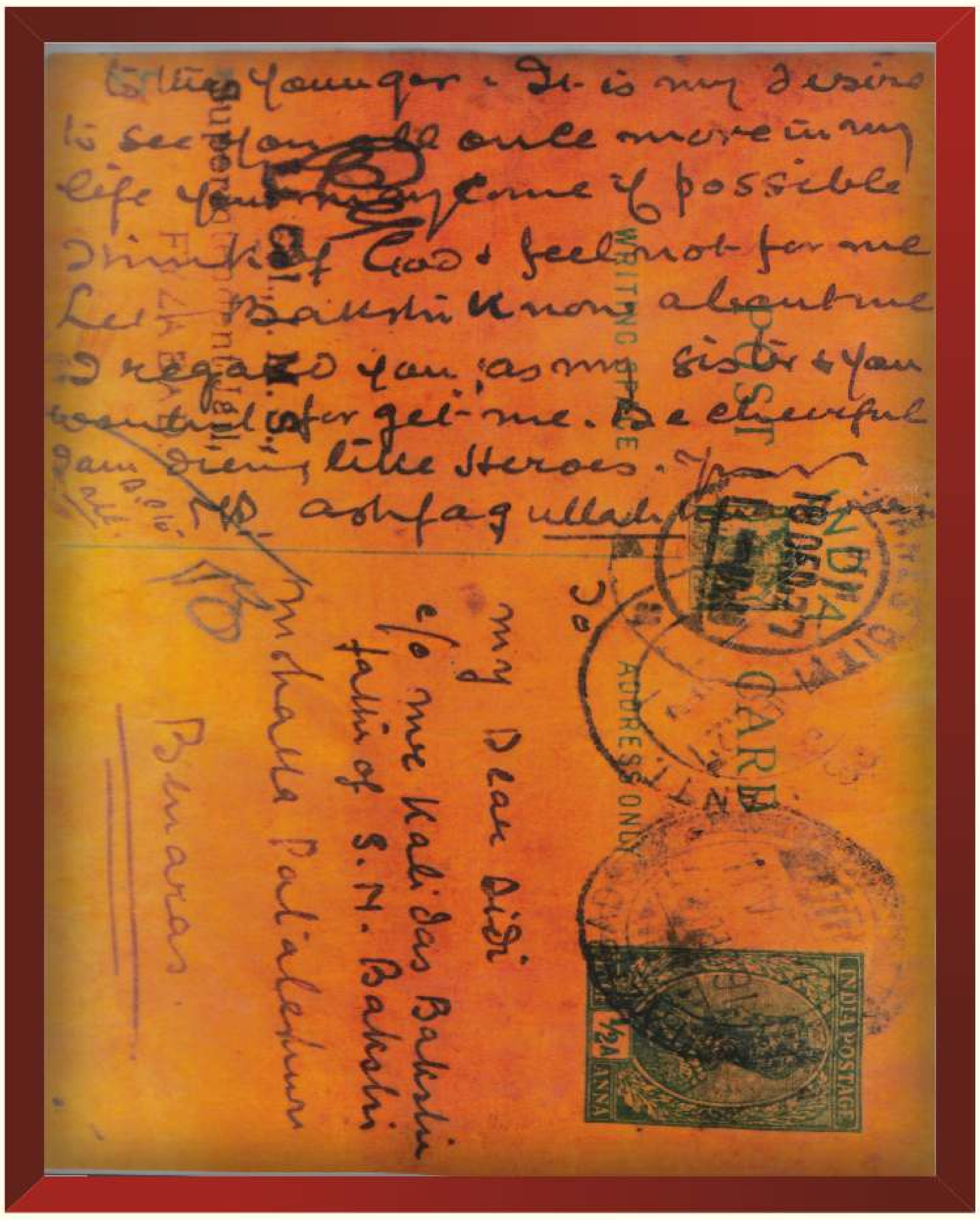




Farewell Condemned Cell
Fyzabad Jail
16.12.1927

My dear Didi,

I am going to the next world, where there is no worldly pains & there would have not to struggle for a better life. Where, there will be no death or mortality. I am not going to die but going to live for ever. After Comrade Bakshi's release say my love with regards to him & tell him that I breathed last with a firm mind & cheerful heart. The last day is monday if you could get an opportunity you may have an interview for the last. If circumstances are not favourable I depart from all of you for ever accept my last Bandey & let me pass away. You will come to know afterwards that how I died. May God be with you with all His blesses. My B.C. to Baba & love to Savitri, Gaur, Kanoo & other children & Banday to Nepal B.C to all of my elders & love



to the younger. It is my desire to see you all once more in my life you may come if possible. Think of God & feel not for me. Let Bakshi know about me. I regard you as my sister & you would not forget me. Be cheerful I am dying like Heroes. Your ashfaq ullah

My Dear Didi
c/o Mr Kalidas Bakshi
father of S.N. Bakshi
Mohalla Patalehun
Benaras

फैज़ाबाद जेल से प्रसिद्ध क्रान्तिकारी शचीन्द्रनाथ बख़्शी की बहन को लिखे पत्र में अशफ़ाक़ उल्ला खाँ ने लिखा कि वे शीघ्र ही 'अमर' होने जा रहे हैं। पत्र में आगे यह विचार व्यक्त किया गया कि वह स्पष्ट हृदय तथा स्पष्ट दिमाग़ के साथ दुनियां से जा रहे हैं।

व्यक्तिगत अभिलेख

अमर शहीद अशफ़ाक़-उल्ला-खाँ

''कुछ आरजू नहीं है, है आरजू तो यह है।
रख दे कोई ज़रा सी, खाके वतन कफन में।।
ए पुख्ताकारे उल्फत हुशयार डिग न जाना।
मेराजे आशिकाँ है इस दार और रसन में।।''

अशफाक उल्ला खाँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रान्तिकारी थे। देश हित में फाँसी पर शहीद होने वाले मुसलमानों में अमर शहीद अशफाक का नाम हमेशा सूरज की तरह चमकता रहेगा। उनसे पूर्व भी कई मुसलमानों ने क्रान्तिकारी आन्दोलन में भाग लिया परन्तु क्रान्तिकारी इतिहास के काकोरी युग के वे एक अकेले और विशिष्ट मुसलमान शहीद हुए।

अशफाक उल्ला खाँ का जन्म उत्तर प्रदेश के शहीदगढ़ शाहजहाँपुर में रेलवे स्टेशन के पास कदन खैल जलालनगर मुहल्ले में 22 अक्टूबर, 1900 को हुआ था। उनके वालिद का नाम मोहम्मद शफीक उल्ला खाँ तथा वालिदा का नाम मजहूरूनिशा था। अशफाक अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। सब उन्हें प्यार से 'अच्छू' कहते थे। राम प्रसाद बिस्मिल की भाँति अशफाक उल्ला खाँ भी उर्दू भाषा के बेहतरीन शायर थे। उनका उर्दू तखल्लुस 'हसरत' था। उर्दू के अतिरिक्त वे हिन्दी व अंग्रेजी में लेख व कविताएं भी लिखा करते थे। उनका पूरा नाम अशफाक उल्ला खाँ वारसी हसरत था। (एम.आई.राजस्वी की पुस्तक–शहीद–ए–वतन, अशफाक उल्ला खाँ)

अशफाक तैराकी घुड़सवारी, क्रिकेट, हाँकी, बन्दूक से निशानेबाजी में अच्छी महारत रखते थे। वह एक चित्ताकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। शाहजहाँपुर में वह राम प्रसाद बिस्मिल के अच्छे मित्र थे। राम प्रसाद बिस्मिल 'हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र संघ' नामक क्रान्तिकारी दल की गतिविधियों के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। जब ब्रिटिश सरकार द्वारा मैनपुरी केस के आरोपियों को माफ कर दिया गया तो बिस्मिल जी पुनः क्रान्तिकारी कार्यों में लग गए, अशफाक ने उनके साथ क्रान्तिकारी कार्यों में भाग लेने की इच्छा प्रकट की। पहले तो बिस्मिल जी उन्हें टालते रहे परन्तु बाद में उनका दृढ़ आग्रह देखकर उन्होंने उन्हें क्रान्तिकारी दल में शामिल कर लिया।

राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा 'हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र संघ' की शाहजहाँपुर में एक बैठक आयोजित की गयी। अशफाक भी इस बैठक में उपस्थित थे। क्रान्तिकारी गतिविधियों के लिए धन की आवश्यकता के मद्देनजर बैठक में बिस्मिल जी द्वारा सुझाव रखा गया कि सरकारी खज़ाना हासिल किया जाए। उन्होंने अपना एक अनुभव भी साझा किया कि जब वे शाहजहाँपुर से लखनऊ यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि स्टेशन से होने वाली आय एक खुले हुए स्टील बॉक्स में रखी थी। उनका सुझाव था उस बॉक्स

को रेलगाड़ी से लूट लेना चाहिए। दल के ज्यादातर सदस्यों ने उनके विचार का समर्थन किया व उसके प्रति उत्साह प्रदर्शित किया। केवल अशफाक द्वारा थोड़ा दुराव प्रकट किया गया। उन्होंने कहा– ''यह कार्य सरकार और क्रान्तिकारियों के मध्य सीधा टकराव उत्पन्न कर देगा। यह ब्रिटिश सरकार को खुली चुनौती होगी और तब उनके द्वारा हमें समाप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी जायेगी।'' इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में थोड़ी सी प्रगति के बिना ही हमारा नाश हो जाएगा और हम अपने उद्देश्य में असफल हो जाएंगे। मेरे कहने का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि मैं डर गया था मैं इस कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा, सरकारी खज़ाने से धन लेने के निश्चय पर आगे बढ़ा जाता है तो मैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसमें भाग लूंगा।''

उनके सुझाव पर ध्यान दिया गया परन्तु संघ का बहूमत सरकारी खज़ाने से धन लेने के निश्चय की योजना को क्रियान्वित करने का था। अतः योजना को क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया। 09 अगस्त, 1925 को 10 क्रान्तिकारियों द्वारा 8–डाउन मुरादाबाद लखनऊ यात्री ट्रेन को काकोरी और आलमबाग के मध्य चेन खींच कर रोक लिया गया व सरकारी खजाने पर कब्ज़ा कर लिया गया। जैसा कि पहले ही क्रान्तिवीर अशफाक ने सम्भावना व्यक्त की थी ब्रिटिश सरकार ने क्रान्तिकारियों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी। सरकार ने काकोरी ट्रेन घटना में शामिल किसी भी अभियुक्त को पकड़वाने के लिए मदद करने वालों को 5000/– इनाम देने की घोषणा की। मन्मथनाथ गुप्त, राम प्रसाद बिस्मिल, प्रेम किशन खन्ना, इन्द्रभूषण मिश्र, हरगोबिन्द और बनारसी लाल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया परन्तु अशफाक शाहजहाँपुर से फरार हो गये। अशफाक को पकड़ने के लिए सबइंस्पेक्टर (सी0आई0डी0) मुन्शी फशाफत हुसैन को नियुक्त किया गया। उनके मन में रूस जाने का विचार आया इसके लिए पहले वह काबुल जाना चाहते थे। इसकी तैयारी हेतु वह दिल्ली गये जहाँ उन्हें 08 सितम्बर, 1926 को गिरफ्तार कर लिया गया। अशफाक उल्ला खाँ के भाई रियासत उल्ला खाँ के अनुसार, ''उन्हें सैयद हबीब अहमद ने गिरफ्तार कराया! अशफाक डाल्टनगज से ऊब गये और वह इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए विदेश जाने के लिए उत्साहित हुए। इस फिराक में वह दिल्ली गये और वहाँ उनका एक सहपाठी मित्र मिल गया, जो शाहजहाँपुर का पठान था। वह मित्र बड़े तपाक से उन्हें अपने डेरे पर ले गया। दोनों ने मिलकर खाना खाया और अशफाक वहाँ से रात के ग्यारह बजे अपने ठीहे पर पहुँचे और सबेरा होते–होते गिरफ्तार कर लिए गये। स्पष्ट था कि पठान मित्र ने इनाम के लालच में अशफाक को गिरफ्तार करा दिया। इस मामले में न तो धर्म काम आया, न पड़ोसी और न सहपाठी ही।'' यह भी कहा जाता है कि अशफाक उल्ला खाँ को उनके मित्र ने नहीं बल्कि शाहजहाँपुर के अतीक खाँ ने गिरफ्तार कराया। वह दिल्ली में कोयले की टोल पर काम करता था। उसने अशफ़ाक को अपने मित्र के मकान में जाते देखा। अतीक अशफ़ाक़ के पीछे–पीछे गया और बाद में पुलिस को सूचना देकर गिरफ्तार करा दिया।

जेल में पहुंचते ही गुप्तचर विभाग ने ऐसी व्यवस्था की कि सब अभियुक्त एक–दूसरे से अलग रखे जाएं। अशफाक पर लखनऊ में अलग से काकोरी पूरक केस चला क्योंकि मुख्य केस राम प्रसाद बिस्मिल आदि पर पहले ही चल रहा था।

मुकदमा अशफाक और शचीन्द्रनाथ बख्शी पर सेशन अदालत में चला तो उसमें शचीन्द्रनाथ बख्शी के वकील श्री चन्द्रभानु गुप्त नियुक्त हुए। अशफाक ने कहा कि ''मैं तो अपना वकील सिर्फ श्री कृपाशंकर हजेला को ही करना चाहता हूँ।'' उनसे कहा गया ''हजेला साहब तो आर्यसमाजी हैं, तुम्हें लटकवा देंगे।'' उन्होंने कहा, ''अच्छा है, उनके ही हाथसे यह काम हो।'' अदालत को अन्ततः उनका आग्रह मानना पड़ा।

काकोरी केस के क्रान्तिकारियों मे एक मात्र मुसलमान अशफाक उल्ला खॉ थे। अतः मुकदमे के दौरान मुसलमान अधिकारियों खास तौर पर सुपरिण्टेडेण्ट पुलिस तसद्‌दुक हुसैन का एक मात्र उद्‌देश्य यह था कि अशफाक उल्ला और उनके परिवार के लोगों को समझाया जाए कि क्रान्तिकारी आन्दोलन एक हिन्दू आन्दोलन है जिससे मुसलमानों को अलग रहना चाहिए। मजिस्ट्रेट सैयद ऐनुद्‌दीन तथा उप पुलिस अधीक्षक खान बहादुर तसद्‌दुक हुसैन चाहते थे कि अशफाक उल्ला खॉ या तो सरकारी गवाह बन जाये या वह इकबाल जुर्म कर लें। उनके द्वारा अशफाक उल्ला के बड़े भाई रियासत उल्ला खाँ को अशफाक से यह बात कहने के लिए कहा। उन्होंने यह बात अशफाक उल्ला के सामने रखी, इस पर उनकी प्रतिक्रिया का वर्णन रियासत उल्ला खाँ ने निम्न शब्दों में किया है– ''वह बहुत हॅसे और कहा कि भैया मैं क्या इकबाल जुर्म करूँ जब कि मैं एक बात भी नहीं जानता हूँ,'' .... ''यह बखूबी जानता हूँ कि मुझे फांसी देने की तजबीज है। अच्छा है अगर हुकम खुदा यूँ ही है तो क्या चारा। मैं बिल्कुल तैयार हूँ .... अगर मेरे फाँसी देने से सी0आई0डी0 की खुशी पूरी होती है तो अच्छा है, क्योंकि मैंने तो आजादिये हिन्द का बीड़ा उठाया है, जो अभी खुदा को मन्जूर नहीं।''

क्रान्तिवीर जोगेशचन्द्र चटर्जी भी अशफाक की दृढ़ता का वर्णन करते हैं। उनके शब्दों में, ''अशफाक दिल्ली में पकड़े गये। काकोरी केस के स्पेशल मजिस्ट्रेट सैयद ऐनुद्‌दीन उन्हें रिजर्व सेकेण्ड क्लास में बिठाकर दिल्ली से लखनऊ ले जा रहे थे। रास्ते में चतुर मुस्लिम मजिस्ट्रेट ने उन्हें कितने ही पाठ पढ़ाये और कहा– ''तुम तो अकेले मुसलमान हो, जो इन हिन्दुओं के साथ फांसी पर लटकोगे। तुम इनका साथ छोड़ दो, मैं तुम्हें बचा लूॅगा।'' लेकिन एनुद्‌दीन की यह कोशिश बिल्कुल बेकार गयी। अशफाक सब कुछ सुनने बाद एक ही जवाब देते थे कि ''चूॅकि मैं अकेला मुस्लिम हूॅ इसलिए मेरी जिम्मेदारी और भी भारी है।'' उनके घराने के बड़े–बड़े आदमी भी उनके पीछे लगाये गये, उन्हें भी अशफाक यही कहा करते थे कि ''मैं अकेला ही मुस्लिम हूॅ, पठान हूँ, मैंने कुछ गड़बड की तो मुस्लिम व पठान कौम पर धब्बा लग जायेगा। मुझे बाइज्जत मर मिटने दो।''

क्रान्तिकारियों में अशफाक उल्ला खाँ और शचीन्द्रनाथ बक्शी पर अलग से मुकदमा चलाया गया जिसमें बख्शी को आजन्म काला पानी तथा अशफाक उल्ला खाँ को फॉसी की सजा दी गयी। जिस दिन सेशन जज जे0 आर0 डब्लू0 बैनट ने अदालत में मुकदमें का फैसला सुनाया अशफाक उल्ला खाँ बसन्ती रंग के वस्त्र पहनकर बहुत उल्लास से न्यायालय में प्रविष्ट हुए। अशफाक को अन्य सजाओं के अतिरिक्त फॉसी की सजा दो घटनाओं (काकोरी केस तथा बिचपुर डकैती) में अलग–अलग मिली। सेशन कोर्ट के फैसले के विरूद्ध अवध चीफ कोर्ट में अपील की गयी परन्तु वहां भी उन्हें फांसी की सजा हुई। उनके वकील श्री हजेला द्वारा अफसोस जाहिर करने पर अशफाक ने कहा, ''अफसोस! किस बात का? यह तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे हुब्बे वतन का आलातरीन इनाम मिला है।''...........

अशफाक उल्ला खाँ को फैजाबाद जेल में फांसी पर लटकाया गया। वह बहुत खुशी के साथ, कुरान–शरीफ का बस्ता कंधे पर टाँगे हाजियों की भॉति 'लवेक' कहते और कलाम पढ़ते फांसी के तख्ते के पास गए। तख्ते को उन्होंने बोसा (चुम्बन) दिया और उपस्थित जनता से कहा, ''मेरे हाथ इन्सानी खून से कभी नहीं रंगे, मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया, वह गलत है, खुदा के यहाँ मेरा इन्साफ होगा।'' इसके बाद उनके गले में फंदा पड़ा और खुदा का नाम लेते हुए वह इस दुनिया से कूच कर गये। मरने से पहले उन्होंने एक शेर कहा था–

''मौत एक रोज आनी है तो डरना क्या है,
हम सदा खेल ही समझा किये मरना क्या है।
तंग आकर हम भी उनके जुल्म के बेदाद से।
चल दिये सुए अदम जिन्दाने फैजाबाद से।।''

उनका अंतिम दर्शन करने वाले लोगों ने बताया कि ''चेहरे पर 10 घंटे के बाद भी बड़ी शान्ति और मधुरता थी।............ चेहरा तो ऐसा सजीव था कि मालूम होता था कि अभी–अभी नींद आयी है, यह नींद अनन्त थी।''

शहीद अशफाक उल्ला खाँ को जिन्दगी और शहादत देश के नौजवानों के लिए आदर्श है। वह उन्हें हिन्दू–मुस्लिम एकता और देश में राजनीतिक आजादी कायम रखने और उसमें जनता की आर्थिक आजादी बढ़ाने के लिए हमेशा प्रभावित करती रहेगी।

''ये झगड़े और बखेड़े मेटकर आपस में मिल जाओ।
ये तफ़रीक़े अबस है तुम में हिन्दू और मुसलमाँ की।''
''जिन्दगी बादे फना तुझको मिलेगी 'हसरत'
तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा।''
''वतन हमेशा रहे शाद काम और आजाद
हमारा क्या है अगर हम रहे रहे न रहे।''

अमर शहीद पं0 राम प्रसाद बिस्मिल



अमर शहीद पं. रामप्रसाद 'बिस्मिल'

''महसूस हो रहे हैं बादे फना के झोंके,
खुलने लगे मुझ पर असरार जिन्दगी के।
यदि देश हित मरना पड़े मुझको अनेकों बार भी,
तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊँ कभी,
हे ईश! भारतवर्ष में शत बार मेरा जन्म हो,
कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो।''

पं0 राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की क्रान्तिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे, जिन्हे परतन्त्र भारत की उत्पीड़क ब्रिटिश सरकार की अदालत ने सशस्त्र क्रान्तिकारी दल का मुख्य संगठन कर्ता और नेता घोषित किया और काकोरी केस में उन्हें 30 वर्ष की आयु में 'प्राण दण्ड' – सशस्त्र क्रान्तिकारी देशभक्ति का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया। उनके पूर्वज मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के तोमरधार के निवासी थे। उनके दादा जी श्री नारायण लाल जी अत्यधिक गरीबी व पारिवारिक कलह के कारण अपनी जन्मभूमि छोड़कर अपने दो पुत्रों व धर्मपत्नी के साथ उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में आ बसे थे। इन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र पं0 मुरलीधर जी पं0 राम प्रसाद बिस्मिल के पिता थे। इनकी माता का नाम मूलमती था जो कि एक धार्मिक विचारों की महिला थीं। पं0 राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून, 1897 (ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी संवत् 1954 विक्रमी) में हुआ था। प्रारम्भ से ही इनकी शिक्षा पर आर्य समाज का प्रभाव रहा। उस समय की आर्यसमाजी शिक्षा सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से क्रान्तिकारी विचारधारा की शिक्षा थी। अतः किशोरावस्था से ही उनका सम्पर्क तत्कालीन सशस्त्र क्रान्तिकारियों से हो गया थां

पं0 राम प्रसाद एक उच्चकोटि के शायर, कवि व लेखक होने के साथ–साथ बहुभाषी, इतिहासकार व अनुवादक भी थे। देश के नवयुवकों को क्रान्ति के मार्ग पर लाने के लिए प्रेरित करने हेतु उन्होंने बहुत सी अच्छी किताबें लिखीं तथा आर्थिक तंगी होने पर भी उन्हें प्रकाशित कराया। ये पुस्तकें थीं :–(1) बोलशेविकों की करतूतें (2) मन की लहर (3) कैथेराइन (4) स्वदेशी रंग (5) क्रान्तिकारी जीवन (जो प्रकाशित न हो सकी)। उन्होंने कई अंग्रेजी और बंगला की पुस्तकों का अनुवाद भी किया

(यह भी प्रकाशित न हो सकी)। कई मासिक पत्रिकाओं में उन्होंने 'राम' व 'अज्ञात' नाम से लेख व कविताएं लिखीं जो अत्यधिक लोकप्रिय हुए। 'बिस्मिल' उनका उर्दू तखल्लुस (उपनाम) था, जिसका हिन्दी में अर्थ होता है (आत्मिक रूप से आहत)। लेखक के रूप में रामप्रसाद जी की सर्वोत्कृष्ट कृति उनकी 'आत्मकथा' है। बिस्मिल जी ने देशवासियों से अपनी कुछ 'अन्तिम बात' के रूप में यह 'आत्मकथा' गोरखपुर जेल की फाँसी की कोठरी में फॉसी पर झूलने के तीन दिन पहले तक अधिकारियों की नजर बचाकर लिखीं। उन्हीं के शब्दों में–

''............. आज 16 दिसम्बर, 1927 ई0 को निम्नलिखित पंक्तियों का उल्लेख कर रहा हूँ, जबकि 19 दिसम्बर, 1927 सोमवार (पौष कृष्ण 11 सम्वत् 1984 वि0) को साढ़े छः बजे प्रातःकाल इस शरीर को फांसी पर लटका देने की तिथि निश्चित हो चुकी है।''

जिस मनोदशा में तथा जिस भावना से प्रेरित होकर यह आत्मकथा लिखी गयी, उसे स्वयं बिस्मिल जी की इन पंक्तियों से समझा जा सकता है– ''...... इसी कोठरी में यह सुयोग प्राप्त हो गया कि अपनी कुछ अन्तिम बात लिखकर देशवासियों को अर्पण कर दूँ। सम्भव है कि मेरे जीवन के अध्ययन से किसी आत्मा का भला हो जाए। बड़ी कठिनता से यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ।''

इस आत्मकथा को अंग्रेजों की नजर से बचाकर तीन खेपों में, एक सहानुभूति रखने वाले जेल वार्डर के हाथ, गोरखपुर से प्रकाशित होने वाले सुप्रसिद्ध पत्र 'स्वदेश' के सम्पादक श्री दशरथ प्रसाद द्विवेदी के पास भेजा था। अन्ततः इस जीवनी की यह पाण्डुलिपि अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी ('प्रताप' कानपुर के यशस्वी सम्पादक) के पास पहुँची, जिन्होंने समयानुरूप सुसंपादित करके उसे 'काकोरी के शहीद' नामक पुस्तक में छापकर प्रकाशित किया। वह पुस्तक सरकार द्वारा जब्त कर ली गयी। इसे सम्पादकाचार्य डा0 बनारसीदास चतुर्वेदी ने आत्माराम एण्ड सन्स दिल्ली से 'शहीद ग्रन्थमाला' में प्रसिद्ध क्रान्किारियों डा0 भगवानदास माहौर द्वारा लिखित 'भूमिका', श्री मन्मथनाथ गुप्त द्वारा लिखित 'परिशिष्ट' और श्री शिव वर्मा द्वारा लिखित राम प्रसाद जी की माता की व्यथा–कथा के रूप में बहुत ही मर्मस्पर्शी 'मेरी डायरी का एक पृष्ठ' से समन्वित कर प्रकाशित कराया। बिस्मिल जी अपने अन्तिम शब्दों (अपनी आत्मकथा) द्वारा देशवासियों को एकता व देशभक्ति का संदेश देते हैं–

''मरते 'बिस्मिल', 'रोशन', 'लहरी', 'अशफाक' अत्याचार से।
होंगे पैदा सैकड़ों इनके रूधिर की धार से।''

बनारसीदास चतुर्वेदी ने इसे संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा कहा है क्योंकि यह एक शहीद द्वारा फांसी की छाया में अतुलनीय साहस व उत्साह से देशवासियों को प्रेरित करने हेतु लिखी गयी, उन्होंने इसकी तुलना चेकोस्लोवाकिया के नाजी अत्याचारों के शहीद 'फूचित की आत्मकथा' से की है जो कि जेल में छिपकर लिखी गई व बाहर भेजी गयी थी। राम प्रसाद बिस्मिल 'हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र संघ' नामक क्रान्तिकारी दल के लिए कार्य करते थे जिसके मुख्य संगठन कर्ता शचीन्द्रनाथ सान्याल थे। इसकी उग्रवादी शाखा के मुख्य नेता पं0 राम प्रसाद थे। जब भी कोई साहसिक कार्य करना होता बिस्मिल इसकी योजना बनाते व कियान्वयन का नेतृत्व करते। 1915–16 में पं0 गैंदालाला दीक्षित के नेतृत्व में क्रान्तिकारी गतिविधियों के अर्न्तगत जो मैनपुरी केस चला उसमें राम प्रसाद फरार हो गये और अन्त तक पुलिस की पकड़ में नहीं आये। प्रथम विश्वयुद्ध की विजय के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने उक्त केस के सभी अभियुक्तों को माफी घोषणा कर दी तथा वे सामने आए व पुनः सशस्त्र क्रान्ति के प्रयास में लग गये। महात्मा गांधी जी द्वारा 04 फरवरी, 1922 को चौरी–चौरा की घटना के बाद असहयोग आन्दोलन स्थगित कर दिया गया, जिससे क्रान्तिकारी विचारधारा के

नवयुवकों मे व्यापक असंतोष व्याप्त था और वे पुनः अपनी गतिविधियों के माध्यम से भारत माता की गुलामी की जंजीरों को तोड़ डालने के लिए उद्धत थे। इन्हीं क्रान्तिकारी विचारों को एक व्यवस्थित रूप देने का कार्य पं0 राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा किया गया। उन्होंने शाहजहॉपुर के अनेक नवयुवकों यथा– अशफाक उल्ला खॉं, राजेन्द्र लाहिड़ी, प्रेम किशन खन्ना आदि को संघ में सम्मिलित किया। क्रान्तिकारी गतिविधियों हेतु शस्त्र एवं गोला बारूद खरीदने हेतु शीघ्र क्रान्तिकारियों को अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। इन परिस्थितियों में दल ने सरकारी खजाने को हासिल कर धन प्राप्त करने की योजना बनाई, जो कि प्रसिद्ध 'काकोरी घटना' के नाम से 09 अगस्त, 1925 को घटित हुआ। काकोरी ट्रेन एक्शन भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास के पन्नों पर दर्ज एक उल्लेखनीय क्रान्तिकारी घटना है, जिसने तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता को परेशानी में डाल दिया। ब्रिटिश पुलिस द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर शिंकजा कसा गया व देश के विभिन्न क्रान्तिकारी दलों के 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

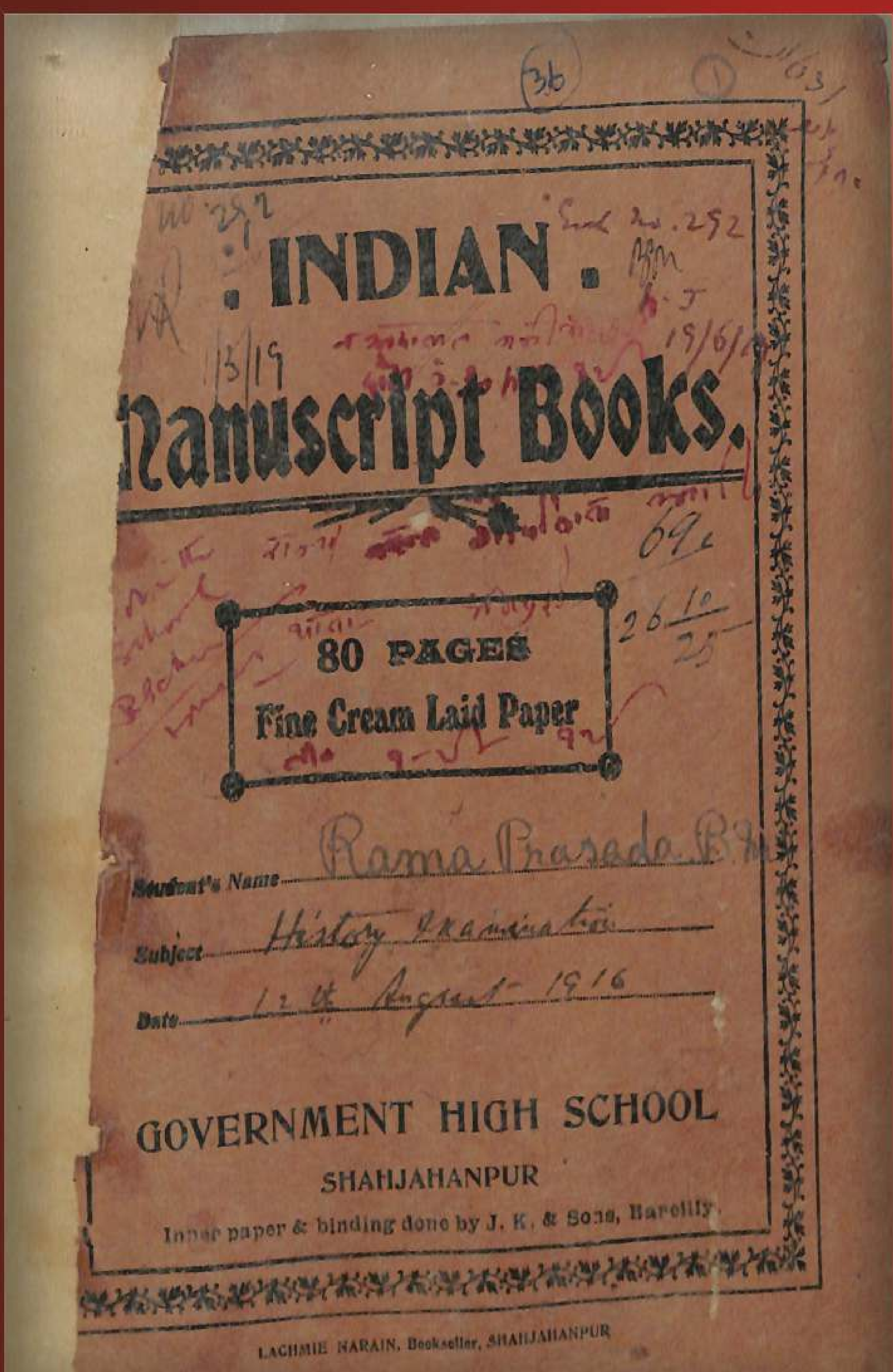
इस पूरे प्रकरण का अदालत से फैसला आने में 02 वर्ष का समय लग गया। बिस्मिल को तत्कालीन संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध की लखनऊ सेण्ट्रल जेल की 11 नवम्बर बैरक में रखा गया था। इसी जेल में उनके अन्य साथियों को भी रखा गया तथा उन सभी पर ब्रिटिश राज के विरूद्ध साजिश रचने का ऐतिहासिक मुकदमा चलाया गया। जेल में उन्हें तथा अन्य अभियुक्तों को विभिन्न प्रलोभन दिये गये ताकि वे सरकारी गवाह बन जायें। स्वयं गुप्तचर विभाग के पुलिस अधीक्षक तथा कलेक्टर राम प्रसाद बिस्मिल से मिले किन्तु उन्हें प्रलोभन देने में असफल रहे। इस घटना का राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में निम्न शब्दों में वर्णन किया है:– ''थोड़े दिनों बाद जिला कलेक्टर मिले। कहने लगे फांसी हो जायेगी बचना हो तो बयान दे दो। मैंने कुछ उत्तर न दिया तत्पश्चात् खूफिया पुलिस के कप्तान साहब मिले, बहुत सी बातें की। .... अन्त में उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि यदि मैं बंगाल का सम्बन्ध बताकर कुछ बोलशेविक सम्बन्ध के विषय में अपना बयान दे दूॅं तो वे मुझे थोड़ी सी सजा करा देगे और सजा के थोड़े दिनों बाद ही जेल से निकाल कर इंग्लैण्ड भेज देगे और रू0 15,000/– पारितोषिक भी सरकार से दिला देगे। मैं मन ही मन बहुत हंसता था अन्त में एक दिन फिर मुझसे जेल में मिलने को गुप्तचर विभाग के कप्तान साहब आये। मैंने अपनी कोठरी से निकलने से इन्कार कर दिया। वह कोठरी पर आकर बहुत सी बाते करते रहे, अन्त में परेशान होकर चले गये।''

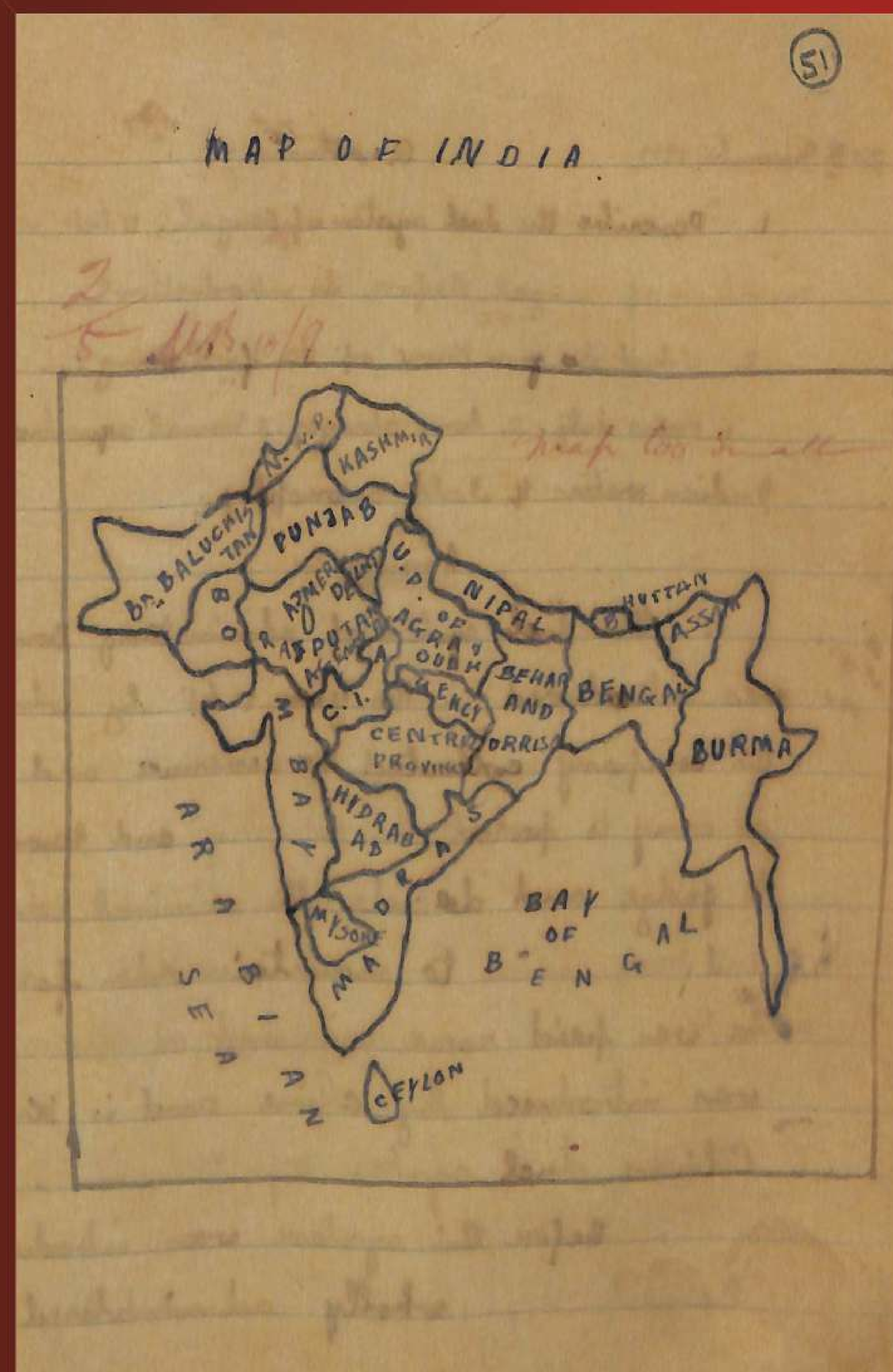
क्रान्तिकारी दल के कई प्रसिद्ध नेताओं को विभिन्न धाराओं के तहत सजा मिली। पं0 राम प्रसाद बिस्मिल के साथ–साथ अशफ़ाक़ उल्ला खां, राजेन्द्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई। 19 दिसम्बर, 1927 को पं0 राम प्रसाद जी को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गयी। 'बिस्मिल जी द्वारा फांसी घर के द्वार पर नारा लगाया ''आइ विश दि डाउनफाल आफ दि ब्रिटिश एम्पायर!'' 'वंदेमातरम्', 'भारत माता की जय' कहते हुए वह बड़े उत्साह से गा उठे:–

''मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे,
बकी न मैं रहूॅं ना मेरी आरजू रहे।
जब तक कि तन में जान जिगर में लहू रहे,
तेरा ही जिक्र या तेरी ही जस्तजू रहे।।''

गोरखपुर के इतिहास में यह ऐसा अवसर था जब बिस्मिल की अर्थी के पीछे'' राम प्रसाद बिस्मिल जिन्दाबाद'' के नारों के साथ एक ऐतिहासिक भीड़ चल रही थी। जो शानदार मौत बिस्मिल को प्राप्त हुई, लाखों व्यक्तियों में शायद एक– दो को ही मिलती है। बिस्मिल मात्र 30 वर्ष (1897–1927) जीवित रहे, जिसमें 11 वर्ष क्रान्किारी जीवन में व्यतीत किए।

मैनपुरी केस में ज़ब्त रामप्रसाद बिस्मिल की उत्तर पुस्तिका





मैनपुरी केस
पत्रावली सं0 36

20th November 1917 Questions :-

1. Describe the dual system of Bengal. What was the condition of Bengal before its introduction?

2. What do you know of the following :-

1. Excise duty 2. home charges. 3 naval squadrons in Indian waters 4 Salt monopoly.

Answers :-

1. The dual system of administering Bengal was introduced in the year 1765 by which the company collected the revenue and maintain an army to protect the country and Nawab was to judge and decide the criminal cases and keep police to maintain order for which he was paid some ammount of money. This was introduced by Clive and is known Clives dual system of Bengal.

Before this system was introduced Bengal was wholly administered by

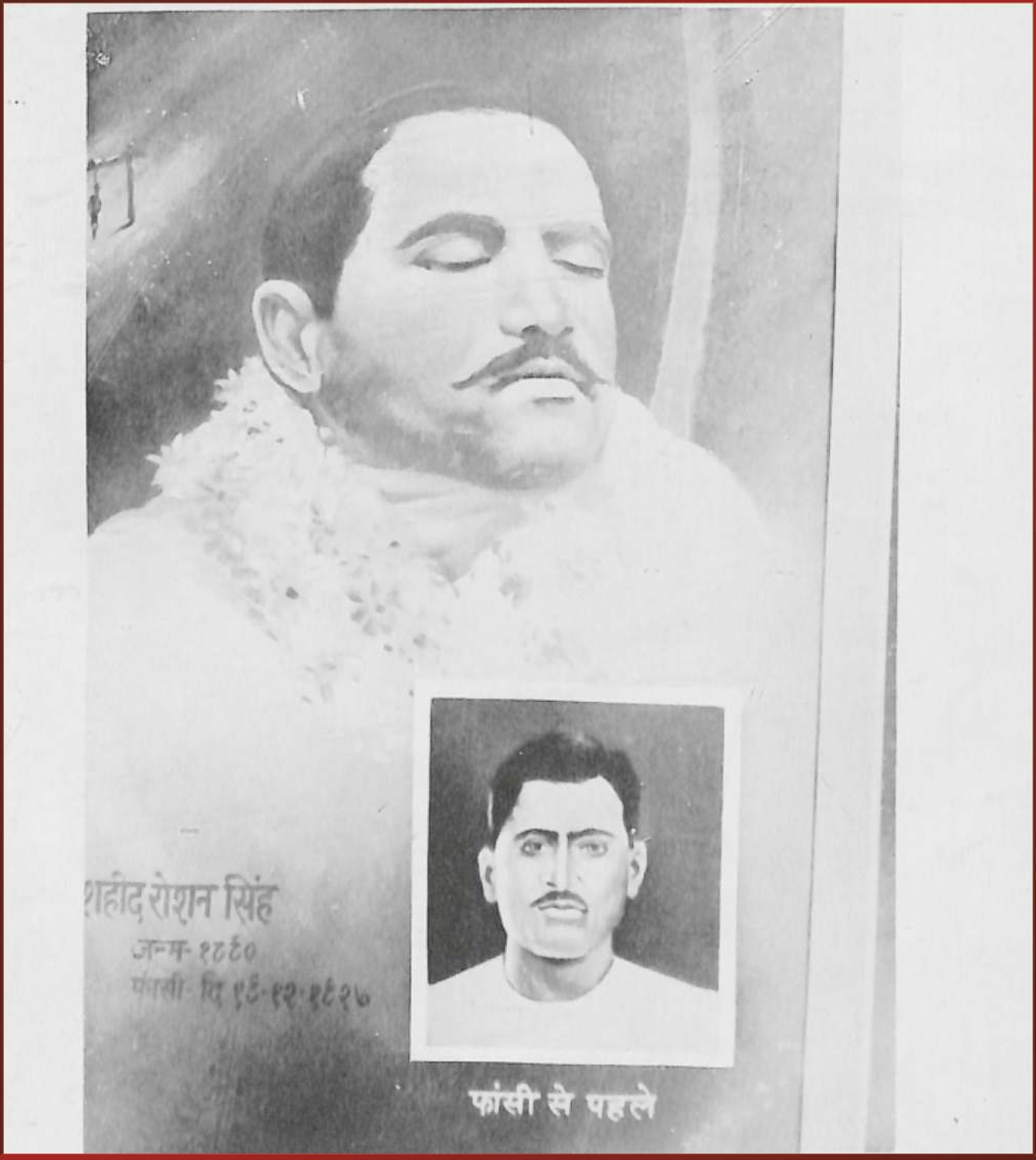
---

Salt monopoly is government monopoly and is taxed. This tax is paid by the rich and poor alike. The consumption of salt is sure index to the condition of the people. It is prepared by the government only and sold.

Home charges. These are expenses incurred in England itself on account of the salary of the India Office including the Secretary of State for India and his councillors, who from England superintend the affairs of India.

1 1/4
2 3/4
5 R

अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह



''अपना–अपना हौसला है, अपना–अपना ज़ब्ते ग़म ।
वह कफ़स कहते रहे, हम आशियाँ कहते रहे।।

क्रान्तिकारी ठाकुर रोशन सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जनपद में फतेहगंज से 10 किलोमीटर दूर स्थित गाँव नबादा में 22 जनवरी, 1892 को हुआ था। आपकी माता जी का नाम कौशल्या देवी एवं पिता जी का नाम ठाकुर जंगी सिंह जी था। आपका पूरा परिवार आर्य समाज की विचारधारा से प्रेरित था। ठाकुर रोशन सिंह के क्षत्रिय सुलभ शौर्य और बल के गुणों को फलने–फूलने हेतु देशभक्ति का क्षेत्र मिल गया। ठाकुर रोशन सिंह लाठी, तलवार और रायफल चलाने में प्रवीण थे। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका अंग्रेजी ज्ञान तो न के बराबर था परन्तु वे हिन्दी–उर्दू अच्छी तरह जानते थे।

ठाकुर रोशन सिंह वास्तव में अत्यधिक समृद्ध थे और आरामपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास एक बड़ा घर और बहुत सारे खेत थे। असहयोग आन्दोलन शुरू होने पर वह इसमें उत्साहपूर्वक सम्मिलित हो गए। उन्होंने शाहजहाँपुर और बरेली जिलों में गाँव–गाँव घूमकर असहयोग आन्दोलन के

प्रचार का कार्य किया। इन्ही दिनों बरेली में एक पुलिस वाले की रायफल से ठाकुर रोशन सिंह ने अंधाधुंध गोलियां चलायीं जिससे भयभीत होकर सभी पुलिस वाले भाग खड़े हुए। मुकदमा चला ठाकुर रोशन सिंह को दो वर्ष की कड़ी कैद का दण्ड मिला। परन्तु जब गांधी जी द्वारा चौरी–चौरा घटना के मद्देनजर असहयोग आन्दोलन स्थगित कर दिया गया तो सम्पूर्ण राष्ट्र के साथ ही ठाकुर रोशन सिंह का भी 'अंहिसा' से मोह भंग हो गया।

ठाकुर रोशन सिंह पं0 राम प्रसाद बिस्मिल के बहुत बड़े प्रशंसक थे और वे अपने प्रयासो से एक क्रान्तिकारी के रूप में जाने गये। दिनांक 25 सितम्बर, 1924 को अन्य क्रान्तिकारियों के साथ मिलकर ठाकुर रोशन सिंह ने जनपद पीलीभीत के ग्राम बमरौली में एक शक्कर के निर्माता तथा सूदखोर बल्देव प्रसाद के मकान पर धन हासिल करने के लिये धावा बोला जिसमें इनके हाथ 600 रूपये नकद व 4000 रूपये के जेवर लगे। ग्रामवासी मोहनलाल पहलवान जिसने क्रान्तिकारियों को चुनौती दी, ठाकुर रोशन सिंह की रायफल से निकली गोली से मारा गया। सिर्फ मोहनलाल की मौत ही आगे चलकर ठाकुर रोशन सिंह की फॉसी की सजा का कारण बनी।

09 अगस्त, 1925 को बिस्मिल जी व अन्य क्रान्तिकारियों द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया। रोशन सिंह काकोरी घटना में भागीदार नहीं थे परन्तु उनको बिस्मिल जी के सहयोगी के रूप में गिरफ्तार किया गया।

जेल में रहते हुए बिस्मिल जी व अन्य क्रान्तिकारियों के साथ ठाकुर रोशन सिंह ने भी सरकार की दमन नीति के विरोध में अनशन करने की ठानी। यद्यपि क्रान्तिकारियों पर डकैती और ब्रिटिश सम्राट के विरूद्ध युद्ध का आरोप लगया गया था, परन्तु क्रान्तिकारियों को राजनैतिक कैदी की श्रेणी में नहीं रखा गया। उन्हें जेल की पोशाक पहनाई गयी तथा निम्न कोटि का भोजन दिया जाता था। क्रान्तिकारियों को भिन्न–भिन्न स्थानों की जेलों में रखा गया। सरकार ने अनशन के समाचार को छिपाने का प्रयास किया। जब यह समाचार बाहर आया, शुभ चिन्तकों में खलबली मच गयी। पं0 राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उस अनशन व्रत में 05 दिवस तक उन्होंने जल पीकर निर्वाह किया। 6वें दिन नाक से दूध पिलाया गया। इस व्रत में ठाकुर रोशन सिंह ने भी इसी प्रकार उनका साथ दिया था।

काकोरी घटना लखनऊ जिले में हुयी थी, अतः मुकदमा लखनऊ स्पेशल मजिस्ट्रेट सैयद एनुद्दीन की अदालत में 04 जनवरी, 1926 को प्रारम्भ हुआ। काकोरी केस में जो भी गवाहियां हुई थी, उनसे किसी को भी यह आशंका नहीं थी कि ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा हो सकती है। उनको इण्डियन पैनल कोड की धारा–121(अ) तथा 120(ब) के तहत 5–5 वर्ष की कैद हुयी परन्तु धारा–396 के तहत (बमरौली केस के अर्न्तगत) फांसी की सजा हुयी। इस घटना का उल्लेख करते हुए क्रान्तिवीर रामकृष्ण खत्री बताते हैं, ''उन्हें जेल में पहली दो दफाओं में पांच–पांच साल के कारावास का दण्ड (अंग्रेजी में ही) सुनाया। हम सब कुछ आश्वस्त होने जा ही रहे थे कि इसी बीच उसने दफा 396 में फांसी की सजा सुना दी। वह अप्रत्याशित सज़ा सुनकर हमारे दिलों पर मानो वज्रपात–सा हो गया। ठाकुर साहब, और फांसी की सजा! हममें से कोई भी अब इस मनः स्थिति में नहीं रहा कि जज उसके आगे क्या फैसला सुना रहा है, उसे ठीक से सुन सकें। ठाकुर साहब अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते थे, इस कारण जज ने जो अंग्रेजी में 'फाइव इयर्स, फाईव इयर्स' कहा, वह उतना हिस्सा तो समझ गये, किन्तु बाद की अंग्रेजी उनकी समझ में नहीं आयी। विष्णु शरण दुबलिस उनके पास ही खड़े थे। उनसे रोशन सिंह ने पूछा, ''जजवा यह बाद में का बकर–बकर कर गवा?''

दुबलिश जी ने अपना दाहिना हाथ उनकी कमर में डालकर कहा, ''ठाकुर साहब! जज ने आपको फॉसी की सजा सुनायी है।'' इतना सुनते ही ठाकुर साहब का चेहरा खिल उठा, ऐसें कि जैसे गुलाब का फूल! तुरन्त पं0 राम प्रसाद 'बिस्मिल' की ओर घूमकर बोले, ''क्यों पंडित! अकेले जाना चाहते थे?'' ठाकुर साहब का वह व्यवहार देखकर सब दंग रह गये।''

अपनी फांसी के 06 दिन पूर्व 13 दिसम्बर, 1927 को उन्होंने अपने एक मित्र को पत्र भेजा, उसमें लिखा था—

इस सप्ताह की भीतर ही फांसी होगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपको मुहब्बत का बदला दे। आप मेरे लिए हरगिज रंज न करें। मेरी मौत खुशी का बाइस होगी। दुनिया में पैदा होकर मरना जरूर है। दुनिया में बदफैल करके मनुष्य अपने को बदनाम न करें और मरते वक्त ईश्वर की याद रहे, यही दो बातें होनी चाहिए और ईश्वर की कृपा से मेरे साथ ये दोनों बातें है। इसलिए मेरी मौत किसी प्रकार अफसोस के लायक नहीं है। .... हमारे शास्त्रों में लिखा है। कि जो आदमी धर्मयुद्ध में प्राण देता है उसकी वही गति होती जो जंगल में रहकर तपस्या करने वालों की।

''जिन्दगी जिन्दादिली को जान ऐ रोशन
वरना कितने मरे और पैदा होते जाते हैं।''
आखरी नमस्ते!

आपका रोशन

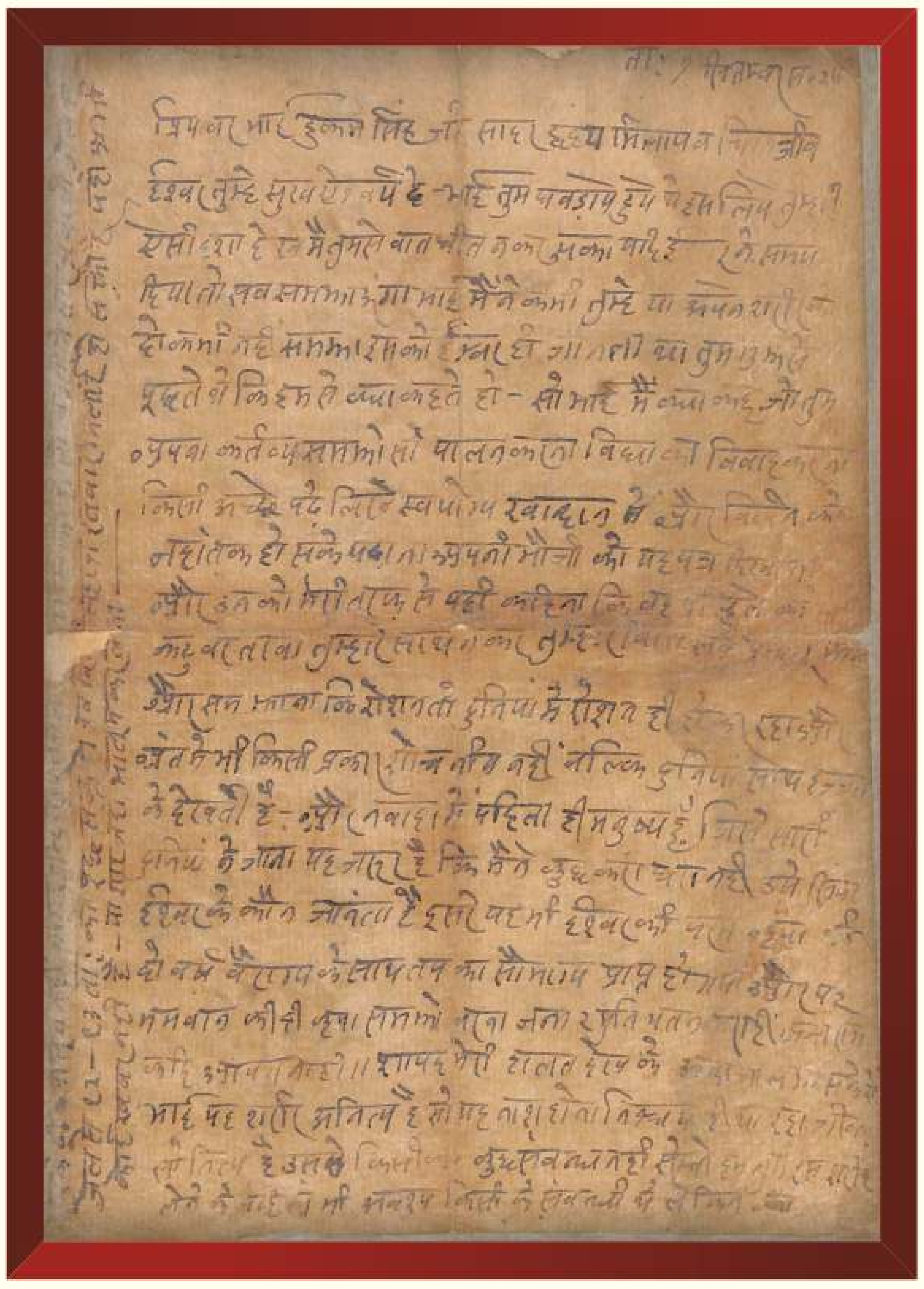
फांसी के दिन दिनांक 19 दिसम्बर, 1927 को इलाहाबाद जेल में ठाकुर रोशन सिंह पहले से ही तैयार बैठे थे। जैसे ही जिला मजिस्ट्रेट, जेलर आदि इन्हें फांसी घर में ले चलने को आये, आप मुस्कराते हुए हाथ में गीता लिए उनके साथ चल पड़े। फांसी के तख्ते पर पहुॅचते ही उन्होंने उच्च स्वर में 'वन्देमातरम्' का नारा लगाया और ओम का स्मरण करते—करते फॉसी चढ़ गए। गीता के अनुसार—

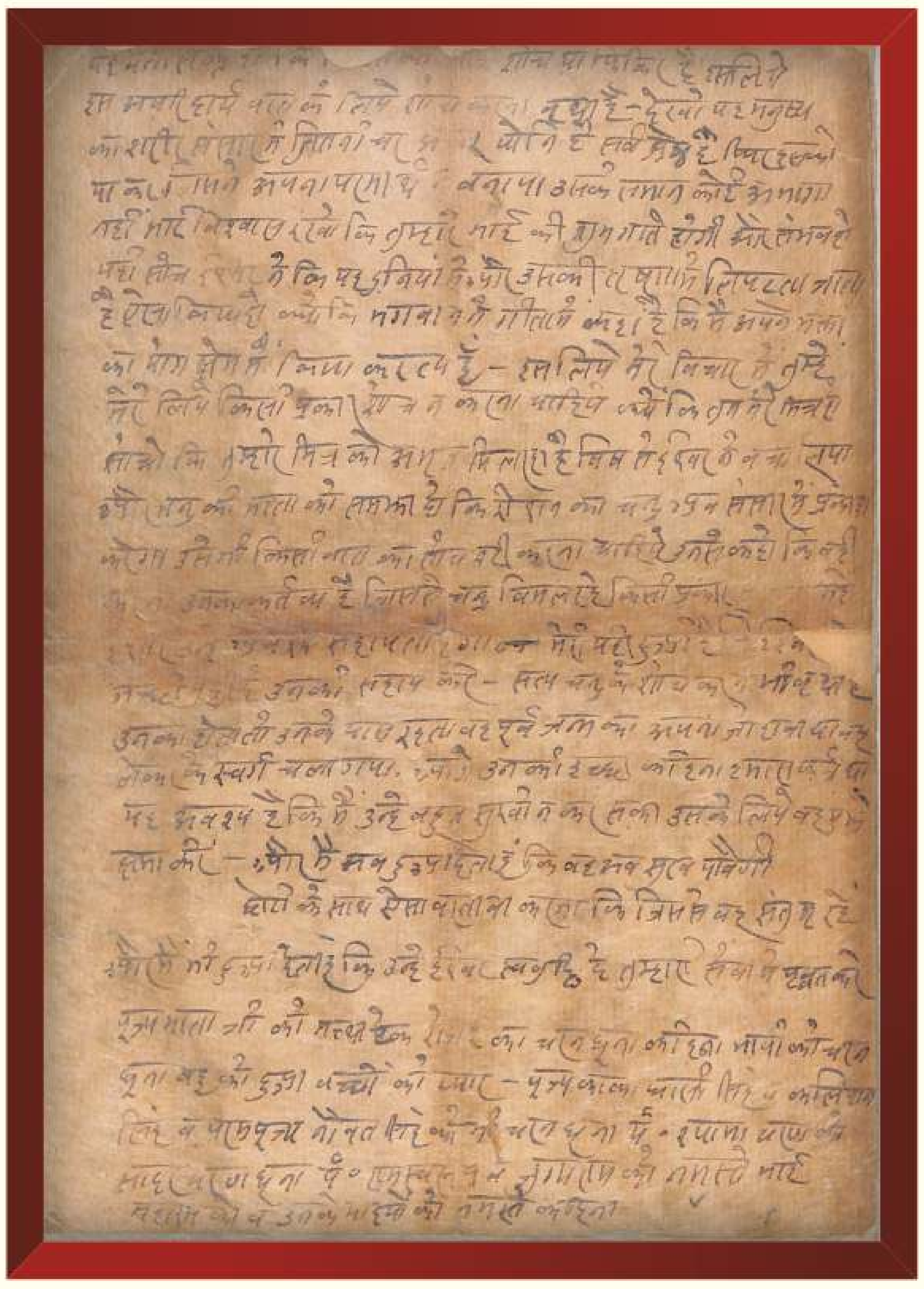
''ओमित्येकाक्षरं ब्रहम व्याहरन्मामनुस्मरन।
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्।।''

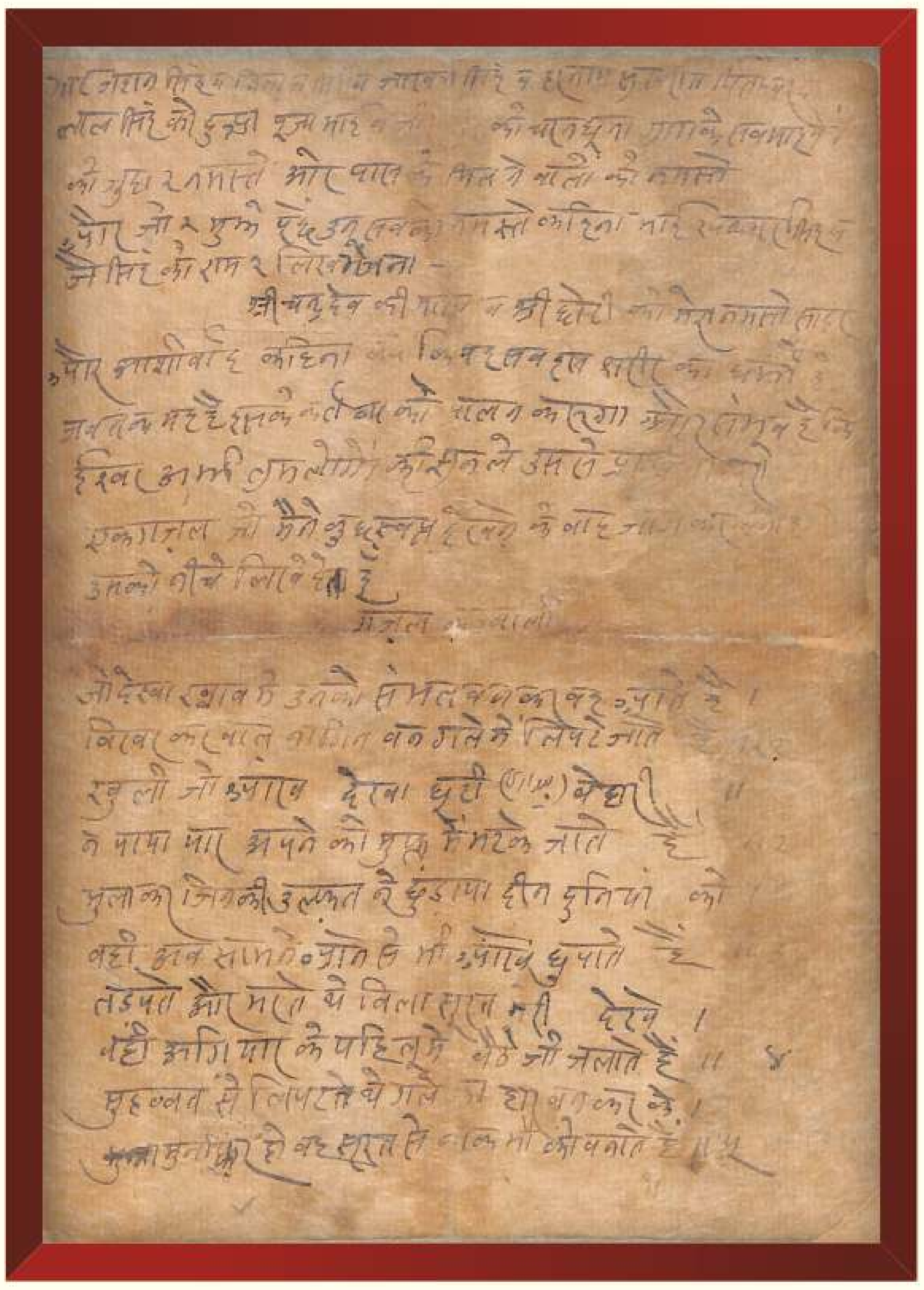
अपने विश्वास से आपने परम गति पायी और हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत अमर शहीद देश—भक्तों में अपना स्थान पाया। इलाहाबाद का श्रद्धालू जनसमूह आपकी देह को बड़े सम्मान से एक जूलूस में ले जाना चाहता था परन्तु जिला मजिस्ट्रेट ने इसकी इजाजत नहीं दी। मसान भूमि में आर्यसमाजी विधि से उनका दाह संस्कार कर दिया गया।

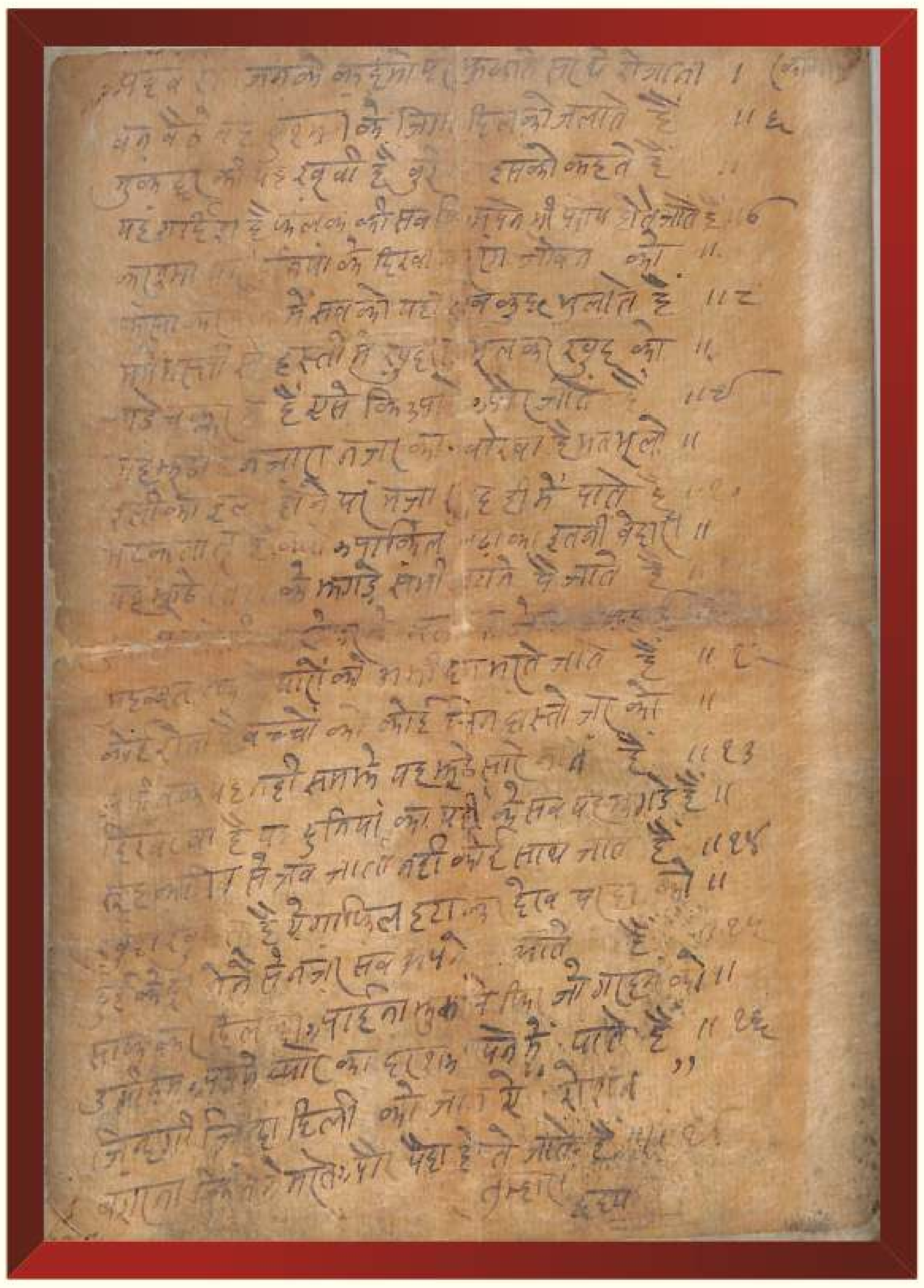
अमर शहीद रोशन सिंह द्वारा 'हृदय' नाम से अपने भाई हुकुम सिंह को सम्बोधित पत्र-सन् 1927

व्यक्तिगत अभिलेख

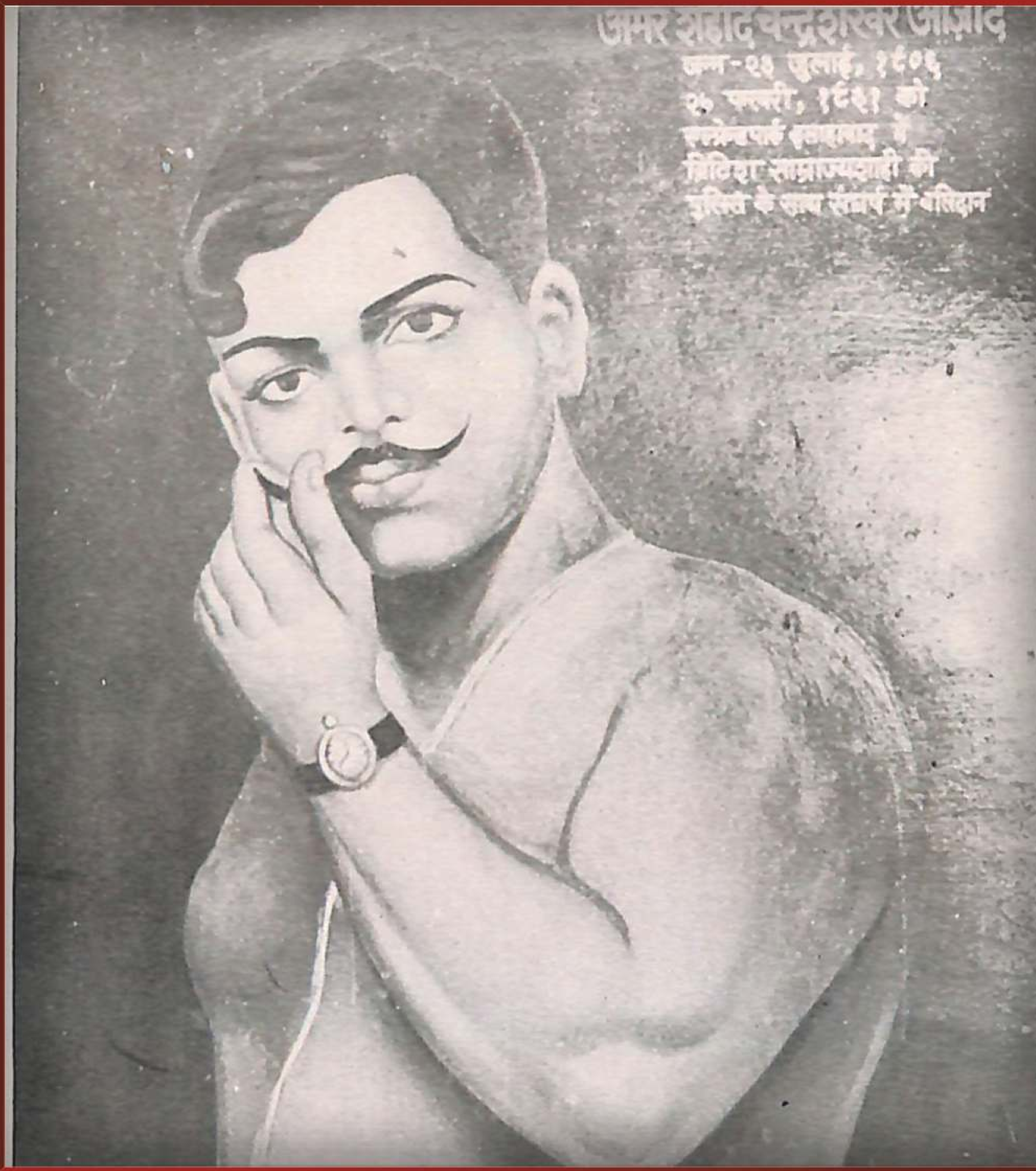








अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद



अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को तत्कालीन देशी राज्य अलीराजपुर के एक ग्राम भावरा में हुआ था। उनके पिता पं0 सीताराम तिवारी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ग्राम भावरा आ गए थे। उनकी माता का नाम जगरानी देवी था।

चन्द्रशेखर जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी परन्तु उनमें साहस व उत्साह कूट–कूटकर भरा हुआ था। 1920–21 में उन्होंने घर छोड़ दिया व बम्बई में मजदूर जीवन बिताकर बनारस पहुँचे, यहां वह संस्कृत पाठशाला के छात्र हो गये। असहयोग आन्दोलन में उन्होंने बड़े उत्साह से कार्य किया और अपनी आसाधारण कार्यक्षमता से वह वहां सभी कांग्रेसी नेताओं के बहुत प्रिय हो गये थे।

जब असहयोग आन्दोलन में चन्द्रशेखर को 15 बेतों की सजा हुई तो प्रत्येक बेंत के प्रहार पर वह ''महात्मा गांधी की जय!'' नारा लगाते थे। बनारस के कांग्रेसियों में वह 'आजाद' के नाम से विख्यात हो गये क्योंकि अदालत में उन्होंने अपना नाम 'आजाद' बताया था।

असहयोग आन्दोलन समाप्त हो जाने के बाद आजाद श्री मन्मथनाथ गुप्त के सहयोग से बनारस के क्रान्तिकारी दल में सम्मिलित हो गये और दल के धन संग्रह के अनेक साहसी कार्यों में उन्होंने बढ़–चढ़कर भाग लिया। काकोरी ट्रेन केस में भी वह सम्मिलित थे। दल में अपनी बाल सुलभ चपलता के कारण वह 'क्विक सिल्वर' (पारा) कहलाते थे। उनके इस नाम का उल्लेख केस में दर्ज बयानों में भी हुआ।

अन्य लोगों की धारणा थी कि 'क्विक सिल्वर' पुलिस की नजरों से बचा न रह सकेगा। परन्तु हुआ इसके विपरीत ही। काकोरी केस में फरार घोषित अभियुक्तों में आजाद ही कभी पुलिस के हाथ नहीं आये और लगभग 6 वर्षों तक संगठित क्रान्तिकारी दल 'हिन्दुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र सेना' के प्रधान सेनानी के रूप में दल का नेतृत्व करते हुए 27 फरवरी, 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में पुलिस की शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित टुकड़ी से लड़ते हुए उन्होंने वीरगति पायी थी।

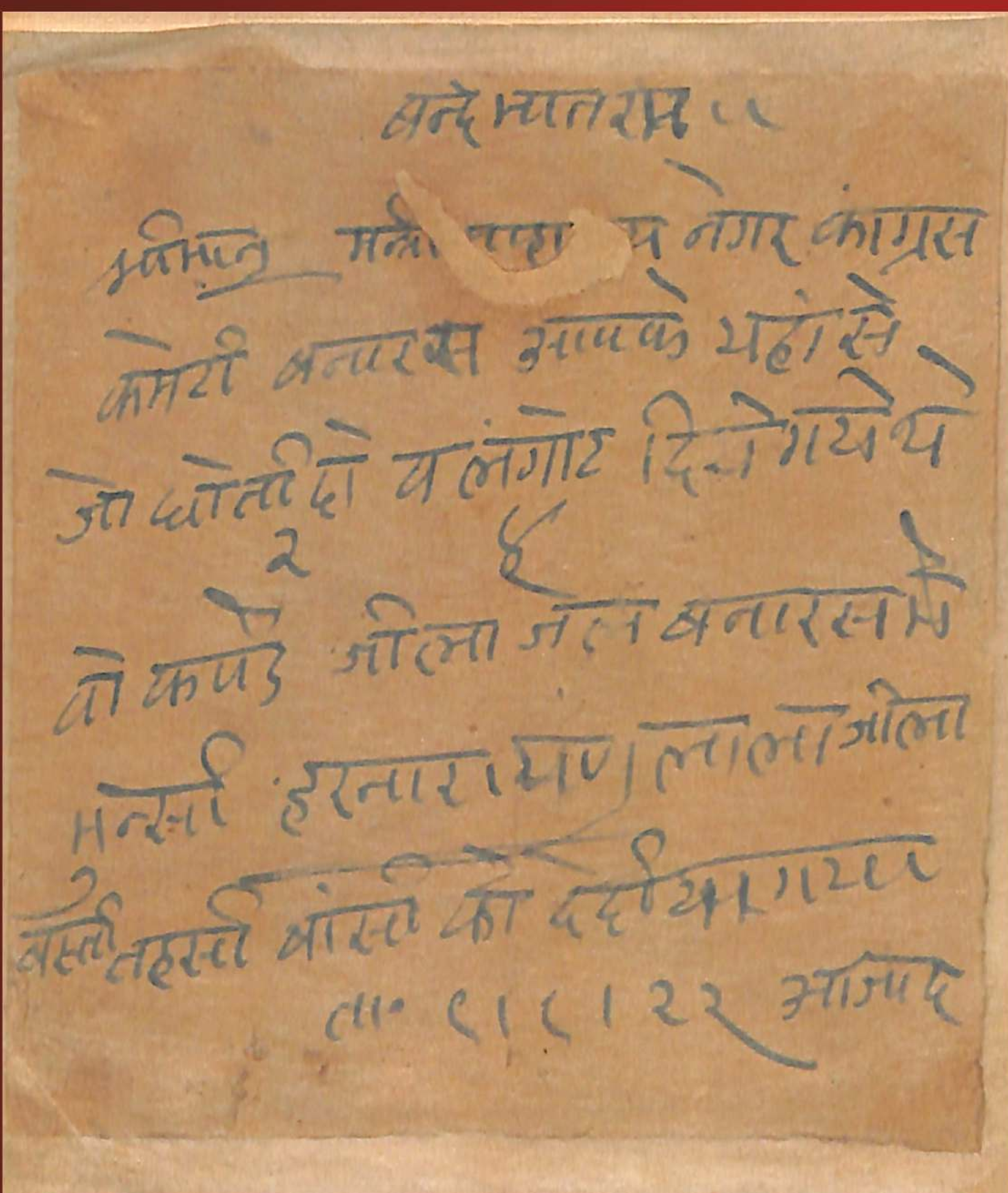
क्रान्तिकारी दल में वह प्रत्येक सैनिक कार्य में आगे रहते थे। लाहौर में जब लाला लाजपत राय पर साइमन कमीशन का विरोध करते हुए गोलियां बरसायीं गयीं और उसके कुछ दिनों बाद ही उनका निधन हो गया तो उनके क्रान्तिकारी दल ने इस हृदय विदारक घटना का प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। आजाद के नेतृत्व में भगत सिंह और राजगुरू ने दिनदहाड़े असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेन्ट साण्डर्स को माल रोड पर उसके दफ्तर के सामने ही गोली से मार गिराया।

दल में आपस में चलने वाले विनोद में भी जब कभी भगतसिंह उनसे कहते थे कि ''पंडित जी दल के नेता के रूप में पकड़े जाने पर आपको तो निश्चित रूप में फांसी की ही सजा होगी'' तो उन्हें झिड़क कर आजाद कहा करते थे – ''देख, पुलिस मुझे रस्से से बाँधकर बंदरिया जैसा नाच नचाती फिरे और फिर मुझे फांसी पर टांग दे, यह मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। वह तुझे मुबारक हो। जब तक यह 'बमतुल बुखारा' (आजाद ने अपने पिस्तौल का यही विचित्र नाम रखा था) मेरे हाथ में है, कोई माई का लाल मुझे जीवित नहीं पकड़ सकता।'' उन्होंने कहा था –

''दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे।
आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे।।''

उनकी यह भविष्यवाणी सर्वथा सत्य सिद्ध हुयी। आजाद अत्यन्त गरीबी व अशिक्षा में जन्मे व पले थे। वह पुस्तकें पढ़कर नहीं, क्रान्तिकारी जीवन में अनुभव से सीखते हुए और प्रगति करके, हिन्दुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र' सेना के प्रधान नेता हुए। इस प्रकार उनका जीवन भारतीय आम जनता के क्रान्ति पथ पर बढ़ते जाने का प्रतीक हो गया है। ऐसे महान बलिदानी, वीर क्रान्तिकारी के देश में अवश्य ही एक आर्थिक शोषण विहीन स्वतंत्र प्रजातंत्र की स्थापना शीघ्र ही होना सुनिश्चित था।

चन्द्रशेखर आजाद का हस्तलिखित पत्र सन्-1922

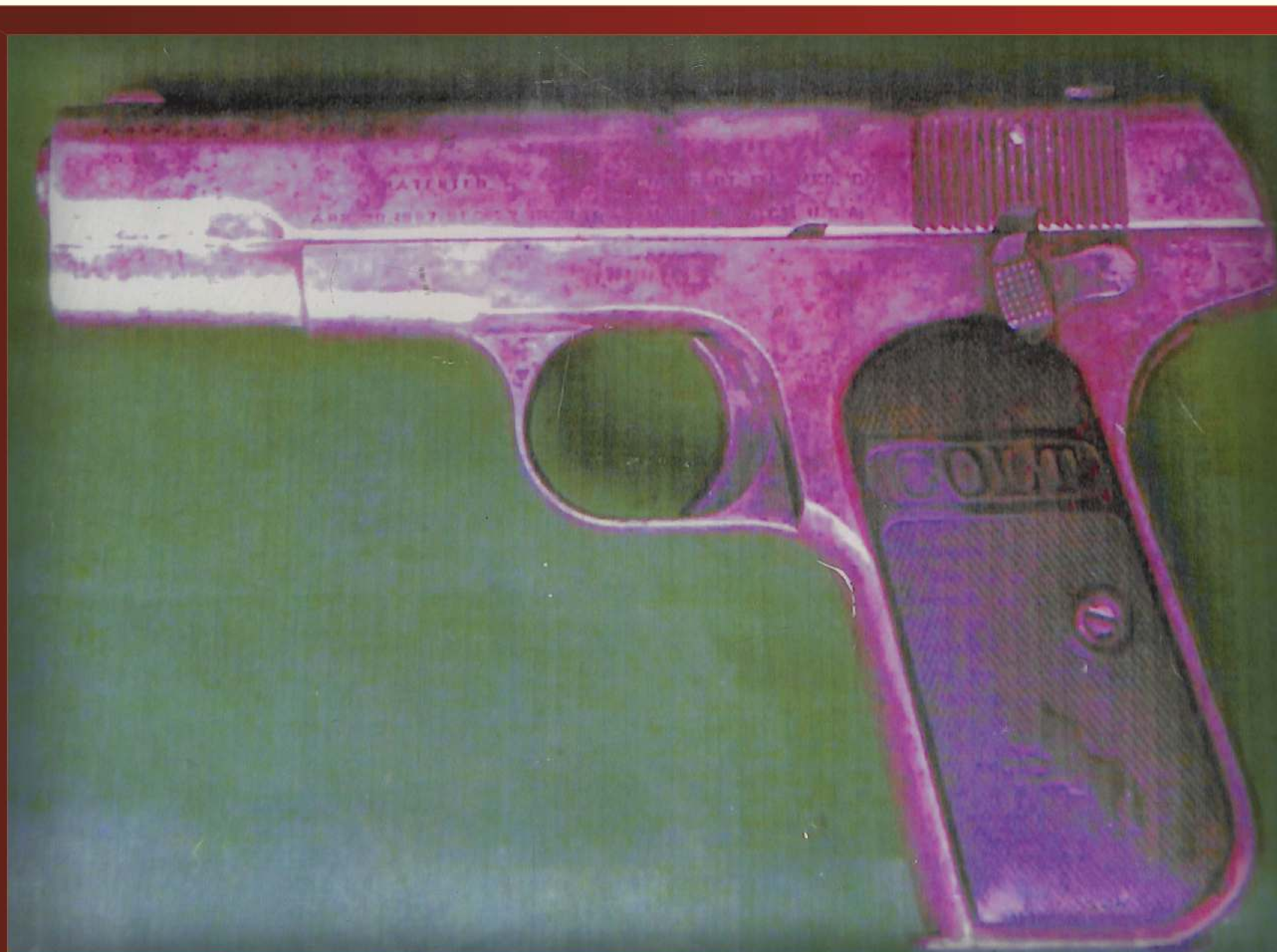

वन्दे मातरम्

श्रीमान् मंत्री महोदय नगर कांग्रेस
कमेटी बनारस आपके यहाँ से
जो धोती दो व लंगोट दिये गये थे
2 6
वो कपड़े जिला जेल बनारस में
मन्शी हरनारायण लाला जिला
बस्ती तहसील बांसी को दे दिया गया
ता० ११।८।२२ आजाद

चन्द्रशेखर आजाद द्वारा बनारस नगर काँग्रेस कमेटी के मंत्री को लिखे इस पत्र में उन्हें सूचना दी गई है कि नगर काँग्रेस कमेटी द्वारा दिये गए कपड़े जिला जेल, बनारस में मुंशी हरनारायण लाला को दे दिये गए हैं।

व्यक्तिगत अभिलेख

चन्द्रशेखर आज़ाद की जब्त की गयी पिस्तौल का छायाचित्र





अमर शहीद राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी



राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी का जन्म बंगाल के पबना जिले के मोहनपुर ग्राम में हुआ था। आपके पिता श्री क्षिती मोहन लाहिड़ी एक महान देशभक्त थे और बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आन्दोलन के दौरान जेल भी गये थे। राजेन्द्र नाथ को शिक्षा ग्रहण करने हेतु बनारस भेजा गया था परन्तु इनके उत्साही स्वाभाव और साहित्यिक रूचि के कारण इन्होंने 'बंग साहित्य परिषद' का सचिव होना स्वीकार किया। इनके लेख 'बंगवाणी' और 'शंख' में प्रकाशित होते थे। वह एक 'अग्निदूत' नामक हस्तलिखित मासिक भी सम्पादित करते थे जिसका झुकाव क्रान्तिकारी विचारधारा की ओर था। बाद में वह एक क्रान्तिकारी दल के सम्पर्क में आए, जिसके मुख्य संगठन कर्ता शचीन्द्र नाथ सान्याल थे। जब दो क्रान्तिकारी दलों को मिलाकर एक कर दिया गया तब वह 'हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन' कहलाया। राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी बनारस जिले में इस दल के व्यवस्थापक बनाए गए। राजेन्द्र नाथ का व्यक्तित्व अत्यन्त आकर्षक था। जिन लोगों को उनकी इतनी कम उम्र में दल का जिला व्यवस्थापक बनाये जाने पर कुछ विरोध था, वे शीघ्र ही उनके प्रशंसक बन गये। उन्होंने सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल के एक विद्यार्थी राम नारायण पाण्डे को क्रान्तिकारियों से पत्र व संदेश प्राप्त करने हेतु अपना 'पोस्ट बॉक्स' (माध्यम) बनाया था।

राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी ने काकोरी ट्रेन केस में सक्रिय भूमिका निभायी। वह काकोरी में शचीन्द्रनाथ सान्याल तथा अशफाक उल्ला खां के साथ सहारनपुर–लखनऊ पैसेंजर पर चढ़ गए। वह चेन खींच कर ट्रेन को रोकने वालों में से एक थे। डकैती के बाद वह कलकत्ता चले गए और दक्षिणेश्वर नामक स्थान पर बम बनाने की विधि सीखने लगे। 10 नवम्बर 1925 को बंगाल पुलिस ने दक्षिणेश्वर की बम फैक्ट्रारी पर छापा मारा। राजेन्द्र नाथ भी गिरफ्तार किए गए और उन्हें 10 साल कैद की सजा दी गयी। बाद में जब काकोरी घटना में इनके सम्मिलित होने की बात सामने आयी तब इन्हें लखनऊ लाया गया। जब वे सनुवाई के लिए जेल से कोर्ट ले जाए जाते थे तो अन्य क्रान्तिकारी वहाँ एकत्रित होकर देशभक्ति गीत गाया करते थे। एक दिन वे बिस्मिल का प्रसिद्ध गीत 'सरफरोशी की तमन्ना............. गा रहे थे, वहां उपस्थित ऑफिसर जो उन्हें कोर्ट ले जा रहा था, अत्यधिक क्रुद्ध हो गया, उसका नाम सूबेदार बारबन्द सिंह था। उसने उनको गाना बन्द करने का आदेश दिया। ऑफिसर ने लाहिड़ी की गर्दन पकड़ ली। लाहिड़ी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ऑफिसर को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। क्रान्तिकारियों और पुलिस में झगड़ा चल ही रहा था कि जज द्वारा कोर्ट से बाहर आकर उन्हें शान्त कराया गया। जेल में लाहिड़ी को पढ़ने व शारीरिक कसरत करने का बहुत शौक था। 6 अप्रैल 1927 को सेशन जज हैमिल्टन ने काकोरी केस पर अपना 115 पृष्ठों का निर्णय दिया। लाहिड़ी को भारतीय दण्ड विधान की धारा –

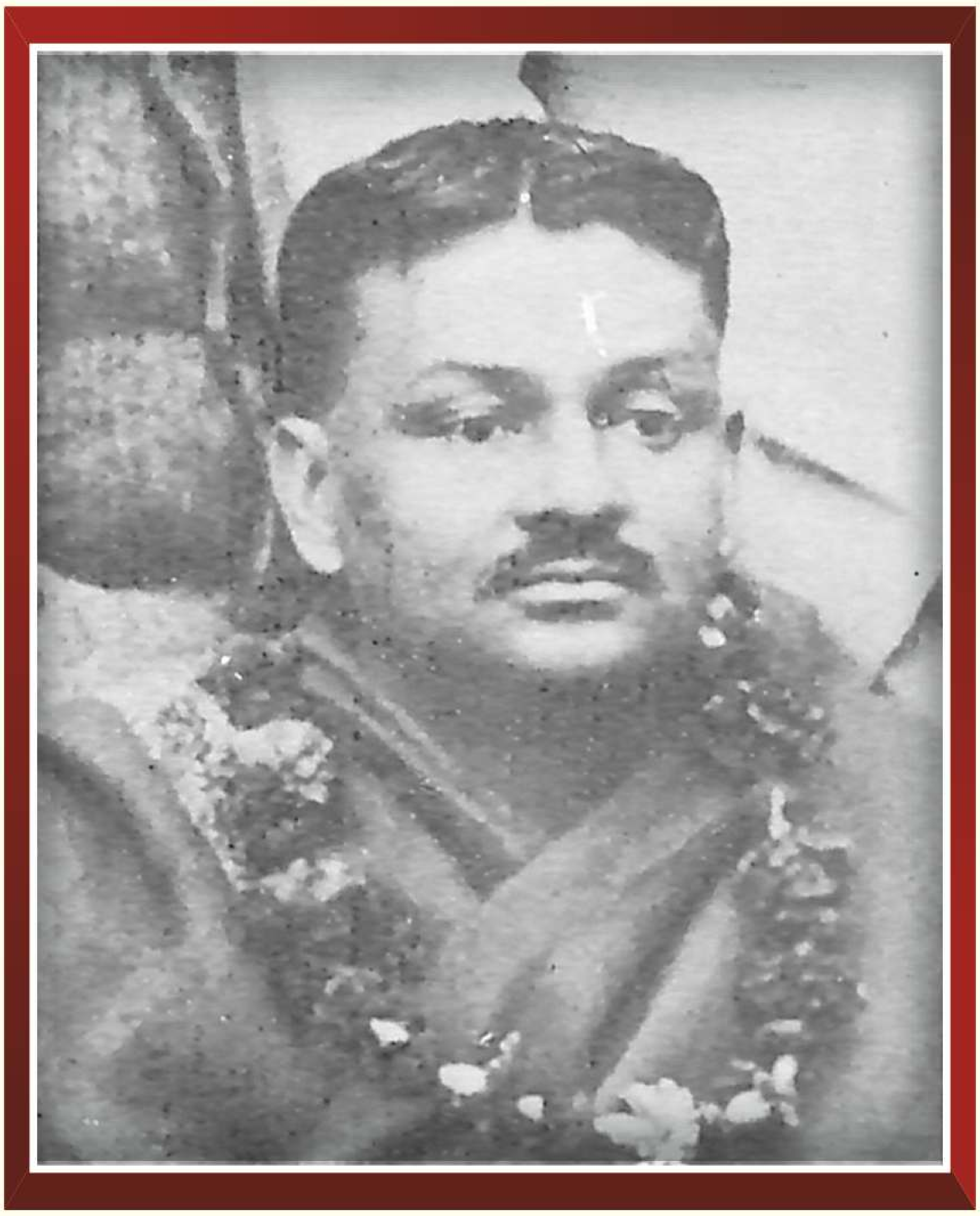
121 ए (सम्राट के विरूद्ध युद्ध का षड्यंत्र) तथा धारा – 120बी (अन्यथा गैर कानूरी षड्यंत्र, अपराध) के तहत कालापानी तथा धारा – 396 (हत्या सहित डकैती) के तहत फांसी की सजा दी गयी। राजेन्द्र लाहिड़ी को जब फांसी की सजा सुनाई गयी, वे जज महोदय के निष्कर्ष पर हंस पड़े। वे जज हैमिल्टन को धन्यवाद देने वाले थे फिर उन्होंने वकील कृपाशंकर हजेला की ओर मुड़कर कहा ''यह मेरा पुनर्जन्म है।'' 18 जुलाई 1927 को अवध चीफ कोर्ट में अपील दायर की गयी। उधर सरकार ने भी क्रान्तिकारियों की सजा बढ़ाने के लिए अपनी लिखा–पढ़ी प्रारम्भ कर दी। दोनों मामले साथ–साथ चीफ कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर लुइस शर्ट और न्यायाधीश मोहम्मद रजा के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इस हेतु क्रान्तिकारियों में फांसी की सजा पाए राम प्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह के मामले की पैरवी करने के लिए क्रमशः लक्ष्मी शंकर मित्र, के0सी0 दत्त और जयशंकर नाथ मिश्र को सरकार की तरफ से वकील नियुक्त किया गया। क्रान्तिकारी किसी अच्छे वकील के पक्ष में थे परन्तु उस समय उनकी सुनता कौन? सरकार ने अपने पक्ष की पैरवी हेतु जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया। 22 अगस्त 1927 को अपील का फैसला सुनाया गया। फैसले में जजों ने राजेन्द्र नाथ को दल में पं0 राम प्रसाद बिस्मिल के बाद दूसरे स्थान का प्रमुख अपराधी माना था और स्पेशल सेशन जज द्वारा दिये गये प्राणदण्ड को उचित ठहराते हुए उसकी पुष्टि की थी। 19 दिसम्बर 1927 का दिन चारों क्रान्तिकारियों को फांसी के लिए निश्चित किया गया था। परन्तु राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी को दो दिन पूर्व ही 17 दिसम्बर को गोंडा जेल में फांसी दे दी गयी। क्रान्तिकारी मनमोहन गुप्त के अनुसार कुछ क्रान्तिकारियों ने लाहिड़ी को 18 दिसम्बर की रात में गोंडा जेल से छुड़ाने की योजना बनायी थी, जिसका सरकार को पता चल गया था। अतः उन्हें दो दिन पूर्व ही फांसी दे दी गयी। मृत्यु से पूर्व 14 दिसम्बर को उन्होंने एक मित्र को निम्न पत्र भेजा :– ''कल मैंने सुना कि प्रिवी कौंसिल ने मेरी अपील अस्वीकार कर दी। आप लोगों ने हम लोगों की प्राण रक्षा के लिए बहुत कुछ किया, कुछ उठा नहीं रखा, किन्तु मालूम होता है कि देश की बलिवेदी को हमारे रक्त की आवश्यकता है। मृत्यु क्या है? जीवन को दूसरी दिशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए मनुष्य मृत्यु से दु:ख और भय क्यों माने वह तो नितान्त स्वाभाविक अवस्था है, उतनी ही स्वाभाविक जितना प्रातः कालीन सूर्य का उदय होना। यदि यह सच है कि इतिहास पलटा खाया करता है तो मैं समझता हूँ की हमारी मृत्यु व्यर्थ नही जाएगी। सबको मेरा नमस्कार – अन्तिम नमस्कार।''

अपनी फांसी वाले दिन की सुबह लाहिड़ी ने कसरत के साथ–साथ अपने सभी दैनिक कार्य रोज की तरह किए। इस बात पर अंग्रेज जिला मजिस्ट्रेट को आश्चर्य हुआ। उनसे रहा न गया और उन्होंने राजेन्द्र लाहिड़ी से पूछ ही लिया ''आपने आगे आने वाली घटना के लिए अपने आपको तैयार करने के लिए जो स्नान करके अपने धर्मग्रन्थ का पाठ किया, वह तो ठीक है, परन्तु मैं यह नहीं समझ पाया कि इस अवसर पर आपने जो व्यायाम किया उसकी क्या उपयोगिता है।'' राजेन्द्र लाहिड़ी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ''मैं हिन्दू हूँ और मेरा विश्वास है कि मैं अपने देश की आजादी के लिए पुनः दूसरा शरीर प्राप्त करने जा रहा हूँ। वह शरीर बलिष्ठ हो, यही मेरी कामना है। इसीलिए मैंने व्यायाम भी किया और मुझे विश्वास है कि मैं स्वस्थ और बलिष्ठ शरीर में अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए पुनः जन्म लूंगा। मैं आशा करता हूँ कि एक भले अंग्रेज की तरह आप मेरा यह अन्तिम संदेश मेरे देशवासियों को पहुंचा देंगे।'' फांसी के मंच से लाहिड़ी ने 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारे लगाए और बलिदान की वेदी पर चढ़ गए। उनकी शहादत को सलाम करते हुए उस समय सम्पूर्ण वातावरण में निम्न शब्द गूंज रहे थे –

''दरो दीवार पर हसरत से नजर करते हैं।
खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं।''

अमर शहीद राजेन्द्र लाहिड़ी की शहादत व्यर्थ नहीं हुई। वह काकोरी ट्रेन एक्शन केस में शहीद होने वाले एक छात्र थे। उनकी शहादत छात्रों को स्वतंत्रता के अत्यन्त कठिन पथ पर चलते रहने के लिए प्रेरित कर गयी, जिन्होंने आगामी स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

क्रान्तिवीर शचीन्द्र नाथ सान्याल



भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में क्रान्तिकारी धारा के अमर सेनानी शचीन्द्र नाथ सान्याल का जन्म तत्कालीन संयुक्त प्रान्त के बनारस जिले में 03 अप्रैल, 1893 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। आपके पिता जी का नाम हरिनाथ सान्याल तथा माता का नाम खेरोद वासिनी देवी था। शचीन्द्र नाथ सान्याल के भाई रविन्द्रनाथ, भूपेन्द्रनाथ तथा जीतेन्द्र नाथ सान्याल भी महान देशभक्त व क्रान्तिकारी थे।

शचीन्द्र नाथ सान्याल क्रान्तिकारी धारा की नयी पीढ़ी के प्रतिनिधि थे। वे 'गदर पार्टी' तथा 'अनुशीलन समिति' के महान कार्यकर्ता थे। सान्याल जी द्वारा बंगाल की भांति बनारस में भी 'अनुशीलन समिति' की स्थापना की गयी। बंगाल की 'अनुशीलन समिति' को अवैध घोषित किए जाने के बाद उन्होंने अपनी संस्था का नाम 'यंग मैन्स एसोसिएशन' कर लिया।

प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में सान्याल रास बिहारी बोस के अत्यधिक करीबी सहयोगी थे। 23 दिसम्बर 1912 को वायसराय हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंके जाने के बाद रास बिहारी बोस शचीन्द्र के साथ बनारस में रहे। बनारस उस समय क्रान्तिकारियों का केन्द्र बन गया। वे लोग सेना को भी क्रान्ति करने के लिए प्रेरित करते रहे। 21 फरवरी 1915 को सेना में क्रान्ति की योजना थी किन्तु 21 की जगह 19 फरवरी क्रान्ति का दिन निर्धारित किया गया। इसकी सूचना कृपाल सिंह नामक मुखबिर ने ब्रिटिश सरकार को दे दी। ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के हथियार छीन लिए गए तथा सम्पूर्ण मामले को 'बनारस षडयन्त्र केस' का नाम दिया गया। शचीन्द्र नाथ सान्याल भी इस केस के अन्तर्गत जून 1915 को गिरफ्तार किए गए।

शचीन्द्र नाथ सान्याल को आजन्म काले पानी की सजा हुई और अगस्त 1916 में उन्हें अंडमान भेज दिया गया। इस काले पानी की सजा के दौरान शचीन्द्र नाथ सान्याल द्वारा समकालीन क्रान्तिकारियों व अपने जीवन की क्रान्तिकारी गतिविधियों पर पुस्तक 'बन्दी जीवन' लिखी। इस पुस्तक की भूमिका में सान्याल लिखते हैं ''जब मैं बाल ही था, तभी मैंने संकल्प कर लिया था कि भारतवर्ष को स्वाधीन किया जाना है और इसके लिए मुझे सामरिक जीवन व्यतीत करना है।''

ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथत विश्व युद्ध की विजयोपरान्त सर्वक्षमा के अन्तर्गत 1920 ई0 में शचीन्द्र नाथ सान्याल भी जेल से मुक्त हुए व पुनः क्रान्तिकारी गतिविधियों में लग गये। कारागार से छूटने के बाद उन्होंने शीर्ष नेताओं से मिलकर अमानवीय दशा में काला पानी की सजा काट रहे कैदियों को छुड़ाने का प्रस्ताव रखा। सन् 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास हो गया।

सन् 1923 ई0 में शचीन्द्र नाथ सान्याल द्वारा उत्तर भारत के असंगठित क्रान्तिकारियों को एकत्रित करने हेतु 'हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन' की स्थापना की। संयुक्त प्रान्त के विभिन्न जिलों में इसकी स्थापना के सिलसिले में शचीन्द्र नाथ सान्याल पं0 राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां इत्यादि महान क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में आये। इन्ही क्रान्तिकारियों के साथ मिलकर दल की आर्थिक आवश्यकता पूर्ति हेतु सरकारी खजाने को लूटने का निर्णय लिया गया।

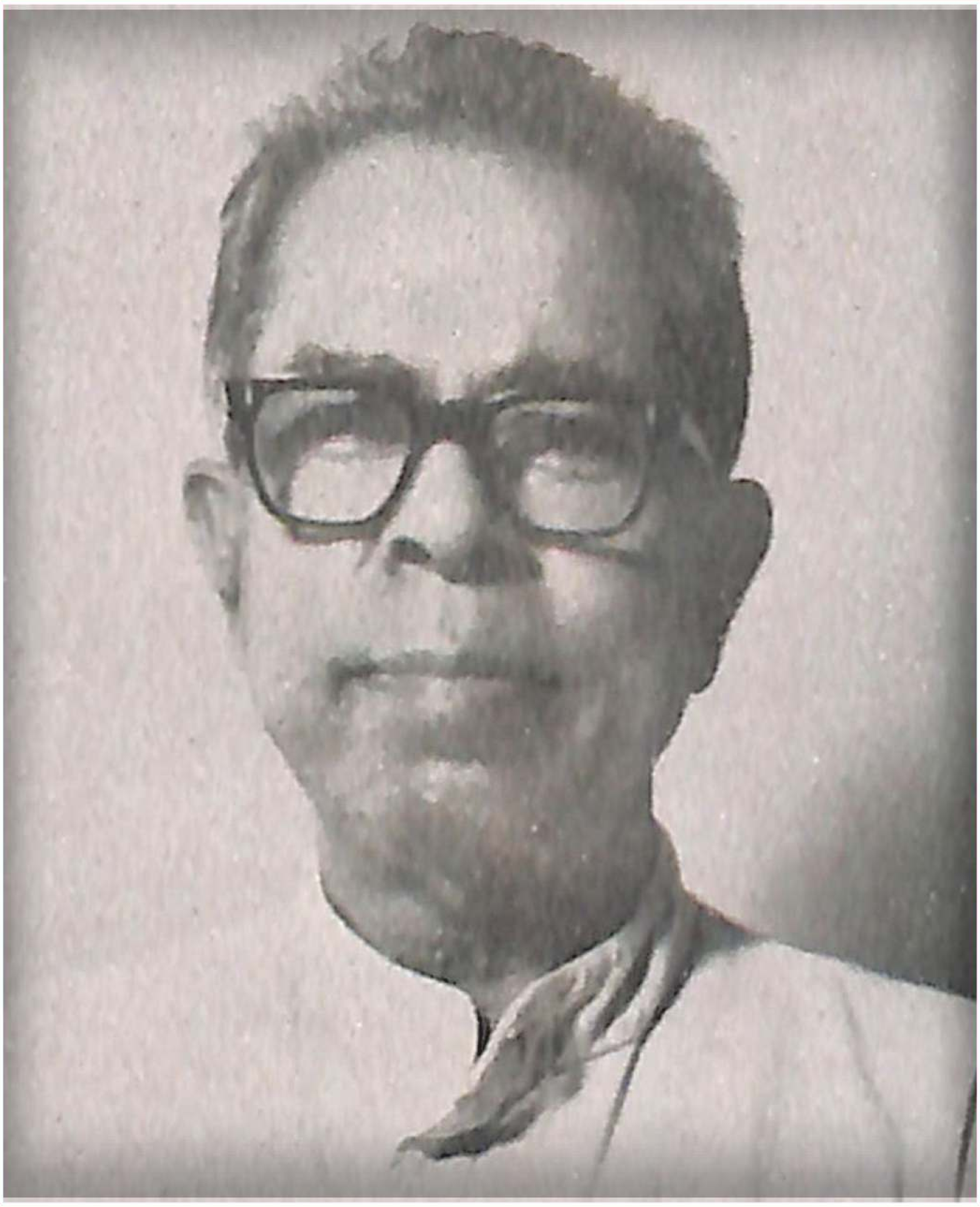
9 अगस्त 1925 का दिन लखनऊ के समीप स्थित काकोरी स्टेशन पर रेलगाड़ी के सरकारी खजाने को हासिल करना निश्चित किया गया। इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए शचीन्द्र नाथ सान्याल जर्मनी से 50 माउजर पिस्तौल की अत्याधुनिक खेप भारत लाना चाहते थे। इस हेतु उन्होंने बी0एच0यू0 के एक छात्र केशव चक्रवर्ती को जर्मनी में होने वाली तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने भेजा। साथ ही यह जिम्मा भी सौंपा कि वह मेडल के साथ 50 माउजर पिस्तौलों की खेप भी लेकर आएं। केशव ने सफलतापूर्वक यह कार्य किया। काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए चुने गए 10 सदस्यों का मनोबल इस अत्याधुनिक हथियार से अत्याधिक बढ़ गया।

ब्रिटिश सरकार द्वारा काकोरी रेल एक्शन केस में शचीन्द्र नाथ सान्याल को आजन्म काले पानी की सजा दी गयी। इनके छोटे भाई–भूपेन्द्र को 5 साल की सजा हुई। 1937 ई0 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मंत्रिमण्डल की विजय के बाद उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया परन्तु 1940 में भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया व देवली नजरबन्द कैम्प में रखा गया। उनको यक्ष्मा रोग की असाध्य स्थिति में नजरबन्दी से मुक्ति मिली परन्तु फरवरी 1943 ई0 में यह महान क्रान्तिकारी भारत मां की स्वतंत्रता का अपूर्ण स्वप्न लेकर जर्जर शरीर सहित चिर निद्रा में सो गया। परन्तु उनके द्वारा प्रशस्त्र मार्ग चन्द्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे क्रान्तिकारियों का प्रमुख अस्त्र बना।

उनके द्वारा संगठित 'भारतीय प्रजातंत्र संघ' सरदार भगत सिंह व चन्द्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 'भारतीय समाजवादी प्रजातंत्र संघ' के रूप में गठित हुआ।

शचीन्द्र नाथ सान्याल केवल एक उत्साही, बलिदानी क्रान्तिकारी ही नहीं थे, वे एक महान बुद्धिशील विचारक और लेखक भी थे। काकोरी केस के सम्बन्ध में बहुचर्चित पर्चा 'दि रेवोल्यूशनरी' उनकी ही कृति थी, जिसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया गया था कि 'हम क्रान्तिकारियों का लक्ष्य भारत में ऐसा स्वतंत्र जनतंत्री शासन स्थापित करना है जिसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण के लिए कोई जगह न होगी'। उनकी पुस्तक 'बन्दी जीवन' में न केवल उनके क्रान्तिकारी उत्साह और कर्मण्यता की ही झलक मिलती है अपितु उनकी बुद्धि और क्रान्तिकारी चिन्तन का प्रखर तेज भी है।

क्रान्तिवीर शचीन्द्र नाथ बख्शी



भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के क्रान्तिकारी शाखा के इतिहास में शचीन्द्र नाथ बख्शी एक प्रमुख संगठनकर्ता माने जाते हैं। 25 दिसम्बर, 1900 को शचीन्द्र नाथ बख्शी का जन्म बनारस शहर में हुआ और 1921 में इन्होंने एंग्लो–बंगाली हाईस्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास की। असहयोग आन्दोलन का रण–डंका बजा परन्तु शचीन्द्र नाथ बख्शी जी इस ढंग से कार्य करने के कायल न हो सके। वह अपनी क्रान्तिकारी विचारधारा पर डटे रहे। इनके विचारों की भनक ब्रिटिश पुलिस को लग चुकी थी। कॉलेज से निकलना, दोस्तों से मिलना–जुलना पुलिस की निगरानी ने मुश्किल कर दिया था फलत: शचीन्द्र नाथ बख्शी जी ने कॉलेज के साथ ही पढ़ाई को भी तिलांजलि दे दी।

अपनी विचारधारा के समर्थन तथा प्रचार–प्रसार हेतु शचीन्द्र नाथ बख्शी जी द्वारा बनारस में व्यायाम संस्थाएँ प्रारम्भ की गई। संयुक्त प्रान्त में लम्बी तैराकी प्रतियोगिता का श्रीगणेश करने में भी शचीन्द्र नाथ बख्शी जी का प्रमुख योगदान था।

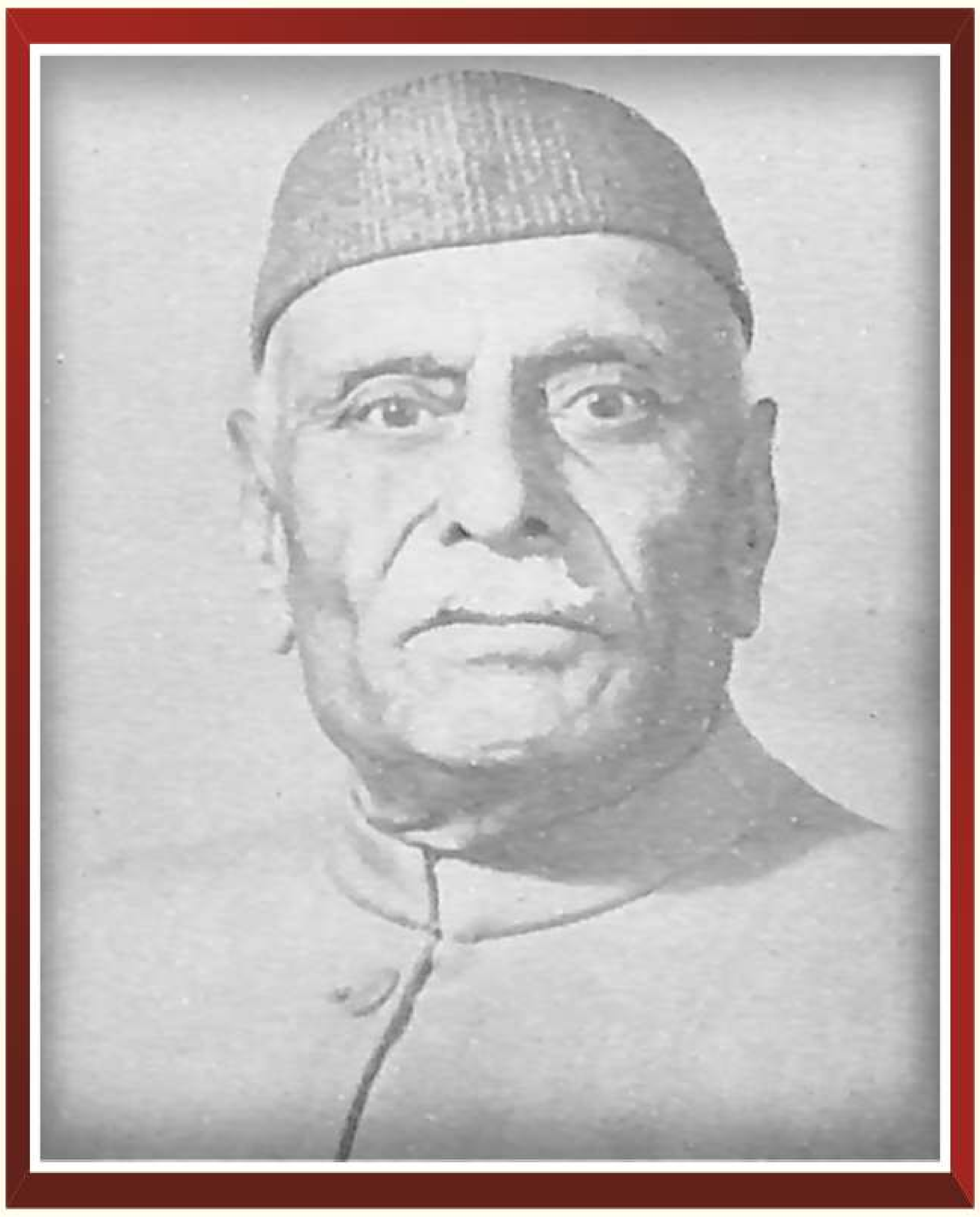
दिल्ली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में शचीन्द्र नाथ बख्शी जी तथा जोगेशचन्द्र चटर्जी की भेंट हुई। दोनो की विचारधाराएं समान होने के कारण वे घनिष्ठ मित्र बन गये और शचीन्द्र नाथ बख्शी जी पूरी तरह क्रान्तिकारी दल के संगठन में जुट गए। कुछ दिनों बनारस में कार्य करने के उपरान्त इन्हें दल का संगठन करने के लिए झाँसी भेजा गया। भुसावल बम केस के प्रसिद्ध राजबन्दी श्री भगवान दास तथा श्री सदाशिव उस समय आपके सहयोगी थे। भूखे–प्यासे मीलों साइकिल पर दौड़कर शचीन्द्र नाथ बख्शी जी दल के सदस्यों से मिला करते थे। एक बार शचीन्द्र नाथ बख्शी जी कहीं रूके बिना साइकिल से झाँसी से कानपुर गये थे।

9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद पुलिस शचीन्द्र नाथ बख्शी जी के पीछे पड़ गयी व 29 सितम्बर 1925 को गिरफ्तारी हेतु इनका मकान घेर लिया गया। परन्तु पुलिस शचीन्द्र नाथ बख्शी जी को पकड़ न सकी। फरार शचीन्द्र नाथ बख्शी जी का उद्देश्य फांसी या कैद से बचना नहीं था अपितु वे सम्पूर्ण संयुक्त प्रान्त में घूम–घूमकर छिन्न–भिन्न होते हुए संगठन को मजबूत बनाना चाहते थे। ब्रिटिश पुलिस द्वारा सिपाहियों व मुखबिरों के झुण्ड के झुण्ड शचीन्द्र नाथ बख्शी जी पकड़ने हेतु लगा रखे थे जो स्वछन्द व निर्भीक रूप से अपना कार्य कर रहे थे। शचीन्द्र नाथ बख्शी जी बम्बई होते हुए करांची पहुंचे, वहां मजदूरों की दशा समझने के लिए, आने वाले जहाजों पर कोयला लादने वाले कुली का काम स्वीकार किया, उन्हीं के साथ रहने लगे। यहां अवसर का लाभ उठाकर वे विदेश भी जा सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने दल को यहाँ पनपते न देख वे बिहार चले गए और जीवन निर्वाह हेतु कुछ काम करने लगे। अन्त में एक दिन भागलपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। अशफाक उल्ला खाँ के साथ उनका अलग मुकदमा चला और आजन्म कालेपानी की सजा हुई।

शचीन्द्र नाथ बख्शी जी ने जेल में भी संघर्ष जारी रखा। 1937 में शचीन्द्र नाथ बख्शी जी ने राजबन्दियों की रिहाई के लिए आमरण अनशन किया। देश में हलचल मच गयी। लम्बे समय तक चले अनशन को देशराम बाबू, राजेन्द्र प्रसाद ने अपने भरसक प्रयासों तथा उनकी तमाम मांगों को सरकार द्वारा मंजूर करवा देने का वादा करके समाप्त करवाया। कांग्रेस मंत्रिमण्डल के कार्यभार संभालते ही काकोरी के राजबन्दियों को मुक्त कर दिया गया।

शचीन्द्र नाथ बख्शी जी एक दृढ़ कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जो लम्बे समय तक उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के कार्यालय मंत्री रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शचीन्द्र नाथ बख्शी ने सादा व सरल जीवन बिताया तथा एक बार बनारस से विधानसभा सदस्य भी रहे।

क्रान्तिवीर प्रेम कृष्ण खन्ना



प्रसिद्ध काकोरी क्रान्तिवीर प्रेमकृष्ण खन्ना गवर्नमेण्ट रेलवे के चीफ इंजीनियर श्री राम कृष्ण खन्ना के सुपुत्र थे। देश भक्ति की भावना से उत्साहित प्रेमकृष्ण द्वारा 1921 में असहयोग आन्दोलन में जोश के साथ भागीदारी की गयी। आन्दोलन के दौरान प्रेमकृष्ण जी ने दिल्ली के लाला शंकरलाल और स्व0 डॉ0 अन्सारी के अत्याधिक उत्साह से कार्य किया। दिल्ली में रेलवे कॉन्ट्रेक्टर का काम कर प्रेमकृष्ण जी ने अच्छा धन एकत्रित कर लिया था और उनके पास एक लाइसेन्स सहित माउजर पिस्तौल था। दिल्ली से शाहजहांपुर जाने पर उनकी मुलाकात पं0 रामप्रसाद बिस्मिल से हुई व उनकी घनिष्ठ मित्रता हो गई। प्रेमकृष्ण जी ने बिस्मिल को हर संभव मदद का भरोसा दिया। 26 दिसम्बर, 1925 को प्रेम कृष्ण खन्ना के घर की तलाशी ली गयी। उनके मकान से एक माउजर पिस्तौल तथा कारतूस बरामद हुए। ब्रिटिश पुलिस द्वारा यह साबित करने की चेष्टा की थी कि राम प्रसाद बिस्मिल इसी पिस्तौल से निशाना सीखते थे और इन्हीं के नाम से लाए गए कारतूस काकोरी रेल घटना में इस्तेमाल हुए थे।

मुखबिर बनारसीलाल की सूचना पर हार्टन ने मेसर्स विश्वास एण्ड कम्पनी कानपुर के रजिस्टर की जांच की। रजिस्टर से ज्ञात हुआ कि 14 फरवरी, 1924 से 5 जनवरी, 1925 के मध्य प्रेम कृष्ण खन्ना ने 150 कारतूस खरीदे। रजिस्टर पर 7 अगस्त, 1924 की एक प्रविष्टि को जांच करने पर पाया गया कि प्रेम कृष्ण खन्ना के हस्ताक्षर रामप्रसाद के हस्तलेख में थे। प्रेम कृष्ण खन्ना की डायरी से एक प्रविष्टि प्राप्त हुयी, जिस पर ''आलमनगर 205 कन्हैया लाल'' लिखा था। न्यायाधीश कन्हैयालाल के संबंध में कुछ न जान सके पर उन्होंने आलमनगर का अभिप्राय 'आलमनगर स्टेशन' लगाया जहाँ डकैती डाली गयी थी तथा नं0 205 का अभिप्राय मील 205 लगाया जहाँ पर ट्रेन रोकी गयी थी। प्रेम कृष्ण खन्ना पर आरोप था कि उनकी पिस्तौल का प्रयोग क्रान्तिकारी गतिविधियों हेतु होता था। एक वर्ष में इतनी अधिक कारतूस सुरक्षा की दृष्टि से नहीं खरीदे जा सकते थे परन्तु अधिक सबूतों के अभाव में आपको मात्र 05 साल की सजा हुयी।

क्रान्तिवीर गोविन्द चरण कर

साहसी स्वभाव के निर्भीक सिपाही क्रान्तिवीर गोविन्द चरण कर अपनी विद्यालय शिक्षा को त्यागकर क्रान्तिकारी दल से आ जुड़े थे। कान्तिकारी गतिविधियों के मद्देनजर आप ब्रिटिश पुलिस की नजरों में चढ़ गए। 1916 ई0 में गोविन्दचरण अपने एक मित्र के साथ के गिरे हुये मकान में छिपे थे कि पुलिस ने इन्हें चारों ओर से घेर कर पकड़ना चाहा परन्तु हथियार रहते यह आत्मसमर्पण करना नहीं चाहते थे। अत: रिवाल्वर पर ऊंगली रख कर पीछे के रास्ते से निकल गए। सशस्त्र पुलिस द्वारा भी इनका पीछा किया गया। भागते हुये आप द्वारा ब्रिटिश पुलिस पर कई गोलियां बरसायी गयीं परन्तु अन्तत: पुलिस की गोलियों से छलनी होकर, अपनी रिवाल्वर को एक पेड़ की जड़ में छिपाकर बेहोश होकर गिर पड़े। पुलिस ने पास आकर आपको गिरफ्तार कर लिया। पानी की छींटे देकर होश में लाया गया। तलाशी लेने पर गोविन्द चरण के पास कोई भी हथियार न मिला। पुलिस ने पूछा, '' रिवाल्वर कहां है?'' आश्चर्य चकित से बनकर गोविन्द चरण ने कहा, ''कैसा रिवाल्वर? आपकी गोलियों ने मुझे छलनी कर दिया और अब उल्टे आप मुझसे ही पूछते हैं, रिवाल्वर कहां है? मैं क्या जानूं।'' पुलिस का मुँह बंद था।

कुछ दिनों पश्चात् स्वस्थ हो जाने पर आप पर शूटिंग केस चला। हथियार बरामद न होने पर भी गोविन्द चरण को 10 वर्ष काले पानी की सजा मिली। काले पानी में आपको संग्रहणी की भीषण बीमारी हो गयी उसी बीमारी से मरणासन्न अवस्था में लगभग 04 वर्ष बाद 1920 में बिना किसी शर्त के रिहा कर दिये गये।

स्वस्थ होते ही गोविन्द चरण असहयोग आन्दोलन में उत्साहपूर्वक सम्मिलित हो गये। 1925 में जोगेशचन्द्र चटर्जी तथा रावीन्द्रनाथ सान्याल के गिरफ्तार हो जाने के बाद अपने संयुक्त प्रान्त में संगठन का संचालन किया। इस समय गोविन्दचरण अमीनाबाद पार्क के रामेश्वर होटल में डी0एन0 चौधरी बीमा एजेण्ट के नाम से रहा करते थे। फिर भी आप पहली ही गिरफ्तारी में ब्रिटिश पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये और व्यर्थ ही दूसरे सज्जन की चादर आपकी बताकर काकोरी केस का अभियुक्त बनाया गया तथा आजीवन कालेपानी की सजा दी गयी।

गोविन्दचरण कर आजीवन बड़े ही विनोदप्रिय व्यक्ति रहे। जेल जीवन में साथियों को अपने चुटकुलों से घण्टों हँसाते रहते थे। उनके बदन में गोलियों के चिह्न थे, जिन्हें वह विनोद के लहजे में ही, अभिमान के नहीं, अपनी बहादुरी के तमगे कहा करते थे।

क्रान्तिवीर भूपेन्द्रनाथ सान्याल

खेलकूद में पटु, वाद–विवाद करने में दक्ष, फुर्तीले और स्वस्थ शरीर के कुशाग्र बुद्धि, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र और प्रसिद्ध क्रान्तिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल के छोटे भाई क्रान्तिवीर भूपेन्द्रनाथ सान्याल काकोरी ट्रेन केस में एक संगठनकर्ता के रूप में गिरफ्तार किए गए। जेल जाने का यह इनका प्रथम अवसर था। जिस दिन यह गिरफ्तार कर मलाका जेल, इलाहाबाद पहुंचाये गये तो निर्भीकता पूर्वक मुस्करा रहे थे।

मुस्कराहट सदैव इनके चेहरे पर खेला करती थी। जेलर ने इनसे पूछा, '' जेल कैसे आए?'' आपने अपनी उसी स्वाभाविक मुस्कराहट के साथ उत्तर दिया, '' यही बम बनाने के मामले में।'' जेलर ने घुड़ककर कहा, ''हंसते क्यों हो? ठीक से बात करो।'' आपने बगैर शिकन के जवाब दिया, ''मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ यही ठीक ढंग है। इसमें फर्क लाना मेरे बूते की बात नहीं है। जेलर चुप हो गया। काकोरी केस में आपको 5 वर्ष की सजा हुई।

भूपेन्द्रनाथ जी संयुक्त प्रान्त के एक प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता रहे। द्वितीय विश्व युद्ध काल में आप भी नज़रबन्द रहे। आप फतेहगढ़ सेण्ट्रल जेल में अपनी विनोदप्रियता से सभी कैदियों का मनोरंजन करते रहे।

देश की स्वतंत्रता के बाद भूपेन्द्रनाथ पत्रकारिता से अपनी जीविका चलाते रहे। यह कुशल वक्ता और शक्तिशाली लेखक भी थे।



क्रान्तिवीर जोगेशचन्द्र चटर्जी



क्रान्तिवीर जोगेशचन्द्र चटर्जी का जन्म ढाका जिले के गावदिया में एक भद्र परिवार में हुआ था। उनका लालन–पालन और शिक्षा कुमिल्ला में हुयी थी और अपने विद्यार्थी जीवन में ही वह क्रान्तिकारी आन्दोलन के अग्निपथ पर चलने लगे थे। वह काकोरी ट्रेन एक्शन केस के प्रमुख अभियुक्तों में से एक थे। सेशन जज द्वारा उन्हें इस केस के लिये मात्र 10 वर्ष की सजा दी गयी थी परन्तु अवध चीफ कोर्ट ने उन्हें दल का प्रमुख नेता ठहराकर उनकी सजा बढ़ाकर आजन्म काले पानी की कर दी थी।

कान्तिकारी गुप्त रूप से अपना कार्य करते थे और बड़ी ही गरीबी में अपना जीवन यापन करते थे। क्रान्ति के ऐसे असिधारा व्रत पर चलने वालों में जोगेश चन्द्र प्रमुख क्रान्तिकारी गिने जाने लगे। उत्तर प्रदेश (तत्कालीन संयुक्त प्रान्त) में 'हिन्दुस्तानी प्रजातंत्र संघ' के संगठन व संचालन में जोगेश चन्द्र द्वारा प्रमुख रूप से योगदान दिया गया।

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान उन्हें पकड़ कर नजरबंद किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में विजयी होने के बाद आम माफी के सिलसिले में उन्हें बिना शर्त छोड़ दिया गया। वे पुनः क्रान्तिकारी संगठन व कार्य में जुड़ गये। एक कुशल और दृढ़ संगठन करने वाले के रूप में क्रान्तिकारी दल में उनकी विशेष प्रतिष्ठा थी।

कानपुर में वह सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय, रामदुलारे त्रिवेदी, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त आदि के निकट और घनिष्ठ परिचय में आए और वहां क्रान्तिकारी दल की शाखा का सुदृढ़ संगठन किया। काकोरी केस में सजा पाकर जेलों में राजनीतिक बन्दियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के विरूद्ध लम्बी–लम्बी भूख हड़ताले कीं परिणामतः सरकार को उनकी मांगों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा।

काकोरी केस के बाद जब क्रान्तिकारी दल 'भारतीय प्रजातंत्र संघ', सरदार भगत सिंह और चन्द्र शेखर आजाद के नेतृत्व में 'भारतीय समाजवादी प्रजातंत्र संघ' के रूप में विकसित हुआ तो उसने जोगेश चन्द्र को जेल से निकाल ले जाने के अनेक प्रयास किये, किन्तु सफल न हो सके।

1937 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन जाने पर आपको रिहा किया गया परन्तु दिल्ली में प्रवेश की निषेधाज्ञा को भंग करने पर पुनः गिरफ्तार किया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के काल में आपको गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिया गया। देवली नज़रबन्दी कैम्प में आपने सुप्रसिद्ध भूख हड़ताल में भाग लिया। कैम्प के अधिकारी आपको किसी भी प्रकार जबरन दूध पिलाने में सफल नहीं हुए और आपका स्वास्थ दिनोंदिन बिगड़ता गया और इतना खराब हो गया कि सरकार को फिर इन्हें छोड़ ही देना पड़ा।

शरीर से दुबले–पतले, मितभाषी, सदैव क्रान्ति के चिन्तन और चिन्ता में लीन जोगेश चन्द्र सदैव एक अजेय क्रान्तिकारी रहे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आप राज्य सभा सदस्य रहे। इस सुयोग का उपयोग करते हुए उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में क्रान्तिकारी दल के योगदान को, जिसे विस्मृत और तिरस्कृत किया जा रहा था, भारत की भावी पीढ़ियों को बताने और क्रान्तिकारियों के लक्ष्य समाजवादी प्रजातन्त्र स्थापित करने की ओर नौजवानों का ध्यान आकृष्ट करने का हर सम्भव प्रयास किया।

इसके लिये उन्होंने दिसम्बर, 1958 को सभी जीवित बचे क्रान्तिकारियों का एक सम्मेलन दिल्ली में बुलाया जिसकी अध्यक्षता सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी डा0 भूपेन्द्रनाथ दत्त ने की और उद्‌घाटन वारीन्द्र कुमार घोष ने किया। तत्कालीन गृह मंत्री पं0 गोविन्द बल्लभ पंत ने इस सम्मेलन को सम्बोधित किया और प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा क्रान्तिकारियों का सम्मान किया गया।

परन्तु जोगेश चन्द्र चटर्जी अत्यधिक अस्वस्थ होने के कारण अधिक दिन जीवित न रह सके परिणामतः क्रान्तिकारी आन्दोलन का वृहत इतिहास एक समिति द्वारा लिखे जाने का काम आगे नहीं बढ़ सका।



क्रान्तिवीर मन्मथ नाथ गुप्ता



अद्वितीय मेधावी, सुलेखक, कई भाषाओं के जानकार, राजनीतिक गुत्थियों और विचारधाराओं के सुदक्ष ज्ञाता बहुमुखी प्रतिभावान क्रान्तिवीर मन्मथनाथ गुप्त का जन्म सन् 1907 में बनारस के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। बचपन से ही मन्मथ बड़े होनहार थे। पांच वर्ष की अल्पायु में ही यह कठिन से कठिन गणित के प्रश्न हल कर लिया करते थे। इनको प्रारम्भिक शिक्षा अपने पिता जी से ही प्राप्त हुई, जो विराटनगर (नेपाल) में एक स्कूल ने हेडमास्टर थे। दो वर्ष तक मन्मथ जी ने उसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण की, तत्पश्चात काशी के राष्ट्रीय विद्यालय में भरती हो गये। इनके निर्भीक राष्ट्रवादी पिता इन्हें एक प्रखर देशभक्त बनाना चाहते थे।

1921 में ब्रिटेन के युवराज (प्रिंस ऑफ वेल्स) के बहिष्कार का नोटिस बाँटते हुए मन्मथनाथ जी गिरफ्तार का लिए गए व तीन माह की सजा दी गई। 1923 में इन्होंने महात्मा गांधी द्वारा स्थापित सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय शिक्षा संस्था 'काशी विद्यापीठ' से विशारद परीक्षा पास की।

उन्हीं दिनों आपका परिचय बंगाल के एक प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता से हुआ तथा आप क्रान्तिकारी दल में सम्मिलित हो गये। उस समय बनारस के सुदृढ़ संगठन की सारी शक्ति बख्शी—लाहिड़ी—मन्मथ की इस त्रिमूर्ति में केन्द्रित थी। तीनों व्यक्तियों ने एकमत होकर अपना व्यक्तित्व 'भारतीय प्रजातंत्र संघ' का व्यक्तिव कर दिया था।

इन्होंने कुछ पत्र 'एक क्रान्तिकारी' के नाम से क्रान्तिकारी आन्दोलन के बारे में महात्मा गाँधी को लिखे थे, जिनका उत्तर अपने साप्ताहिक 'यंग इण्डिया' में महात्मा जी ने दिया था। इन पत्रों ने उस समय राजनीतिक जगत में उथल–पुथल सी मचा दी थी। काकोरी केस के मुकदमें में आपको 14 वर्ष की सजा हुई। जेल में आपने कैदियों के रख–रखाव व जीवन यापन सम्बन्धी व्यवस्थाओं में सुधार हेतु कई बार अनशन किया और एक अनशन तो तभी समाप्त किया जब काकोरी के कैदी 'बी' क्लास के घोषित कर दिये गये। इस अनशन में राजकुमार सिन्हा और शचीन्द्र नाथ बख्शी भी साथ थे।

मन्मथनाथ गुप्त द्वारा 'भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन' का इतिहास लिखकर भारतीय क्रान्तिकारी इतिहास लेखन के महान अभाव की पूर्ति की गई। इन्होंने रूस ब्रिटेन आदि देशों की यात्रा भी की और भारतीय क्रान्तिकारी, बुद्धिजीवी और लेखक के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। इन्होंने कई सांस्कृतिक, साहित्यिक उपन्यास और कहानियाँ भी लिखीं। अंग्रेजी में भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन पर लिखी आपकी पुस्तक 'They lived Dangerously' बहुत प्रसिद्ध हुई।

आपने 'क्रान्ति युग के अनुभव', 'श्री चन्द्रशेखर आजाद', 'अमर शहीद यतीन्द्रनाथ दास' नामक पुस्तकें भी लिखीं। तत्कालीन पत्र–पत्रिकाओं में तो आपके लेख बराबर प्रकाशित हुआ करते थे।



क्रान्तिवीर मुकुन्दी लाल

क्रान्तिवीर सेनानी मुकुन्दी लाल का जन्म 1891 में इटावा जिले की औरैया तहसील में एक सम्पन्न वैश्य परिवार में हुआ था। कई गांवों में उनकी जमींदारी थी तथा खेतों और व्यापार का भी विशाल काम था। बचपन में ही उनके पिता जी का स्वर्गवास हो गया था। धन सम्पन्नता की वजह से उन्होंने स्वंय की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया परन्तु उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए चल रहे सशस्त्र क्रान्ति के प्रयासों में भाग लिया व किसी भी प्रकार के लोभ से आजीवन पीछे नहीं मुड़े।

उस समय ब्रिटिश पुलिस द्वारा अकारण ही लोगों को परेशान किया जाता था। यह अन्याय मुकुन्दीलाल जी को सहन नहीं होता था। अंग्रेजों के प्रति उनके रोष भरे विचारों को सुनकर उनके मित्र प्रभुदयाल पाण्डे द्वारा उन्हें प्रसिद्ध क्रान्तिकारी गेंदालाल दीक्षित से सम्पर्क करने की सलाह दी। पं0 गेंदालाल दीक्षित उस समय औरैया में ही एक स्कूल में शिक्षक थे। मुकुन्दीलाल दीक्षित जी से मिले व उनके दल में शामिल हो गये। संगठन की धन सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उन्होंने दीक्षित जी के साथ मिल कर कई डकैतियों में भाग लिया। धन की समस्या को इस तरह हल करने के साथ–साथ इनका दल समय–समय पर पर्चे आदि भी बाँटता था। इन परचों में अंग्रेजों के विरूद्ध संघर्ष में कूद पड़ने के लिए नौजवानों का आह्वान किया जाता था।

पं0 गेंदालाल दीक्षित ने एक योजना बनायी कि उत्तर प्रदेश के बारह जिलों के कलेक्टर तथा सुपरिटेण्डेण्ट आदि अधिकारियों को एक ही दिन मार डाला जाये। उनका कहना था कि इससे देश विदेश में तहलका मच जाएगा। यह योजना पूरी होने के पहले ही दल का एक सदस्य दलपति सिंह सरकारी गवाह बन गया और उसके बयानों के आधार पर कई साथी गिरफ्तार कर लिये गए। गेंदालाल जी ग्वालियर में पकड़े गये। उन्हें ग्वालियर से मैनपुरी लाया गया जहां उन पर 'मैनपुरी षडयन्त्र केस' चला।

दीक्षित जी की गिरफ्तारी के साथ ही दम्मीलाल, गोपीनाथ, चन्द्रधर जौहरी, फतह सिंह, राजाराम, शिवचरनलाल शर्मा तथा मुकुन्दीलाल भी गिरफ्तार कर लिए गये। राम प्रसाद 'बिस्मिल' के नाम पर भी वारंट जारी हुआ परन्तु वे फरार हो गये। इस केस में मुकुन्दी लाल जी को पूरे 07 साल की सजा मिली। जेल के भीतर उन्होंने असंख्य यातनाएं झेलीं। वे इस संबंध में लिखते हैं कि, '' जेल से कुछ साथी भाग निकले। इसके बाद हम लोगों को बेड़ियों और हथकड़ियों से बांध दिया गया। रात के बारह बजे गिनती होती थी। उसी समय भंगी आता था जो कनस्तरों में पेशाब आदि करा ले जाता था। इसके अतिरिक्त यदि रात को पेशाब लगे तो तसलों में ही करना पड़ता था। सुबह को उन्हीं तसलों में खाना दिया जाता था।''

13 अप्रैल, 1922 को दिल्ली में गोली चली। उस समय मुकुन्दीलाल जी नैनी जेल में थे। गोलीकाण्ड के खिलाफ अपने जेल में अनशन करवाया, इसके लिए खूब पिटाई की गई। एकान्त कोठरी में बन्द किया गया तथा चक्की डबल कर दी गयी। रिहा होने के बाद आप बुन्देलखण्ड गए तथा वहां शचीन्द्रनाथ बख्शी से मिलकर पुनः पिस्तौल व कारतूसों से खेलने लगे। फिर बुन्देलखण्ड को छोड़कर बनारस गये। इसी समय एक जमींदार के यहां डाका डाला गया।

9 अगस्त, 1925 को काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन रोककर सरकारी धन लूटा गया। काकोरी ट्रेन एक्शन अंग्रेजों के मुंह पर एक करारा तमाचा था। काकोरी केस में मुकुन्दीलाल जी पर भी मुकद्दमा चला। उन्हें बनारस के एक पुस्तकालय में पकड़ लिया गया तथा आजन्म काले पानी की सजा दी गई। बरेली सेंट्रल जेल में आपने बहुत से कष्ट झेले। समय–समय पर संघर्षों में भाग लेकर क्रान्ति की आवाज बुलन्द करते रहे। लम्बी सजा काटने के बाद 1942 में आप रिहा हो गये। लेकिन ब्रिटिश शासन ने इन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद देश आजाद होने के साथ ही आप जेल से मुक्त हुए। आजादी के बाद आप औरेया में ही आकर रहने लगे जहां उन्हें कुछ रूपये सरकारी पेंशन के रूप में मिलते थे परन्तु यह इतने कम थे कि वे कठिनता से जीवन निर्वाह कर रहे थे। आजाद भारत में 25 साल तक उन्होंने बहुत ही दर्दनाक जीवन बिताया जो स्वतन्त्र भारत के लिए लज्जा की बात मानी जाएगी। अक्टूबर 1972 को कानपुर के एक अस्पताल में मुकुन्दीलाल जी का निधन हो गया।



क्रान्तिवीर राजकुमार सिन्हा

क्रान्तिवीर राजकुमार सिन्हा को विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति से प्रेम था। उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर में 1922 में प्रथम कम्युनिस्ट केस चला। वे इस मुकदमे को दिलचस्पी के साथ देखते थे। क्रान्तिकारी विचारधारा से आपका प्रथम परिचय यहीं से आरम्भ हुआ। राजकुमार जी के घर के सामने डी0ए0वी0 विद्यालय था जहां पर प्रसिद्ध बंगाली क्रान्तिवीर सुरेश चन्द्र भट्टाचार्य का आना–जाना था। इनसे राजकुमार जी की घनिष्ठता बढ़ती गयी। राजकुमार जी सेवा भाव से अनुप्राणित रामकृष्ण मिशन के एक उत्साही कार्यकर्ता थे।

कानपुर से आप हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस में जाकर दाखिल हुए। साहित्य से आपको विशेष अभिरूचि थी। क्रान्तिवीर राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी भी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र थे। उन्होंने वहां एक 'बंगला छात्र परिषद' संगठित कर रखी थी। उसके द्वारा राजकुमार जी और राजेन्द्रनाथ जी को मिलने–जुलने का अवसर मिला बातचीत चली और विश्वविद्यालय के टेरिटोरियल कोर्स के दक्ष सदस्य राजकुमार जी क्रन्तिकारी दल में शामिल हो गये। परिषद की बैठक हो रही थी, सरस गायक राजकुमार जी ने गाया :

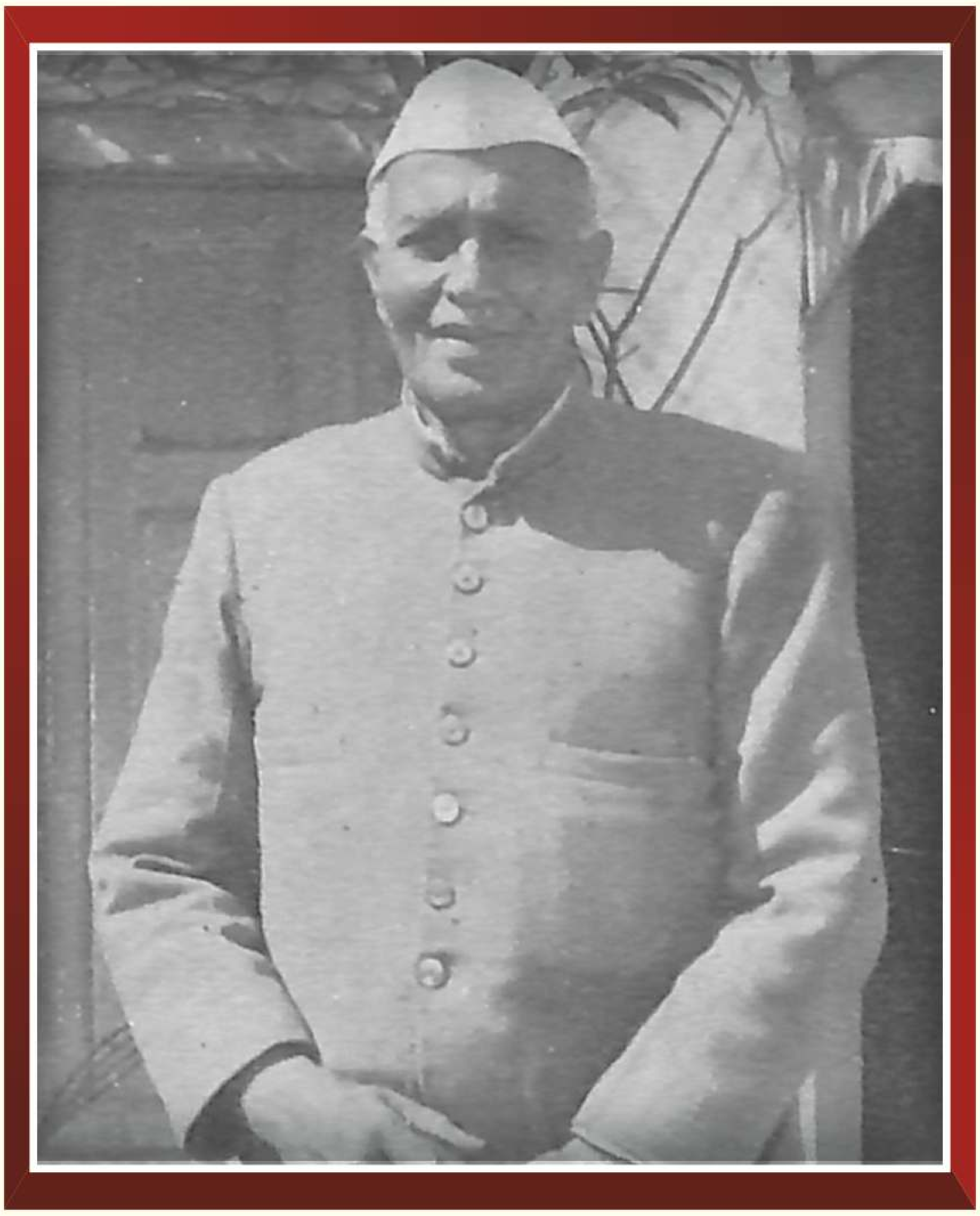
'जतो बार आलो जालाते चाई,
निबे जाय बारे–बारे।'

(जितनी ही बार ज्योति को प्रकाशित करना चाहता हूँ, बराबर बुझ जाती है।)

राजकुमार जी ने एक निबन्ध 'राष्ट्रीय आन्दोलन और छात्रों पर इसका प्रभाव' पढ़ा जिसकी बड़ी प्रशंसा हुयी। मुकदमें में इस निबन्ध को राजद्रोहात्मक सिद्ध करने की चेष्ट की गई। 28 जनवरी, 1925 को विश्वविद्यालय में हलचल सी मच गयी। 'भारतीय प्रजातन्त्र संघ' की ओर से प्रकाशित अंग्रेजी पर्चा 'दि रेवोल्युशनरी' बड़े जोरों से यहां भी बांटा गया, पर बांटने वाले का पता न था। बड़ी जांच–पड़ताल के बाद भी कोई सूत्र हाथ न लगा। राजकुमार सिन्हा ने भी विद्यालय के अधिकारियों को एक पर्चा अपने कमरे में पाये जाने की सूचना दी।

पुलिस ने जो चिट्ठी–पत्री पकड़ ली थी, उससे वह किसी विद्यार्थी की तलाश में थे। एक पत्र से उसका सन्देह राजकुमार जी पर गया। राजकुमार जी अपने सैनिक कैम्प में घायल हो कानपुर चले आये थे। इसी मध्य 9 अगस्त, 1928 को काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना घटित हुयी। जांच पड़ताल के मद्देनजर राजकुमार जी को भी काकोरी केस का अभियुक्त बनाया गया। पुलिस द्वारा 30 अक्टूबर को उनके कमरे की तलाशी ली गयी। 2 रायफलें तथा पुलिस की वर्दी वहां से पुलिस को मिलीं और दूसरे ही दिन कानपुर में राजकुमार गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमे के दौरान उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। काकोरी केस में आपको 10 वर्ष की सजा हुई, आप अपनी पूरी सजा काटकर रिहा हुए। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ब्रिटिश पुलिस द्वारा राजकुमार जी को लगभग पांच साल तक जेल में नजरबंद रखा गया। उन्होंने जेल में रहते हुए जर्मन, रूसी आदि कई भाषाओं का अध्ययन किया और ऊंचा पांडित्य प्राप्त किया। आप रूसी भाषा के शिक्षक भी रहे। संगीत से राजकुमार जी को विशेष प्रेम था और यह शास्त्रीय संगीत के अच्छे ज्ञाता और गायक भी थे। भारतीय साम्यवादी दल के सदस्य न होते हुए भी आपके विचार पक्के साम्यवादी थे।

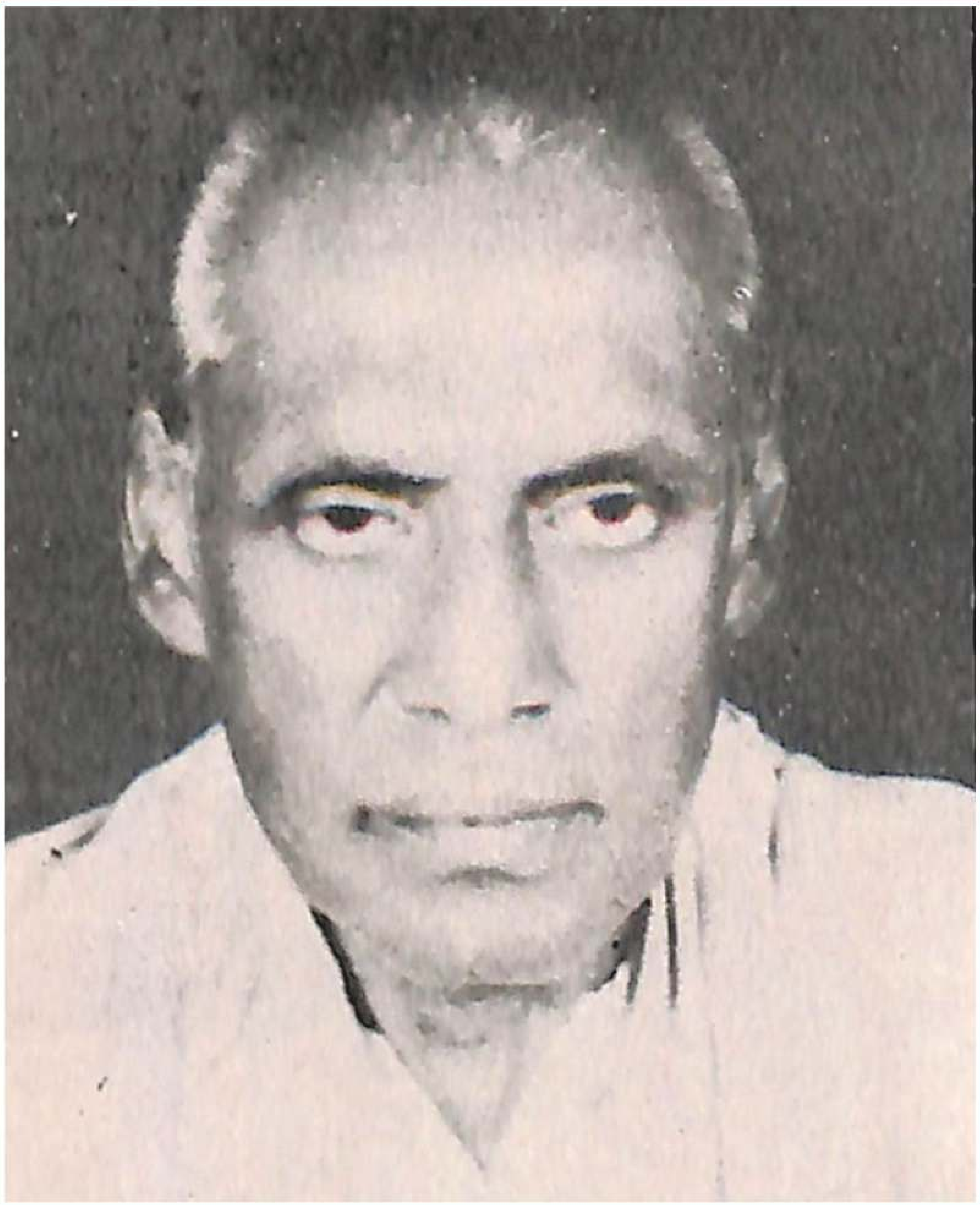
क्रान्तिवीर रामकृष्ण खत्री



क्रान्तिवीर रामकृष्ण खत्री का जन्म 3 मार्च, 1902 को हुआ था। आप चिरवली ग्राम, जिला बुलढाना (बरार) के निवासी थे। बाल्यकाल से ही आपका ध्यान राजनीति की ओर विशेष रूप से था। सींक से दुबले खत्री जी में गजब की निर्भीकता, सच्चाई व प्रेमी स्वाभाव व्याप्त था। इसी स्वाभाव के कारण बाल्यकाल में ही वह किसी से प्रेम कर बैठे परन्तु समाज की रूढ़ियों व घरवालों के विरोध ने उनके सरस जीवन को नीरस बना दिया। विरागी हो रामकृष्ण जी उदासीन साधु हो गये परन्तु साधु समाज के अन्दर जाकर उन्होंने देखा कि कुछ लोगों को छोड़कर सारा साधु समाज भ्रष्ट, दुराचारी तथा तामसिक प्रवृतियों से भरा हुआ है। उन्हें अपने जीवन की निरर्थकता शूल सी चुभने लगी। सुधार के लिए उन्होंने 'उदासीन महामंडल' का संगठन किया। बनारस में उनकी भेंट चंद्रशेखर आजाद से हुई। बातचीत के सिलसिले में आजाद ने इन्हें देश की स्वतंत्रता हेतु क्रान्तिकारी दल में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। एक महान कार्य में जीवन उत्सर्ग की सम्भावना को सामने देख इन्होंने इसे स्वीकार कर लिया।

हिन्दी, मराठी, गुरूमुखी, अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता रामकृष्ण दल में बहुत ही उत्साही कार्यकर्ता सिद्ध हुए। अनेक सैनिक कार्यों में भी अपनी गौरवपूर्ण उपस्थिति दर्ज करायी। 9 अगस्त, 1925 के काकोरी ट्रेन एक्शन के सिलसिले में शचीन्द्र नाथ बख्शी जो ब्रिटिश पुलिस द्वारा पूना में गिरफ्तार किया गया। कुछ दिनों लालच व बन्दर–घुड़की देने पर भी जब पुलिस इनसे कुछ न उगलवा पायी तो झल्ला कर पीछा छोड़ दिया। मुकदमे के दौरान सिद्ध हुआ कि आपने मध्य प्रान्त और महाराष्ट्र में भी दल संगठन करने का काफी उद्योग किया था। अतः बख्शी जी को 10 वर्ष की सजा हुई।

क्रान्तिवीर रामनाथ पाण्डे



कान्तिवीर रामनाथ पाण्डे का जन्म वाराणसी के एक ब्राम्हण परिवार में 1910 को हुआ था। उनकी अल्पायु में ही पिता की मृत्यु हो गयी, जिसके कारण परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गयीं। परन्तु 16 वर्ष की छोटी आयु से ही रामनाथ क्रान्तिकारी गतिविधियों में शामिल हो गये। वह क्रान्तिवीर राजेन्द्र लाहिड़ी के लिए एक 'पोस्ट बॉक्स' की तरह थे। यह व्यवस्था कुछ समय तक चलती रही परन्तु लाहिड़ी और रामनाथ की कभी कभी होने वाली मुलाकातों से पुलिस को उन पर शक हो गया। उन्होंने उनके पत्र पढ़ने शुरू किये और एक दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अन्य आपत्तिजनक चीजें जैसे–पुलों और कैन्टोनमेण्ट्स का विवरण भी उनके पास से ढूंढा गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा आपको काकोरी केस का अभियुक्त भी बनाया गया। काकोरी केस के जज द्वारा आपको धारा–121–ए और धारा–121–बी के अन्तर्गत पांच साल की सजा दी गयी थी, परन्तु अपील में अवध चीफ कोर्ट ने उनको धारा 120–बी के जुर्म से बरी कर दिया था और धारा 121–ए में उनकी सजा घटाकर तीन वर्ष कर दी थी। आपकी गिरफ्तारी से इनकी माता को अत्याधिक कष्ट सहने पड़े परन्तु वह कहा करते थे कि भारत माता के कष्ट के आगे माता का कष्ट कम महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश पुलिस द्वारा जेल में उन्हें अत्यधिक प्रताड़ित किया गया ताकि वे काकोरी केस के भेद खोल दें। परन्तु वे अपने मन्तव्य में सफल न हो सके।

क्रान्तिवीर रामदुलारे त्रिवेदी

क्रान्तिवीर रामदुलारे त्रिवेदी अपनी पुस्तक 'काकोरी के दिलजले' में अपना परिचय देते हैं। उनका जन्म उन्नाव जिले के करनाईपुर में हुआ था। उनके पिता बम्बई में मिठाई की दुकान चलाते थे। बम्बई में ही उनका बाल्यकाल बीता व शिक्षा–दीक्षा हुयी। 11 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्योपरान्त छोटे भाई तथा माता तथा स्वयं के जीवन निर्वाह के लिये इन्होंने अत्यन्त संघर्षमय जीवन बिताया। पान की दुकान, ट्राम की नौकरी, फौज में भरती, मील में काम, बिस्कुट का खोमचा, अखबारों की हॉकरी आदि बहुत कुछ करना पड़ा।

असहयोग आन्दोलन में रामदुलारे जी द्वारा अत्यन्त उत्साह से भाग लिया गया। वह कांग्रेस स्वयंसेवक बन विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना देने लेगे। उन्हें गिरफ्तार कर धारा 108 के तहत 6 माह की सजा दे दी गयी। बरेली जेल पहुंचते ही उन्होंने रोशन सिंह जी को चक्की से मोर्चा लेते देखा। उन्होंने सुना कि वहां के सुपरिटेंडेण्ट ले0 कर्नल हेयर असहयोगियों से बड़ी नफरत करते हैं। वहां पर कैदियों से निर्दयता पूर्ण व्यवहार किया जाता था, उन्हें अपमानित व लाक्षित कर उनके स्वाभिमान को कुचल डालने की चेष्टा की जाती थी। अतः रामदुलारे व ब्रिटिश पुलिस के मध्य ठन गई, संघर्ष और घमासान छिड़ गया। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उन्हें ह्थकड़ी, बेड़ी, मतभंगा, कालकोठरी और अन्त में 20 बेतों की सजा दी गयी। उन्हें पागलखाने भेजने की कोशिश भी की गई। महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आन्दोलन चौरी–चौरा घटना के मद्देनजर स्थगित कर दिये जाने से निराश अन्य देशभक्तों की भांति ही रामदुलारे भी क्रान्तिकारी नेतृत्व की खोज में निकल पड़े और अनततः कानपुर में श्री सुरेश चन्द्र भट्टाचार्य के सम्पर्क से हिन्दुस्तान प्रजातन्त संघ के पूर्ण सक्रिया सदस्य बन गये। 9 अगस्त, 1925 के काकोरी केस में रामदुलारे त्रिवेदी को 5 वर्ष की कैद से छूटने के बाद पुनः उन्हें कानपुर–देहरादून केस में पकड़ लिया गया। परन्तु पूर्ण प्रमाण के अभाव में रामदुलारे जी को पांच–पांच हजार रूपये की दो जमानतों पर छोड़ दिया गया। उन्हें पुनः दफा 110 के तहत गिरफ्तार किया गया तथा 2–2 हजार रूपये की नेकचलनी की जमानत पर छोड़ा गया।

रामदुलारे त्रिवेदी एक सुयोग्य लेखक और बड़े ही उच्च स्वर में बोलने वाले सुवक्ता भी थे। उनकी 'काकोरी के दिलजले' पुस्तक बहुत ही प्रभावपूर्ण सिद्ध हुयी। काकोरी केस के अन्य क्रांतिकारियों की भांति उनका भी प्रधान लक्ष्य जनतंत्री समाजवाद की प्राप्ति था, जिसके लिए वह आजीवन प्रयत्नशील रहे।

क्रान्तिवीर विष्णुशरण दुबलिश



क्रान्तिवीर विष्णुशरण दुबलिश का जन्म मेरठ जिले के माला कस्बे में हुआ था। दुबलिश अपने छात्र जीवन से ही राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रहे थे। गांधी जी द्वारा 1920—21 में असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ किया जाना दुबलिश जी के लिये रण—निमंत्रण से कम न था। अतः वे कालेज सीमा को लांघ कर राजनीतिक समर क्षेत्र में कूद पड़े। उस दिन एक बड़ा जुलूस कस्बे में निकलने वाला था। दुबलिश जी उसके प्रमुख नेता थे। जनता उनके एक इशारे पर मर मिटने को तैयार थी।

जुलूस निकला, हजारों नर—नारियों के कंठ से गूॅज रहा था : ''झंडा ऊंचा रहे हमारा ! '' एकाएक लाल साफे की कतार निहत्थी जनता पर लाठी बरसाते हुये टूट पड़ी। तत्कालीन कलेक्टर ने अपने हाथ में जूता उठाया और भरे बाजार में हजारों जनता के सामने जुलूस के नेता दुबलिश जी पर बरसाने लगे। जनता की आँखों में गुस्से से खून उतर रहा था, पर विष्णु शरण मुस्करा रहे थे। वे जानते थे, उनके एक इशारे पर अभी खून की फाग खेल दी जायेगी। पर वे अहिंसा के सैनिक थे।

गिरफ्तार कर उन्हें डेढ़ साल की सजा दी गई। साथ के लोग मामूली चोर—डाकू की तरह और ये विशेष व्यवहार के तहत जेल में रखे जाएं, इसे इन्होंने स्वीकार नहीं किया और अन्य भाइयों के साथ साधारण सजा काटने लगे।

इनके जेल से छूटने के बाद असहयोग आन्दोलन एकाएक समाप्त होने से भारत के राजनीतिक आकाश पर घोर निराशा का घना कोहरा व्याप्त था। इस स्थिति को समाप्त करने के लिये दुबलिश जी प्रयासरत हो गये। संयुक्त प्रान्त के प्रमुख क्रान्तिवीर संगठनकर्ता शचीन्द्र नाथ सान्याल से भेंट कर वह क्रान्तिकारी दल में सम्मिलित हो गये। इस समय दुबलिश जी मेरठ में कांग्रेस के एक प्रभावशाली कार्यकर्ता थे। पार्टी की प्रान्तीय कमेटी के एक सदस्य थे। 9 अगस्त, 1925 को घटित काकोरी ट्रेन एक्शन के सिलसिले में दुबलिश जी भी 26 सितम्बर, 1925 को गिरफ्तार हुए। इस केस में आपको पहले सात वर्ष और अवध चीफ कोर्ट में की गयी अपील में बढ़ाकर 10 वर्ष की सज़ा दी गई।

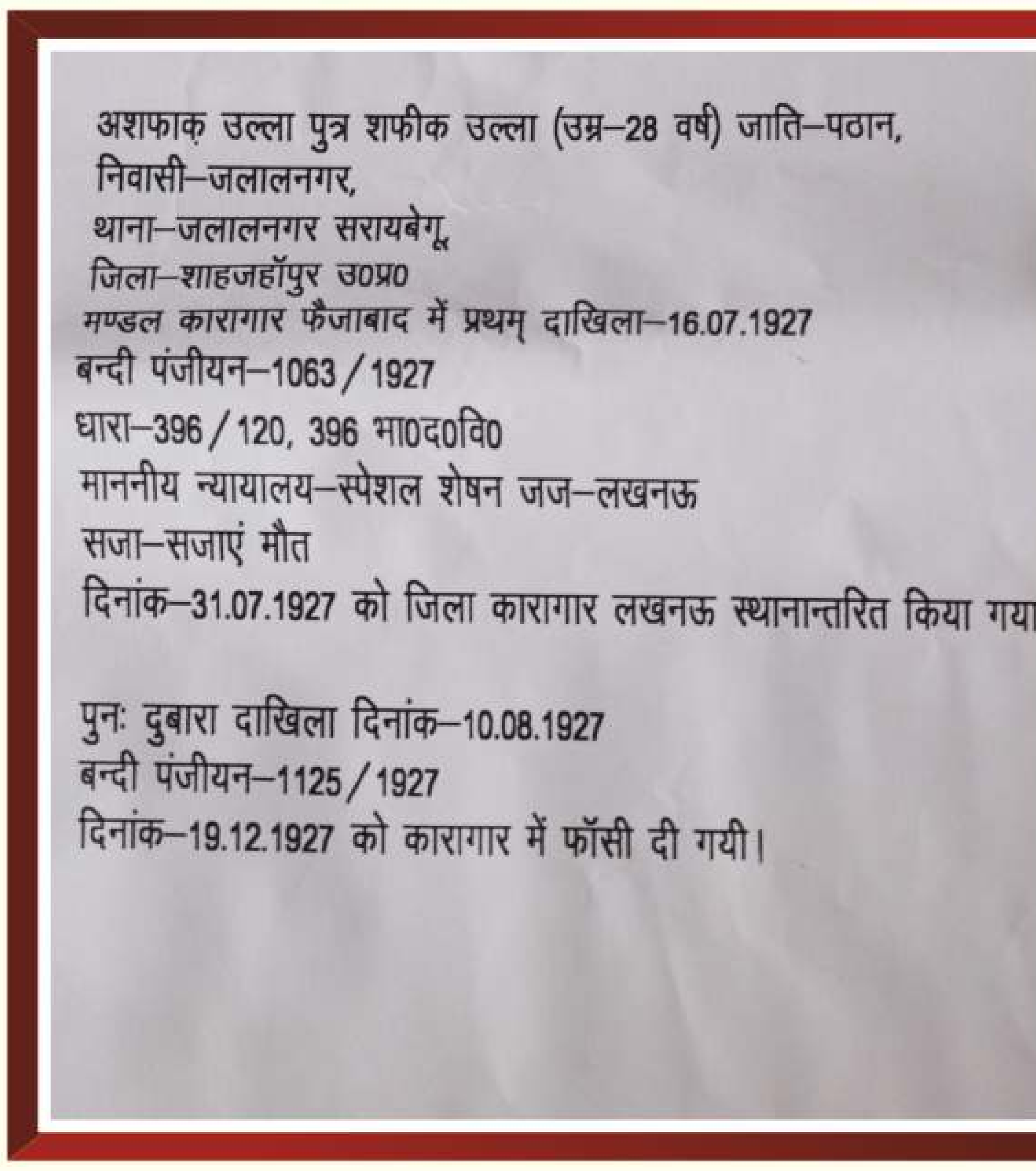
जेल में भी आपका प्रभाव कैदियों पर विशेष रूप से रहता था। इससे घबड़ाकर जेल अधिकारियों ने नैनी सेण्ट्रल जेल में जो दंगा हुआ था उसमें इन्हें प्रमुख अभियुक्त बनाया। सेशन कोर्ट से उन्हें आजीवन कालेपानी की सजा़ दी गयी पर इलाहाबाद कोर्ट ने अपील में उसे घटाकर 05 वर्ष कर दिया। हंसमुख और विनोदप्रिय दुबलिशजी रिहा होते ही पुनः राजनीति के कार्यक्षेत्र में आ खड़े हुये और उसी वर्ष संयुक्त प्रान्त की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्य तथा जिला कांग्रेस कमेटी, मेरठ के सभापति चुन लिये गये।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुबलिश पुनः नजरबन्द किये गये और युद्धान्त में ही छोड़े गये। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् आप संसद सदस्य भी रहे।



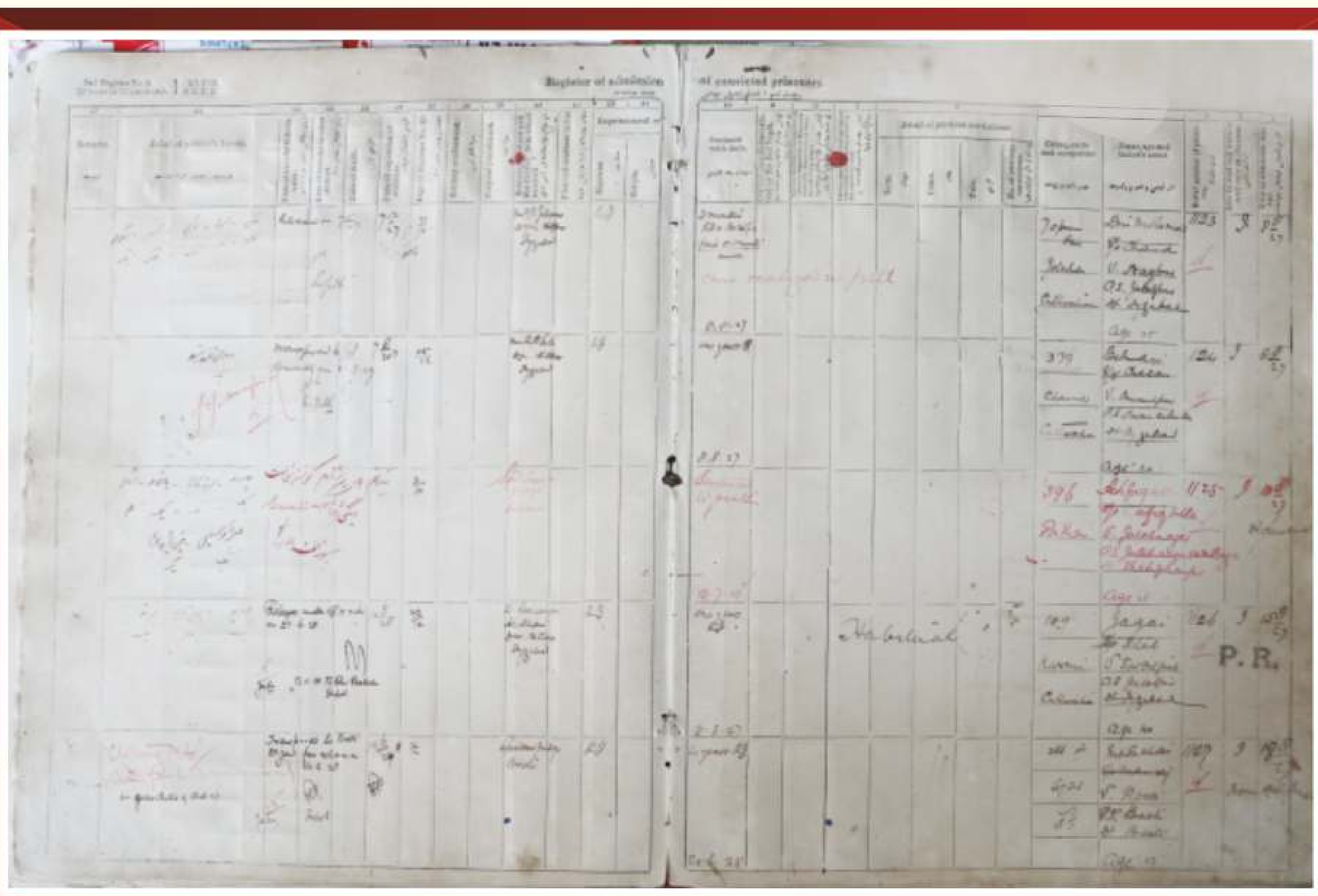
शहीद अशफ़ाक़ उल्ला खां
फांसी-जिला कारागार, फैज़ाबाद
19.12.1927





अशफाक़ उल्ला पुत्र शफीक उल्ला (उम्र–28 वर्ष) जाति–पठान,
निवासी–जलालनगर,
थाना–जलालनगर सरायबेगू,
जिला–शाहजहाँपुर उ0प्र0
मण्डल कारागार फैजाबाद में प्रथम् दाखिला–16.07.1927
बन्दी पंजीयन–1063 / 1927
धारा–396 / 120, 396 भा0द0वि0
माननीय न्यायालय–स्पेशल शेषन जज–लखनऊ
सजा–सजाएं मौत
दिनांक–31.07.1927 को जिला कारागार लखनऊ स्थानान्तरित किया गया

पुनः दुबारा दाखिला दिनांक–10.08.1927
बन्दी पंजीयन–1125 / 1927
दिनांक–19.12.1927 को कारागार में फाँसी दी गयी।





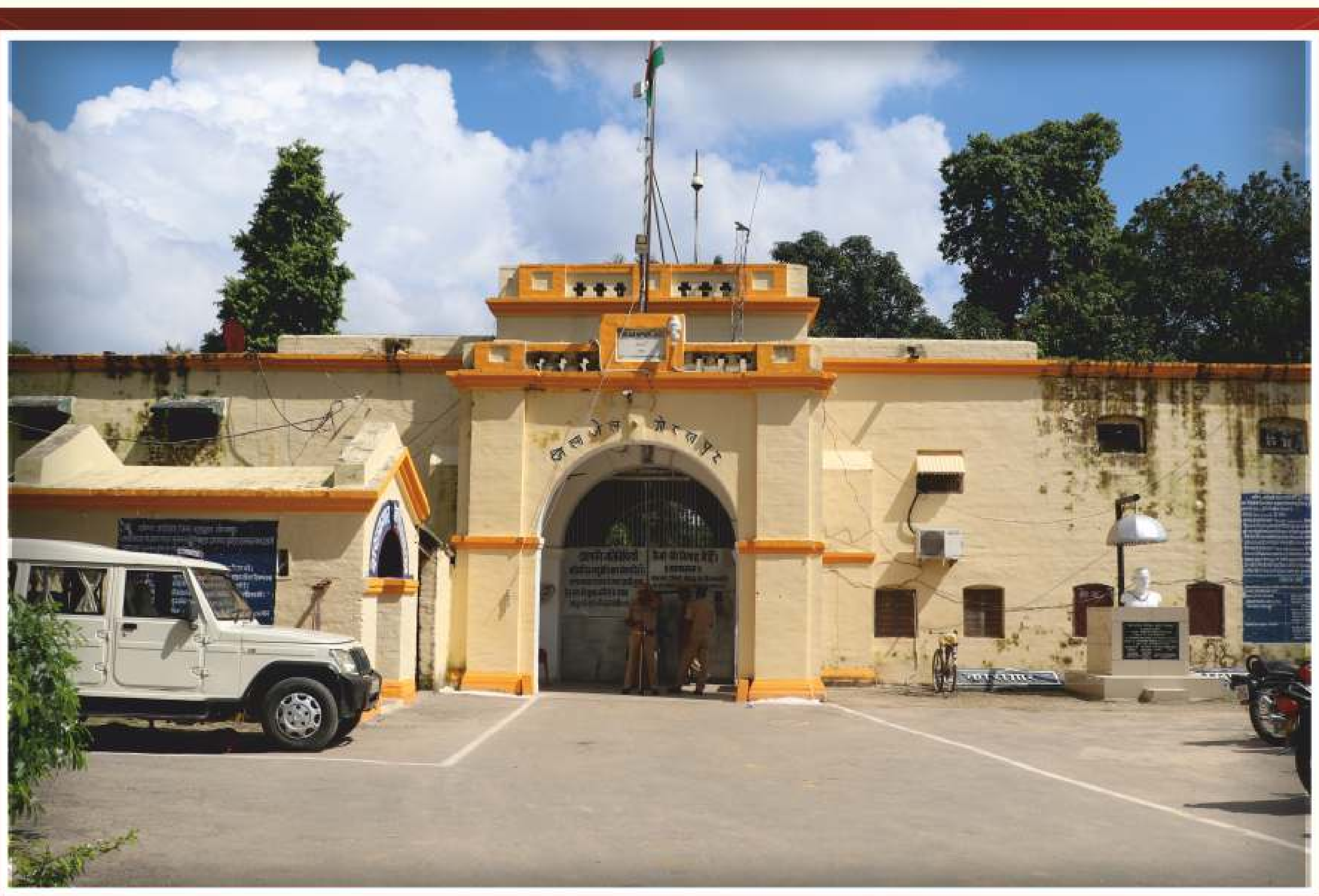




अमर शहीद पं. राम प्रसाद बिस्मिल
फांसी-जिला जेल-गोरखपुर
19.12.1927





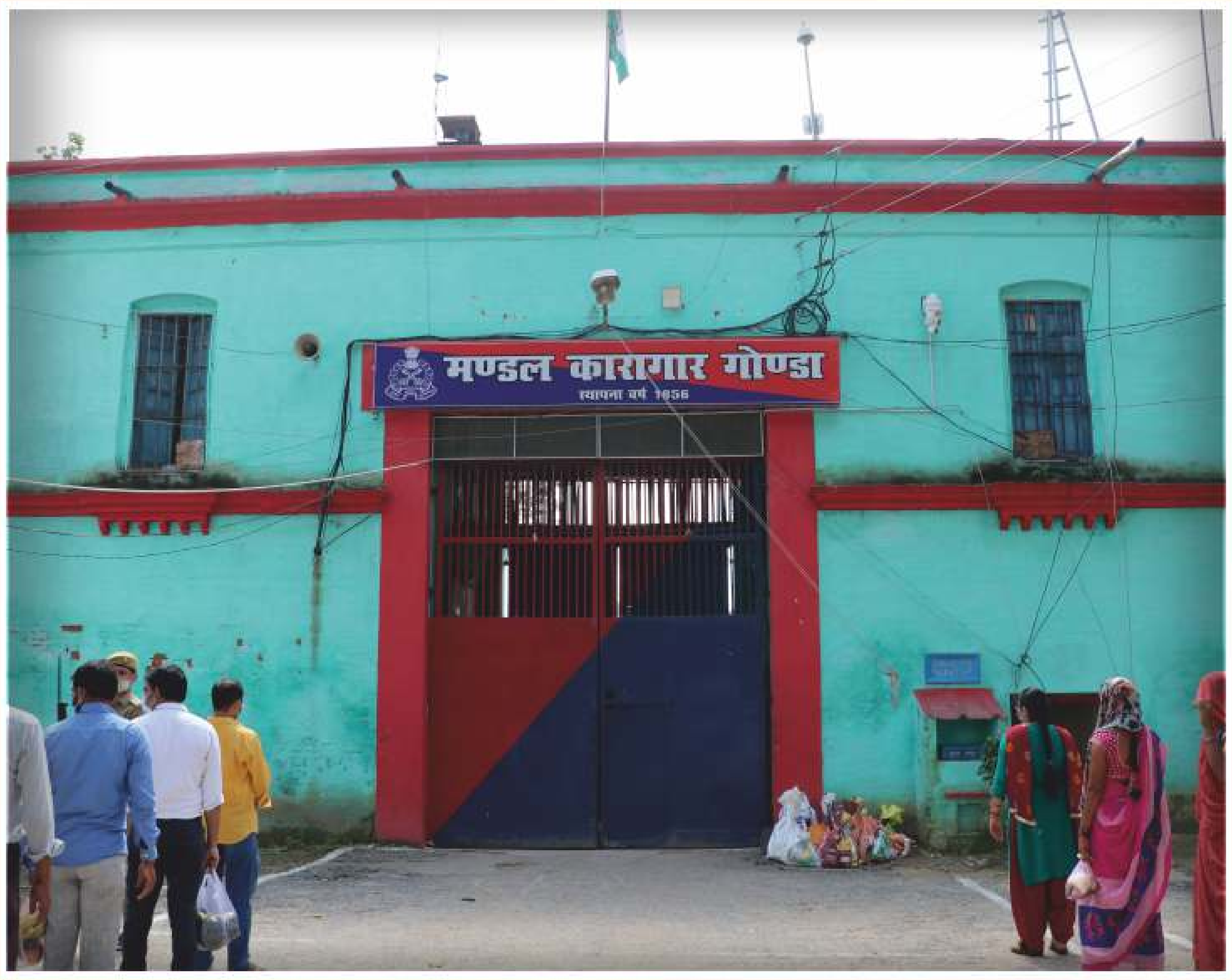








अमर शहीद राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी फांसी-मण्डल कारागार, गोण्डा 17.12.1927













अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह
फांसी–प्रयागराज
19.12.1925

